खण्ड-237, अंक-5
सोमवार, 19 अग्रहायण, शक संवत् 1884
(10 दिसम्बर, 1962 ई0)

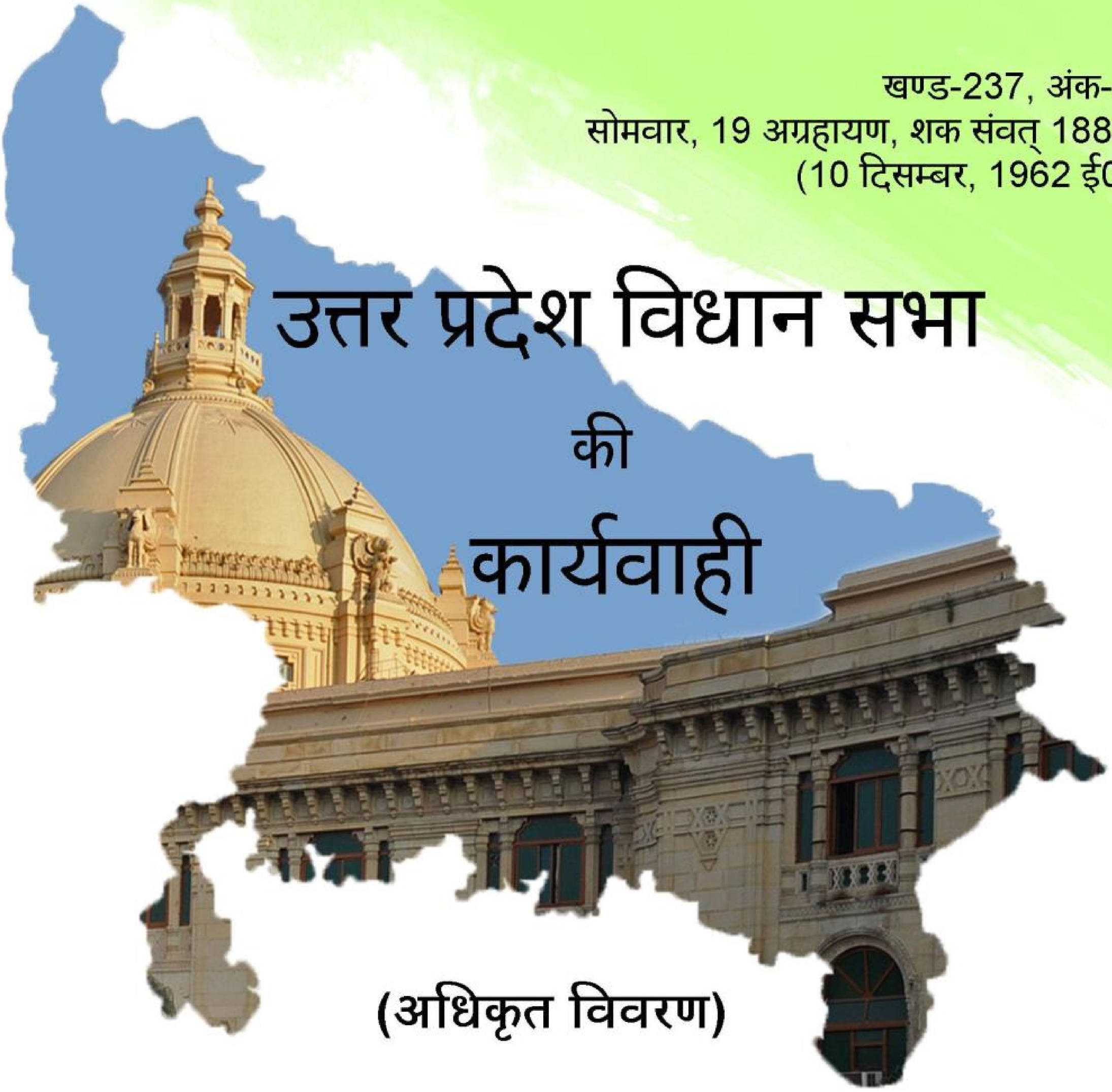

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 237 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, १० दिसम्बर, १९६२

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में १० १/२ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३७९

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलसिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह बिष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री

गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रवलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
ज मोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वकन)
जुगलकिशोर, श्री
जेड० ए० अहमद, श्री
ज० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरी प्रसाद श्री
डल्लाराम, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पाण्डेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवल किशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
निजामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचमदास, श्री
परमानंदलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पूरनलाल, श्री

प्यारेलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल मिश्र,
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषण प्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषण शरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपाल सिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ ,श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री

रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति, 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दरपाण्डेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरत प्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथ प्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शरापत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री

श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सूरजन, राय विशारद श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—वन मंत्री, श्री अलगूराय शास्त्री भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, १० दिसम्बर, १९६२

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

नागरिक सुरक्षा सेवा

**१—श्री चन्द्रजीत यादव, (जिला आजमगढ़) तथा श्री कल्पनार्थसिंह, (जिला गोरखपुर)—क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य में अनिवार्य सैनिक शिक्षा का कार्यक्रम सरकार प्रारम्भ करने पर विचार कर रही है ? यदि हाँ, तो कब से ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—जी नहीं।

**२— श्री चन्द्रजीत यादव तथा श्री कल्पनाथ सिंह—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चीन के आक्रमण के फलस्वरूप उत्पन्न राष्ट्रीय संकट को ध्यान में रखते हुये राज्य के प्रत्येक नवयुवक–नवयुवती को राष्ट्रीय सुरक्षा कार्य के लिए तैयार करने के लिए "नागरिक सुरक्षा सेवा" जैसी कोई योजना प्रचलित करने जा रही है ? यदि हां, तो कब से ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्रान्त के २७ जिलों में जिनके नाम संलग्न सूची में है, उनमें नागरिक सुरक्षा की योजना लागू की गई है तथा उनमें 'नागरिक सुरक्षा सेवा' की व्यवस्था करने के आदेश सम्बन्धित जिलाधीशों को दिये जा चुके हैं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६४० पर।)

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि देश की सुरक्षा के सम्बन्ध में जो यह कमजोरी विदित हुई कि हमारे पास सैकिंड लाइन आफ डिफेंस आदि की भी तैयारी नहीं थी और हमारी सैनिक शक्ति भी पर्याप्त नहीं थी, इस बात को ध्यान में रखते हुए अनिवार्य सैनिक शिक्षा की योजना को सरकार ने क्यों नहीं बनाया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अनिवार्य सैनिक शिक्षा के विषय में केन्द्रीय सरकार ने ऐसा निर्णय नहीं लिया कि देश में कांस्क्रिप्शन किया जाय। सरकार ऐसा समझती है कि बिना कांस्क्रिप्शन लगाये हुए हम देश के काफी संख्या में लोगों को सैनिक शिक्षा दे सकते हैं और उस शिक्षा के द्वारा काफी संख्या में सैनिकों को अपने देश में तैयार कर सकते हैं।

श्री कल्पनाथसिंह—क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि नागरिक सुरक्षा सेवा की व्यवस्था करने के जो आदेश जिलाधीशों को दिये गये हैं, उनकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—नागरिक सुरक्षा के सम्बन्ध में उन तमाम बातों के सम्बन्ध में सरकार ने जिलाधीशों को आदेश दिये हैं, जो बातें कि डिफेंस आफ इंडिया रूल्स और डिफेंस आफ इंडिया आर्डिनेंस में दी गयी हैं, उनके तहत करना है। वह बहुत ब्योरे की चीज है जिसमें लोगों को काफी मात्रा में वालंटियर्स के रूप में एयर फाइटिंग, एयर रेड, नर्सिंग की शिक्षा आदि लेनी होती है। मुहल्ले मुहल्ले में और शहर के विभिन्न क्षेत्रों में वार्डेन आदि नियुक्त करने पड़ते हैं और उन सब से उस प्रकार का कार्य करने के लिये कहा जाता है जो कि एयर रेड आदि के समय लोगों को करना चाहिये। यदि माननीय सदस्य इसका अधिक ब्योरा जानना चाहते हैं तो मैं उनका ध्यान उन रूल्स और उन आर्डिनेन्स की तरफ आमन्त्रित करूंगा जिनमें ये सारी बातें दी हुई हैं जो कि ऐसे अवसर पर सिविल डिफेंस के लिए सरकार को और जो सरकार को सहयोग देना चाहते हैं, और तमाम नागरिकों को करने पड़ते हैं।

श्री अध्यक्ष—यह महत्वपूर्ण प्रश्न है तो और लोग कुछ और प्रश्न कर लें।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि खासतौर पर हमारे उत्तर प्रदेश के पिठौरागढ़ से लेकर देवरिया तक के जो सीमान्त के जिले हैं उनमें सुरक्षा के लिए सरकार ने कोई प्रबन्ध किया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—हां, उन जिलों में भी विशेषतौर पर कार्य करने के आदेश गये हैं। अब क्या-क्या आदेश गये हैं, इसके बारे में यदि माननीय सदस्य जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे मेरे कमरे में आ जायं और मैं उन्हें उन सारी बातों की सूचना दे दूंगा।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—जो आदेश जिलाधीशों को नागरिक सुरक्षा व डिफेंस की सेकेन्ड लाइन के सिलसिले में गये हैं, उन आदेशों में पंचमांगी तत्वों से सीमा के लोगों को बचाने के लिये क्या आदेश गया है, इसको माननीय मुख्य मंत्री जी सदन के सामने स्पष्ट रूप से रखने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—जैसा कि अभी उन्होंने कहा—विशेष विवरण के लिए उनके कमरे में चले जायं।

रिकवरी के आधार पर गन्ने का मूल्य

**३—श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या गन्ना मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न चीनी मिलों के क्षेत्र में गन्ना किसानों को रिकवरी, के आधार पर क्या-क्या कीमतें गेट और कांटे पर अलग-अलग मिल रही हैं ?

गन्ना विकास राज्य मन्त्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)---वर्तमान सीजन १९६२-६३ में प्रदेश की विभिन्न चीनी मिलों द्वारा रिकवरी के आधार पर १ नवम्बर, १९६२ से किसानों को गेट पर जो गन्ने का न्यूनतम मूल्य दिया जा रहा है उसका विवरण मिलवार संलग्न तालिका में दिया हुआ है। कांटे अर्थात् रोड सेंटर्स पर सप्लाई किये गये गन्ने के विषय में विभिन्न मिलों द्वारा देय गन्ने के मूल्य में यातायात सम्बन्धी कटौती चार नया पैसा प्रति मील की दर से अधिकतम ४८ न० पै० प्रति क्वींटल (१८ न० पै० प्रति मन) तक की जा सकेगी।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६४१-६४२ पर।)

****४---श्री नरसिंहनारायण पांडेय**---क्या गन्ना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने गन्ने का कम से कम क्या दाम तय किया है और उसके तय करने का क्या आधार है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---केन्द्रीय सरकार ने वर्ष १९६२-६३ के लिये गन्ने का न्यूनतम मूल्य रेट के लिये रु० १.५० न० पै० प्रति मन तथा रेल सेंटर्स के लिये रु० १.३८ न० पै० प्रतिमन निर्धारित किया है। केन्द्रीय सरकार की प्राइस लिंकिंग योजना के अनुसार गत वर्ष की रिकवरी के आधार पर ९ प्रतिशत न० पै० प्रति मन की दर से किसानों को गन्ने के न्यूनतम मूल्य पर प्रीमियम दिया जायगा और इस प्रकार ९.८ प्रतिशत की रिकवरी पर उन्हें गन्ने का मूल्य रु० १·६२ न० पै० प्रति मन मिल सकेगा।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---क्या मंत्री जी बतायेंगे उनको कोई केन्द्रीय सरकार का ऐसा आदेश मिला है कि रिकवरी को तय करने के लिये ४ महीनों की रिकवरी के आधार पर, जो इधर होती है आखिर में उसके आधार पर, गन्ने का भाव तय किया जाय और जो लिस्ट दी गई है उसके आधार पर नहीं है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---जो क़ीमत हर मिल को देनी है यह सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से तय हो कर आयी है कि कौन सी मिल कितना पैसा गन्ने का देगी।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---१६ नवम्बर, १९६२ का सर्कुलर है केन्द्रीय सरकार का जिसके मुताबिक यह जवाब हमको दिया गया है, गन्ने की कीमत और रिकवरी का। मैं जानना चाहता हूं १६ तारीख के बाद केन्द्रीय सरकार ने कोई ऐसा सर्कुलर जारी किया जिसके मुताबिक अभी भी केन प्राइस जो मिल रही है किसानों को उससे ज्यादा मिलनी चाहिये ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---गवर्नमेन्ट आफ़ इंडिया का जो रीसेंट सर्कुलर है उसके हिसाब से प्राइस फ़िक्स हो कर आ गई है और उसी हिसाब से मिलें गन्ने की क़ीमत किसानों को दे रही हैं।

श्री उग्रसेन---क्या मंत्री जी बतायेंगे प्रत्येक मिल की रिकवरी आंकने की एजेन्सी मिल की ही है या सरकार का कोई विभाग है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---इस साल जो कीमत तय हुई थी वह पिछले साल की रिकवरी के बेसिस पर केन्द्रीय सरकार ने तय की है।

श्री रामायणराय---श्रीमन्, इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट नहीं हुआ। प्रश्न यह है रिकवरी के बेसिस पर आप किसानों को मूल्य दिलायेंगे फिर इस रिकवरी का निश्चय करने वाली मिल की एजेन्सी होगी या सरकार भी इस बात की जानकारी के लिये कोई व्यवस्था करेगी कि जो रिपोर्ट मिलें दे रही हैं रिकवरी के सम्बन्ध में वह रिपोर्ट सही है या नहीं क्योंकि अक्सर शिकायत रही है मिल वाले रिकवरी की रिपोर्ट ठीक सरकार को नहीं देते हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---रिकवरी बेसिस पिछले साल जो रखा गया उस समय मिल वालों को यह बात जाहिर नहीं थी कि इसी बेसिस पर उन को पैसा देना है। लेकिन यह बात सही है केन्द्रीय सरकार इस तरह की कोई मशीनरी बनाने जा रही है जहां शिकायत होगी वहां जा कर जांच करेगी और वहां सरप्राइज विजिट करके रिकवरी की जांच करेगी।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---मंत्री जी बतायेंगे जो गन्ने का दाम निश्चय किया गया है और केन्द्रीय सरकार ने निश्चय करके प्रान्तीय सरकार को दिया है वह पूरे सीजन की रिकवरी के ऊपर यह दाम निश्चय किया गया है ?

श्री अध्यक्ष---आप का पूरे सीजन से मतलब औसत पूरे सीजन का है ?

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---पिछले साल में जब से फैक्टरी चली और जब बन्द हुई और पूरे सीजन की जो औसत रिकवरी है उस रिकवरी के बेसिस पर यह केन प्राइस फिक्स की गयी है लेकिन केन्द्रीय सरकार ने इधर नवम्बर के महीने के बाद करीब एक हफ्ता हो रहा है उन्होंने एक सर्कुलर तमाम प्रादेशिक सरकारों को इस बात का भेजा है कि चार महीने जो आखिरी हैं जब रिकवरी ज्यादा होती है उस रिकवरी के आधार पर केन के दाम तय किये जायं और जो रिकवरी पहले दो महीनों में कम होती है उसे छोड़ दिया जाय, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो प्राइज फिक्स की गयी है पहली रिकवरी के बेसिस पर फिक्स की गयी है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---मैंने अर्ज कर दिया कि जो आखिर का गवर्नमेन्ट आफ इंडिया का फैसला है उसी के आधार पर प्राइस रखी गयी है यानी जो रिकवरी कम होने के महीने होते हैं, वे निकाल दिये गये हैं और रिकवरी जब ज्यादा होती है उसी के आधार पर प्राइस फिक्स हुई है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---जैसा मंत्री जी ने बतलाया मेरे पास फूड डिपार्टमेन्ट गवर्नमेन्ट आफ इंडिया का सर्कुलर है यह तमाम केन यूनियन्स के पास १६ नवम्बर को भेजा गया है और गवर्नमेन्ट आफ इंडिया का जो दूसरा सर्कुलर आया है यह २२ नवम्बर को आया है, उसके मुताबिक गन्ने की रिकवरी के हिसाब से गन्ने के दाम फिक्स नहीं किये गये हैं ऐसी सूचना मुझे है। तो क्या दोनों सर्कुलर्स को देख कर फिर से कोई तीसरी लिस्ट गन्ने के किसानों को गन्ने के दामों के सम्बन्ध में देने की माननीय मंत्री कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---एक प्रश्न यह है कि १६ नवम्बर के बाद कोई सर्कुलर जारी हुआ या नहीं और अगर दूसरा सर्कुलर जारी हुआ है तो उसके मुताबिक प्राइस फिक्स है या नहीं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---मैंने जो बात अर्ज की वह बिल्कुल सही बात है। जो सेंट्रल गवर्नमेन्ट का आखिरी आदेश है उसके मुताबिक जिन महीनों में रिकवरी कम रही है उसका हिसाब नहीं लगाया गया है बल्कि जिन महीनों में रिकवरी ज्यादा रही है उन्हीं के आधार पर कीमत फिक्स की गयी है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---१६ नवम्बर को जो सर्कुलर गवर्नमेन्ट आफ इंडिया के ईश्यू किये गये हैं और उनके मुताबिक मंत्री महोदय ने बयान दिया है उनकी कापी मेरे पास है लेकिन प्रश्न मेरा यह है कि मोदीनगर में जो प्रति क्विंटल दाम ४.२६ और १.५९ प्रति मन फिक्स किये गये हैं और इसी प्रकार ७१ फैक्टरियों में दाम तय किये गये हैं, यह उसी पुराने सर्कुलर के आधार पर हैं जिसमें पूरे सीजन के औसत पर केन प्राइस फिक्स की गयी है, इसी सर्कुलर के आधार पर यह गन्ने के दाम तय किये गये हैं या जैसा कि मंत्री जी ने वक्तव्य दिया है उसके मुताबिक फिक्स किये गये हैं ?

श्री अध्यक्ष---जो लेटेस्ट इंस्ट्रक्शंस हैं उनके मुताबिक प्राइस फिक्स की गयी है जिस समय रिकवरी सबसे अधिक होती है, सर्कुलर चाहे जो भी हो।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---लेटेस्ट सर्कुलर माननीय मंत्री जी के कहने के मुताबिक १६ नवम्बर वाला है जिस पर केन प्राइस फिक्स हुई है या कोई दूसरा सर्कुलर है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---मेरे सामने तो वह सर्कुलर हैं नहीं लेकिन जैसा अर्ज किया है उसे फिर दोहराना चाहता हूं कि बिलकुल आखिर में जो गवर्नमेन्ट का फैसला हुआ है वह ग्रोअर्स के हक में है उसके मुताबिक कीमत फिक्स हुई है और आखिरी सर्कुलर तो यहां तक है कि मान लीजिये कि ९.७ की रिकवरी है तो उसे ९.८ मान लिया है ।

श्री रामायणराय---मान्यवर, पिछली पहली, दूसरी, तीसरी तारीख से मिलें चालू हो गयी हैं और जो ग्रोअर्स के हक में केन्द्रीय सरकार ने आदेश दिये हैं तो हम लोगों की जानकारी यह है कि उस आधार पर उनको मूल्य नहीं दिया जा रहा है । तो क्या सरकार इस बात का पता लगाने की कृपा करेगी कि केन्द्रीय सरकार के आदेशों के अनुसार उनको मूल्य मिल रहा है या नहीं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---मेरे पास लिस्ट मौजूद है हर मिल में जो मूल्य मिलना चाहिये उसकी । अगर इसके बरखिलाफ कोई मिल दे रही है तो माननीय सदस्य मुझको बतायें मैं फौरन उसका इंतजाम करूंगा ।

तारांकित प्रश्न

बस्ती नगरपालिका के चौकीदारों का वेतन

*१---**श्री श्यामलाल** (जिला बस्ती)---क्या स्वायत्तशासन मंत्री प्रश्न संख्या ६१, दिनांक १०-९-६२ के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधीश महोदय की पूरी सूचना की रिपोर्ट प्राप्त हुई या नहीं ? यदि प्राप्त हुई, तो क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी की चौकीदारों का निर्धारित वेतन-क्रम क्या निश्चित किया गया और उनको बकाया रुपया देने के प्रश्न पर नगरपालिका बस्ती ने क्या तय किया ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)---जिलाधीश से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है । उसमें यह सूचित किया गया है कि बोर्ड ने नगर-पालिका के चौकीदारों को वेतन २०-१/२-२५ के वेतनक्रम में, सितम्बर, १९६२ से देने का निश्चय किया है । बकाया देने के सम्बन्ध में बोर्ड ने धनाभाव के कारण असमर्थतता प्रकट की है तथा इस मामले पर शासन द्वारा विचार किया जा रहा है ।

श्री श्यामलाल---नगरपालिका, बस्ती के चेयरमैन पंडित कमलादत्त त्रिपाठी साम्राज्यवादी विचारधारा के हैं और आज के मंहगाई के जमाने में २० रुपया मंहगाई नगरपालिका के चौकीदारों को दे रहे हैं । तो क्या सरकार हस्तक्षेप कर के उनको ५० रुपया महीना दिलाने की व्यवस्था करेगी जिस तरह सरकार ने १९४९-५० में नगरपालिका को दिया था ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---ये वह लोग थे जो जिला बोर्ड के नीचे काम करते थे लेकिन जब वह क्षेत्र नगरपालिका के अन्दर आ गया तो जो वेतन इनका पहले था वही वह देती रही । बाद में जब कहा गया कि वेतन बहुत कम है तो शेड्यूल्ड रेट से उनका वेतन देती रही और इसके अलावा उनको मंहगाई भत्ता मिलता है । दूसरे, हमने उत्तर में यह लिखा है कि विचाराधीन है । तो अगर कुछ बढ़ाना मुमकिन हो सका तो उसकी कोशिश की जायगी ।

श्री श्यामलाल---श्रीमन्, एक सूचना इस विषय में और दे दूं जिसको जान कर सदन आश्चर्य प्रकट करेगा ।

श्री अध्यक्ष---श्यामलाल जी, सूचना देना मंत्रियों का काम है, आपका काम है प्रश्न करना । आप प्रश्न कीजिये ।

श्री श्यामलाल---इन चौकीदारों से बस्ती नगरपालिका के अध्यक्ष महोदय २४ घंटे काम ले रहे हैं। तो क्या जिस तरह से नगरपालिका, गोरखपुर में चौकीदारों से केवल ८ घंटे काम लिया जाता है उसी तरह से बस्ती मे भी काम लिया जाय इसके लिये सरकार कोई व्यवस्था करने जा रही है ?

श्री अध्यक्ष---इसमें तो आपने कोई ऐसा जिक्र नहीं किया कि २४ घंटे काम ले रहे हैं, आप दूसरा प्रश्न कर लीजियेगा।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---जो मंत्री जी ने कहा कि बकाया की रकम के ऊपर सरकार विचार कर रही है तो वह रकम कितनी है और इस पर कबतक विचार हो जायगा ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---उनका कहना है कि हमारे पास पैसा ही नहीं है। इसके अलावा बकाया इसलिये नहीं है कि जो तय हुआ था वही उनको दिया जा रहा है, इसलिये बकाया की बात वह मानते नहीं हैं ? लेकिन पत्र-व्यवहार चल रहा है, अगर गुंजायश होगी तो कोशिश की जायगी। लेकिन मैं आश्वासन देने के लिये तैयार नहीं हूं, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है।

श्री श्यामलाल---यदि २४ घंटे उनसे काम नहीं लिया जा रहा है तो क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि नगरपालिका, गोरखपुर में चौकीदारों के लिये जिस तरह का कानून लागू है उसी तरह का कानून नगरपालिका, बस्ती में भी लागू हो ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---श्रीमन्, नियमानुसार जो सम्भव होगा, किया जायगा। अगर कोई गलती होगी तो उसको दुरुस्त करने के लिये सरकार हमेशा तैयार है।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)---श्रीमन्, मंत्री जी ने कहा कि पहला प्रश्न है पैसा है और दूसरा यह कि जो तय था वह उनको दिया जा रहा है तो बकाया का सवाल कहां रहा, तो दोनों में से कौन सा सही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---श्रीमन्, मैंने खुद कहा कि बकाया का सवाल नहीं है। जितने पर उनको रखा था उतना वेतन देते हैं तो बकाया का प्रश्न उठता नहीं है। लेकिन यह प्रश्न उठता है कि हमारा उनसे पत्र-व्यवहार चल रहा है, अगर मान गये तो दिला देंगे। लेकिन देना न देना उनके हाथ में है और उनके रिसोर्सेज पर डिपेंड करता है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि नगरपालिका ने चौकीदारों को किन टर्म्स और कंडीशन्स पर भर्ती किया था और कितनी तनख्वाह पर रखने का तय किया था ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---१० रुपये पर उनको रखा गया था और १४ रुपये मंहगाई देते थे। इस तरह से २४ रुपये मिलते थे।

यू० पी० जेल सहकारी समिति लिमिटेड, लखनऊ में गबन

*२---**श्री हिम्मतसिंह** (जिला बुलन्दशहर) तथा **श्री राजेन्द्रसिंह** (जिला एटा)---क्या कारागार मंत्री दिनांक २० अगस्त, १९६२, नत्थी 'ग' के प्रश्न ५ के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि २० शिकायतें क्या-क्या थीं जो निर्मूल पायी गयीं और ५ शिकायतें क्या-क्या हैं जो अभी जांच में चल रही हैं ?

कारागार मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मदत्त वैद्य)---इनका विवरण बताना इस स्टेज पर जनहित में न होगा क्योंकि अभी अग्रेतर जांच हो रही है।

*३—श्री हिम्मतसिंह तथा श्री राजेन्द्रसिंह—उक्त जेल की गड़बड़ी को विभागीय आडीटर द्वारा जांच न कराकर ए० जी०, यू० पी० स्पेशल आडिट के लिये क्यों नहीं भेजा जाता है ? क्या सरकार स्पेशल आडिट के बाद सेंट्रल इन्टेलीजेंस विभाग द्वारा जांच कराने की कृपा करेगी ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—इसकी जरूरत नहीं समझी गई ।

श्री हिम्मतसिंह—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि २० शिकायतें जो निर्मूल पाई गई उनकी भी फिर से जांच हो रही है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—श्रीमन्, जो शिकायतें निर्मूल पाई गई उनकी जांच होने का प्रश्न क्या उठता है ।

श्री हिम्मतसिंह—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो २० शिकायतें की गई हैं उनके बारे में क्या कठिनाई है जो नहीं बताई जा रही है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—श्रीमन्, शिकायतों का बताना तो जैसा मैंने कहा कि जनहित में नहीं होगा । लेकिन जो ५ शिकायतें थीं जिनमें कुछ तथ्य थे, उनको शासन ने फिर से कारागार महानिरीक्षक के पास भेजा है कि वे जांच करके भेजें । जो शिकायतें निर्मूल पाई गई यदि आप कहें तो मैं बतला सकता हूं लेकिन उनमें कोई तथ्य नहीं है ।

श्री उग्रसेन—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ऐसी भी शिकायतें हैं जिनमें कहा गया है कि डी० आई० जी० प्रिजिन्स के विरुद्ध सी० आई० डी० इंक्वायरी बिठाई गई है ? उसकी कोई रिपोर्ट आई है या नहीं ? उसकी जांच की है या नहीं ?

कारागार राज्य मंत्री (श्री गोविन्द सहाय)—ऐसी बात नहीं है जैसा कि प्रश्न माननीय सदस्य ने उठाया हमारे पास जो शिकायतें निर्मूल समझी गई हैं अगर उन्हें जानना चाहते हैं तो यहां भी बता सकते हैं और मेरे कमरे में आ जायं तो मैं पूरी तौर से बता सकता हूं । इसमें कोई ऐसी बात नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—कोई स्कैंडलस बात हो तो पब्लिक में कहने से कोई फायदा नहीं है ।

श्री हिम्मतसिंह—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि २५ शिकायतों का जो बताना जनहित में नहीं है तो स्पेशल आडिट द्वारा उनको क्यों नहीं कराया जा रहा है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—श्रीमन्, इसका एक तरीका है और स्पेशल आडिट उस समय होता है जबकि विभागीय लेखा परीक्षा के साधनों से उसका परीक्षण सम्भव न हो अथवा कुछ उसमें ऐसी गूढ़ बातें हों जिनका समाधान इंटरनल आडिट द्वारा न हो सके ।

विधूना सेकण्डरी स्कूल को कोयला

*४—श्री रामसिंह (जिला मैनपुरी)—क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिधुना जिला इटावा पब्लिक हायर सेकेन्डरी स्कूल को कितना कोयला स्कूल की ईंट पकाने के लिये सन् १९५७ से अप्रैल सन् १९६२ तक दिया गया, उसमें कितनी ईंटें तैयार हुईं और कहां लगायी गयीं ?

रसद उपमंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—सूचना एकत्र की जा रही है ।

*५—श्री रामसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो कोयला स्कूल को मिला उस कोयले से किस ठेकेदार द्वारा ईंट पकवायी गयीं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री रामसिंह—अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी सूचना कब तक इकट्ठी करेंगे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—कोशिश की जा रही है ।

देहरादून की सस्ते गल्ले की दूकानों के विरुद्ध शिकायत

*६—**श्री परमाईलाल** (जिला हरदोई)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देहरादून के जिला पूर्ति अधिकारी के कार्यालय में अगस्त, १९६० तक तथा उसके आस-पास देहरादून आदि की सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों में व्याप्त चोरबाजारी तथा अन्य पक्षपात से सम्बन्धित कोई शिकायती-पत्र प्राप्त हुये थे ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी हां, एक शिकायत आई थी। जांच करवाई गई। आरोप निराधार प्रतीत हुये।

श्री परमाईलाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसमें मुख्य-मुख्य कौन सी शिकायतें थीं ?

रसद मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—यह शिकायतें थीं कि मैदा उन्होंने पहले बेच दिया, दूकान में आने से पूर्व।

श्री परमाईलाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिनको दूकानदारों के लाइसेंस दिये गये हैं उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जिन के पुरखों तक दूकानदारों के लाइसेंस नहीं थे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जिसको दिया गया है वह ऐसोशियेशन का ही प्रेसीडेंट है, वह तो सबके बराबर हो गया।

श्री काशीनाथ मिश्र—क्या इस सम्बन्ध में खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार की ऐसी ही नीति है कि नये-नये लोगों को दूकानें दी जायें और ऐसे लोगों को दूकानें न दी जायं जो परम्परागत दूकानदारी का पेशा करते चले आ रहे हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—पहले हम कोआपरेटिव सोसायटीज को प्राथमिकता देते हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—माननीय खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस दूकान के गल्ला बेचने के सम्बन्ध में शिकायत किस के द्वारा की गयी और जांच करने वाले अधिकारी ने क्या शिकायत करने वाले से भी पूछ-तांछ की थी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—यह रक्षा बंधन के लिये मैदा देना था, तो इसको ऐशोसियेशन का प्रेसीडेंट होने के नाते सूचना थी कि मैदा आने वाला है, इसलिये पहले से उनके कार्ड पर दर्ज करना शुरू कर दिया। यह टेक्निकल गलती थी। इस पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, गवर्नमेन्ट आफ इंडिया के इंस्पेक्टर ने भी, प्रेसीडेंट एंटी करप्शन कमेटी, सबने देखा और मोहल्ले वालों से भी पूछा। मोहल्ले वालों ने कहा कि इसकी कोई मंशा खराब नहीं थी। इसलिये यह समझ कर कि टेक्निकल गलती थी, छोड़ दिया।

श्री रामसुन्दर पांडेय—मैंने पूछा कि किस व्यक्ति द्वारा शिकायत की गयी, और जांच करने वाले ने उस व्यक्ति से पूछ-तांछ की या नहीं, इसका जवाब नहीं मिला ?

श्री अध्यक्ष—वह ऐडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है। उस पर जिस तरह से जांच हो सकती है की गयी।

श्री रामायणराय—माननीय मंत्री जी ने कहा कि अमुक-अमुक लोगों ने कहा कि उसका इंटेंशन नहीं था बेईमानी का, क्या माननीय मंत्री जी सामान देने के पहले ही दर्ज कर लेना इसको बेईमानी मानते हैं या नहीं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--मैंने यह बात कहा कि रजिस्टर में दर्ज नहीं किया, कार्ड्स पर दर्ज किया था। सीनियर इंस्पेक्टर ने उसकी इन्क्वायरी की और वहां एंटी-करप्शन कमेटी के प्रेसीडेंट भी गये। सब ने पूछा। तो वहां की जनता ने कहा इसने सहूलियत के लिये किया है। यह टेक्निकल इर्रेगुलैरिटी है। इसके लिये वार्निंग दे दी गयी है।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट--(जिला फैजाबाद)--क्या माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे कि वह तो प्रेसीडेंट था इसलिये जानता था कि आने वाला है लेकिन कंज्यूमर्स जिनके कार्ड्स पर भरा गया क्या उनको भी सूचना थी कि आने वाला है, जाकर वहां भरवा लें ?

श्री अध्यक्ष--वह पूछते हैं कि कन्ज्यूमर्स ने कैसे अपने कार्डस में भरवा लिया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--मैंने कहा कि उस मौके पर मैदा स्पेशल दिया जाता है। तो कार्ड पर जो आटा लेने गये उन पर उसने दर्ज कर लिया।

जेलों के हेड आफिस द्वारा सामान का क्रय

*७--**श्री हिम्मतसिंह**--क्या कारागार मंत्री दिनांक १७ सितम्बर, १९६२ के प्रश्न संख्या १३, नत्थी (ग) के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि ५०,००० गज कपड़ा जो विक्टोरिया मिल से खरीदा गया था वह टैक्सटाइल एक्सपर्ट की रिपोर्ट पर खरीदा गया था या डाइरेक्टर जेल इंडस्ट्रीज ने अपनी इच्छा पर ही खरीदा है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--१९६१-६२ में ५,००० गज शीटिंग क्लाथ एलगिन मिल लि० कानपुर से खरीदा गया था। समयाभाव के कारण टेक्सटाइल एक्सपर्ट की रिपोर्ट नहीं ली जा सकी पर स्टोर परचेज विभाग की अनुमति से कारागार महा निरीक्षक ने उक्त कपड़ा खरीदा।

श्री हिम्मतसिंह--माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि टेक्सटाइल एक्सपर्ट और स्टोर परचेज विभाग दोनों के दफ्तर कानपुर में एक ही स्थान पर हैं और एक ही बिल्डिंग में हैं तो फिर टेक्सटाइल एक्सपर्ट को चिट्ठी क्यों नहीं लिखी गई ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--श्रीमन्, यह दफ्तर में नहीं जानता कि एक ही जगह पर हैं या नहीं। लेकिन वास्तविकता यह है कि इस कपड़े का शीटिंग क्लाथ का प्रबंध डाइरेक्टर आफ सप्लाईज गवर्नमेन्ट आफ इंडिया के द्वारा होता है। ६२-६३ के लिये उन्होंने १ रुपया ५६ नया पैसा गज के हिसाब से इस कपड़े का प्रबंध किया था जो स्टोर में नहीं आ पाया जिसके कारण चार मिलों से कोटेशन मांगे गये। एलगिन मिल का १ रुपया ११ नये पैसे का सबसे कम रेट था। जेल के कपड़े का दाम भी १ रुपया १२ नये पैसे पड़ता था। इसलिये चूंकि उसका सबसे कम था उसको खरीद लिया गया क्योंकि टेंट्स के आर्डर्स पड़े हुये थे और उनको सप्लाई करना आवश्यक था।

श्री उग्रसेन--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस डिप्टी डाइरेक्टर जेल इंडस्ट्रीज के आदेश से यह कपड़ा खरीदा गया वह वही साहब हैं जिनके खिलाफ सम्पूर्णानन्द की सरकार के समय में सी० आई० डी० की एन्क्वायरी बैठाई गई थी और बाद में वह हश अप कर दी गई, कुछ नहीं हुआ ?

श्री गोविंदसहाय--जहां तक एन्क्वायरी का ताल्लुक है यह सही बात है कि उनके खिलाफ एन्क्वायरी हुई थी लेकिन जहां तक आपका यह कहना है कि हश अप कर दिया गया यह बात गलत है। शिकायत आई थी और उसकी भी इन्क्वायरी हुई।

श्री काशीनाथ मिश्र--माननीय मंत्री जी ने कहा कि १ रुपया ११ नया पैसा एलगिन मिल का था और १ रुपया १२ नया पैसा जेल के कपड़े का बताया गया है तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जनहित में और उत्तर प्रदेश सरकार के हित में क्या यह जरूरी नहीं था कि जेल में जो कपड़ा तैयार होता है वही खरीदा जाय और मिल से यह कपड़ा क्यों खरीदा गया जबकि जेल से यह मिल सकता था ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---अगर कपड़ा तैयार होता तो खरीदने की आवश्यकता ही नहीं होती चूंकि स्टाक में नहीं था इसलिये मजबूरी की वजह से खरीदा गया ।

भिनगा जंगल से माफीदारों को लकड़ी

*८---**श्री मुन्नूसिंह** (जिला बहराइच)---अतारांकित प्रश्न संख्या १४,१५,१६, नत्थी (ग), दिनांक १ अक्तूबर, १९६२ के सन्दर्भ में जो उत्तर मिला है कि माफी लकड़ी ग्राम प्रधानों को वितरण हेतु दी जाती है, तो क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि वह किस नियम के अन्तर्गत प्रधानों को दी जाती है जबकि उसके वितरण की जिम्मेदारी जंगल कानून के हिसाब से डिप्टी कमिश्नर और जंगल विभाग की है ?

वन मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त काण्डपाल)---माफी की लकड़ी ग्राम प्रधानों को वितरण हेतु बहराइच वन खंड के कार्य योजना के रूल्स रेगुलेटिंग दि फ्री ग्रान्ट आफ फारेस्ट प्रोड्यूस इन आल रिजर्वस (Rules regulating the free grant of forest produce in all reserves) के नियमों के अन्तर्गत दी जाती है ।

*९---**श्री मुन्नूसिंह**---प्रश्न १५ के संदर्भ में क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पिछले वर्ष माफी के वितरण में उन ८६ प्रधानों में से जो माफीदार गांव के हैं, किन-किन प्रधानों का हस्ताक्षर प्राप्त किया गया था ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---इन ८६ ग्रामों में से ७३ ग्रामों के प्रधानों को गत वर्ष माफी की लकड़ी भिनगा जंगल से दी गई और उनके हस्ताक्षर प्राप्त किये गये, जिनके नाम संलग्न सूची में दिये हुये हैं । भिनगा के तीन ग्रामों को लोहलवा रेंज के जंगलों से माफी की लकड़ी दी गई । चार ग्राम गैर आबाद हैं तथा बाकी ६ के माफीदारों ने कोई इंडेन्ट (Indent) नहीं भेजे ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ६४३-६४४ पर)

*१०---**श्री मुन्नूसिंह**---प्रश्न १६ के सन्दर्भ में उत्तर मिला है कि १० वर्ष बाद उपज दूनी हो जाने पर माफीदारों को पूरी लकड़ी मिल सकेगी, तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या उस भिनगा जंगल में लकड़ी का कोई नीलाम नहीं किया जायेगा ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---माफीदारों को भिनगा रेंज में २० वर्ष तक के टोंगिया रोपावनियों से छटान की सामग्री (thinning material) दी जाती है । २० वर्ष तक के पुराने रोपावनियों के छटान की सामग्री का विक्रय इस समय नहीं किया जाता है तथा भविष्य में भी कुछ समय तक नहीं किया जावेगा जबतक कि माफीदारों को पूर्ण रूप से माफी की लकड़ी नहीं मिलती ।

श्री मुन्नूसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जैसा उन्होंने अभी बतलाया कि कानून के हिसाब से प्रधान के द्वारा लकड़ी दी जाती है तो क्या माननीय मंत्री जी वह कानून कोट कर सकेंगे कि जिस कानून के द्वारा प्रधानों के द्वारा लकड़ी माफी की वितरित की जाती है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---जिस कानून का माननीय सदस्य ने जिक्र किया है उसका हवाला मैंने प्रश्न संख्या १ के जवाब में दिया है । उनका कहना ठीक है कि डिप्टी कमिश्नर को यह अधिकार दिया गया है लेकिन उसके पास भी कोई एजेंसी होगी जिसके द्वारा बटेगी । लिहाजा गांव प्रधानों को जो लकड़ी दी जाती है वह डिप्टी कमिश्नर और फारेस्ट अफसरों की राय से दी जाती है ।

श्री मुन्नूसिंह---क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि इंडैन्ट भेजने का क्या तरीका है। ग्राम सभा भेजती है या सरकार अपनी एजेंसी के द्वारा मंगा लेती है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---तरीका यह रहा है कि जितनी लकड़ी माफी की देनी होती है और जितनी उपलब्ध होती है वह मार्क कर दी जाती है। जब मार्क करने की बात हो जाती है तो उसके बाद गांव सभाओं को सूचना दी जाती है पंचायतों के इंस्पैक्टर के द्वारा। जैसा कि तय हुआ है डिप्टी कमिश्नर और फारेस्ट अफसर के बीच की उन गांवों का कंसेशन छप गया है। उसके बाद वे लोग अपनी लकड़ी उठाते हैं। जहां तक इंडेंट का सवाल है। पिछले साल ५५ गांवों का इंडेंट डिप्टी कमिश्नर के जरिये से आया। बाकी उन लोगों को स्वयं ही दे दी गई थी जिनकी संख्या ७३ थी।

श्री मुन्नूसिंह---माननीय मंत्री जी शायद कानून नहीं जानते हैं। होता यह है कि डिप्टी कमिश्नर अपने पटवारी के द्वारा इंडेंट मांगते हैं और वह वन विभाग को भेज देते हैं। तो जब वन विभाग को ५५ गांवों का इंडेंट गया जब कि ८६ गांव माफीदार थे तो बन विभाग को पूछना चाहिये था कि बाकी गांवों का इंडेंट क्यों नहीं आया। क्या मंत्री महोदय मेरी सूचना को आधार मानकर इस बात का प्रबन्ध करेंगे कि जो माफी की लकड़ी काटी जाय वह तुरन्त वितरित कर दी जाय जिससे लोगों को सुविधा हो वरना कुछ लकड़ी चोरी चली जाती है और कुछ बन विभाग के लोग बेंच लेते हैं ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---यह लकड़ी देने का जो नियम है उसके अनुसार वह अक्तूबर से शुरू होती है और मई तक उठा लेनी चाहिये और यह भी कंसेशन दिया जाता है कि अगर वह मई तक न उठाई जा सके तो जून तक वह उठा ले।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)---क्या वन मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वन विभाग के पास कोई ऐसे साधन हैं जिसके द्वारा देखा जाय कि यह लकड़ी जो उनको रियायतन दी जाती है वह उन्हीं लोगों को मिलती है जिनको जरूरत होती है या यह बात सही है या नहीं कि जो रियायतन ग्राम पंचायतों को दी जाती है वह अक्सर बेंच दिया करते हैं ?

वन मंत्री (श्री अलगूराय शास्त्री)---इसका कोई पूरा पता नहीं है कि वे अपनी जरूरत की लकड़ी लेकर बेंच देते हैं या नहीं। जो उनका इंडेंट होता है उसके मुताबिक उनको लकड़ी दी जाती है। वह माफी की लकड़ी होती है उनको दे दी जाती है।

श्री मुन्नूसिंह---क्या माननीय मंत्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि माफी की लकड़ी जब काटी जाय वह तभी तुरन्त वितरित कर दी जाय वरना वन विभाग के लोग कुछ बेंच लेते है और कुछ चोरी चली जाती है और जिनको माफी की लकड़ी मिलनी चाहिये उनको नहीं मिलती है ?

श्री अलगूराय शास्त्री---अगर कोई इस तरह की शिकायत हमारे पास आये कि लकड़ी चोरी चली गई या समय पर उठाई नहीं गई या वन विभाग वालों ने गड़बड़ कर दी तो हम जांच करा सकते हैं। स्पष्ट शिकायत आने पर जांच की जा सकती है। जनरल तरीके से हम कुछ नहीं कर सकते। किसी व्यक्ति और किसी गांव का नाम दिया जाय तो हम जांच करा लेंगे।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि प्रधानों द्वारा यह लकड़ी दिये जाने की व्यवस्था केवल एक जिले में ही है अथवा जहां जहां माफी की लकड़ी दी जाती है वहां-वहां वह प्रधानों द्वारा दी जाती है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—यह प्रश्न बहराइच वन खंड के भिनगा रेंज के सिलसिले में है। उसी के बारे में जवाब दिया गया है। हर रेंज और डिवीजन की व्यवस्था अलग-अलग होती है।

*११-१२—**श्री रघुवीर** (जिला गाजीपुर)—[१५ वें मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या ६४-६५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

बीसलपुर से भट्ठे हटाने की मांग

*१३—**श्री दुर्गाप्रसाद** (जिला पीलीभीत) (अनुपस्थित)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री को पता है कि जिला पीलीभीत के अन्तर्गत नगरपालिका बीसलपुर में थाने के पश्चिम कई भट्ठे आबादी से मिले हुये चल रहे हैं जिनके धुएं से निवासियों को बहुत परेशानी रहती है और नजदीक के बागों में आम की फसल धुआं लगने से नष्ट हो जाती है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—नगरपालिका बीसलपुर की हद में भट्टे नहीं हैं। भट्टे अंतरिम जिला परिषद की हद में बतलाये जाते हैं। धुयें से जनता की परेशानी व आम की फसल नष्ट होने के संबंध में सूचना प्राप्त की जा रही है।

*१४—**श्री दुर्गाप्रसाद** (अनुपस्थित)—यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त भट्ठों को हटाने की शीघ्र व्यवस्था करेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जिलाधीश की रिपोर्ट प्राप्त होने पर आवश्यक विचार किया जायगा।

करनैलगंज को निर्माण-कार्यों के लिये अनुदान

*१५—**श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल** (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि करनैलगंज, जिला गोंडा के स्थानीय निकाय को द्वितीय पंचवर्षीय योजना कार्यकाल में कितना-कितना धन किस-किस कार्य के लिये दिया गया है और उसका उपयोग उसी रूप में हुआ है? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—प्रश्नगत कार्यकाल में करनैलगंज के स्थानीय निकाय को २३,१०० रुपया सड़कों के निर्माण तथा रख रखाव के लिये १,१०० रुपया बाल क्रीड़ा केंद्र के समान खरीदने के लिये तथा १५० रुपया हाथ गाड़ी तथा व्हील बैरों खरीदने के लिये दिया गया था। इन धनराशियों के उपयोग की स्थिति संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ६४५-६४६ पर)

अध्यक्ष, कन्नौज नगरपालिका के विरुद्ध शिकायत

*१६—**श्री दयाराम शाक्य** (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री को ज्ञात है कि फर्रुखाबाद जिले की कन्नौज नगरपालिका में अनेक प्रकार की अव्यवस्थायें अधिकारियों द्वारा चल रही हैं और इस विषय में कुछ शिकायती पत्र क्या सरकार को प्राप्त हुये हैं। यदि हां, तो सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—शासन को अध्यक्ष, नगरपालिका कन्नौज के विरुद्ध कुछ शिकायती पत्र प्राप्त हुए थे जिन पर जिलाधीश फर्रुखाबाद के माध्यम से जाँच कराई गई।

*१७—**श्री दयाराम शाक्य** (अनुपस्थित)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री को ज्ञात है कि कन्नौज नगरपालिका बिना सेनिटरी इन्स्पेक्टर के कार्य कर रही है और नगर में अत्यधिक गन्दगी और अव्यवस्था रहती है। इस विषय में क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—नगरपालिका कन्नौज में सेक्रेटरी-कम-सेनीटरी इंस्पेक्टर का पद है गंदगी तथा अव्यवस्था के संबंध में एक प्रर्थना-पत्र जिलाधीश, फर्रुखाबाद को प्राप्त हुआ था जो जांच के उपरान्त सही नहीं पाया गया।

*१८–१९—**श्री टम्बेश्वरीप्रसाद** (जिला सीतापुर)—[२३वें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या १२–१३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

औद्योगिक आस्थान, नैनी में चुंगी

*२०—**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद के नैनी इंडस्ट्रियल एरिया में जो सामान बाहर से आता है उसको चुंगी लगने से वंचित रक्खा गया है? यदि हां तो इसके लिये कोई समय निर्धारित है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां। औपचारिक रूप से तो कोई आदेश नहीं दिये गये थे, परन्तु अनौपचारिक रूप से यह अवश्य निर्णय किया गया था कि इलाहाबाद में नगर महापालिका बनने के पश्चात् तीन वर्ष की अवधि तक नैनी इंडस्ट्रियल एरिया को चुंगी सीमा में सम्मिलित न किया जाय।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या मंत्री जी इस तीन वर्ष की अवधि के समाप्त होने पर बढ़ाने के प्रश्न पर विचार करेंगे?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—किसी की तरफ से शिकायत आयेगी या नगरपालिका या इंडस्ट्रियल ऐरिया की तरफ से दरख्वास्त आयेगी तो हम इस पर जरूर विचार करेंगे?

श्री रामायणराय—जहां तक मेरी जानकारी है यह सुविधा इस एरिया को एक डिस्क्रिमिनेटिंग प्रोटेक्शन के तौर पर दी गयी थी ताकि वहां का औद्योगिक विकास हो सके। तो इस विकास को दृष्टि में रखते हुए इस अवधि को बढ़ाने में मंत्री जी को क्या कठिनाई है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—कठिनाई का सवल नहीं होता, वास्तव में अगर उसकी आवश्यकता है तो उसे जरूर बढ़ाया जायगा।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री जी को इलाहाबाद नगरमहापालिका ने इस अवधि को बढ़ाने के लिये लिया है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी, वहां से खबर आयी है कि उसको थोड़े दिन के लिये और बढ़ा दिया जाय और यह प्रश्न विचाराधीन है।

सीतापुर में सीमेंट पर चुंगी

*२१—**श्री बिपिनबिहारी तिवारी** (जिला सीतापुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला सीतापुर के सप्लाई विभाग द्वारा ८–१–६० से ३०–६–६२ तक समय-समय पर सीमेंट की बिक्री की जो दरें निश्चित की गयी थीं उन दरों में म्युनिसिपल बोर्ड, सीतापुर के थामसनगंज रोड से आने के लिये नगरपालिका की octroi duty भी शामिल थी?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी हां।

*२२—**श्री बिपिनबिहारी तिवारी**—क्या यह सही है कि नगरपालिका सीतापुर ने लखनऊ हाई कोर्ट के एक निर्णय के आधार पर ८–१–६० से थामसनगंग रोड पर आयी हुई सीमेंट पर चुंगी लेना बन्द कर दिया था?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी हां।

*२३—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—क्या सप्लाई आफिसर, सीतापुर ने सीमेंट के थोक बिक्रेताओं को एक नोटिस दिया है कि जो चुंगी ८-१-६० से ३०-६-६२ तक वसूल की गयी है वह सम्पूर्ण धन सप्लाई विभाग के सीनियर एकाउन्ट क्लर्क के पास जमा कर दिया जाय ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी हां ।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह जो आक्ट्राय ड्यूटी सीमेंट की दरों में शामिल नहीं की गयी वह नगरपालिका का कार्य था या सप्लाई डिपार्टमेंट का ? अगर नगरपालिका का कार्य था तो सप्लाई डिपार्टमेंट ने उन दरों में आक्ट्राय ड्यूटी क्यों शामिल की ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जब सीमेंट की कीमत निर्धारित की जाती है तो उसमें आक्ट्राय ड्यूटी भी जोड़ ली जाती है और उसी हिसाब से वह वसूल होती है । ७-१-६० को हाईकोर्ट, लखनऊ बेंच ने यह निर्णय दिया कि यह इस सड़क पर नहीं चार्ज की जा सकती तो वह डी० एम० सीतापुर को पता नहीं चल सका । ८-१-६० से ३०-६-६२ तक सीमेंट पर वही रेट चलता रहा । जब उनको मालूम हुआ तो चूंकि सीमेंट के स्टाकिस्ट्स उस रुपये को रख नहीं सकते थे इसलिये उस रुपये को ट्रेजरी में जमा करवाया जा रहा है ।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि सीतापुर में कितने सीमेंट के स्टाकिस्ट्स हैं और उन पर जो आक्ट्राय ड्यूटी इकट्ठा हो गयी है वह कितनी है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—अब यह सारे जिले की सूचना तो मेरे पास है नहीं और न ही सारे जिलों के बारे में प्रश्न पूछा गया था ।

श्री मैनेजरसिंह—क्या सरकार बतायेगी कि जिन लोगों से यह एक्साइज ड्यूटी का पैसा चार्ज किया गया है वह जिनसे लिया गया है उनको वापस कर दिया जायगा ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—अभी तो गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा किया जा रहा है, फिर जैसी सूरत होगी किया जायेगा ।

श्री कल्पनाथसिंह—८-१-६० से ३०-६-६२ तक जिलाधीश को आनरेबिल हाई कोर्ट का फैसला न मालूम होने का कारण क्या है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जजमेंट किसी ने उनके पास भेजा नहीं होगा ।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी—थोक विक्रेताओं को जिलाधीश का जो आर्डर दिया गया था उसमें इसका कहीं उल्लेख नहीं है कि जो दरें निश्चित की गयी हैं उसमें आक्ट्राय ड्यूटी भी शामिल है, फिर यह कैसे मान लिया जाय कि जिलाधीश ने जो दरें निश्चित की हैं उनमें वह भी शामिल है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—अब हमारे पास जो जिला मैजिस्ट्रेट ने रिपोर्ट की है अगर वह दूसरी है, तो आप लिख कर दें, हम देख लेंगे ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—जिला मैजिस्ट्रेट को जो हाई कोर्ट ने सूचना दी थी उसका रेलीवेंट पोर्शन क्या है जिसके मातहत आप ट्रेजरी में रुपया जमा करा रहे हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जजमेंट इस समय मेरे पास नहीं है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि जो जजमेंट है उसके मातहत यह कहा गया है कि कहीं भी आक्ट्राय ड्यूटी सीमेंट के रेट में शामिल नहीं की जा सकती ? यदि हां, तो क्या और जिलों में यह आदेश देंगे जिससे कि आक्ट्राय ड्यूटी सीमेंट के दामों में शामिल न हो ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—यह तो जब सीमेंट आयेगा और हम अपने संबंधित अधिकारियों से राय लेंगे तो उसको प्रसारित किया जा सकता है, अभी उसका कोई प्रश्न नहीं उठता ।

श्री उग्रसेन—जब लखनऊ बेंच में यह फैसला हुआ और उसके बाद लोगों ने जिलाधीश को यह दरख्वास्त दी कि लखनऊ बेंच का यह फैसला है तो क्या मंत्री जी को यह सूचना है कि उस पर जिलाधीश ने कोई कार्यवाही नहीं की ? यदि की, तो क्या ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—उनकी रिपोर्ट से ऐसा पता चलता है कि जब उनको पता चला तो उन्होंने उस पैसे को ट्रेजरी में जमा कराने के आदेश दिये । इसके मानी यह हैं कि पहले उनको सूचना नहीं थी ।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी—प्रश्न संख्या २२ में यह स्पष्ट है कि नगरपालिका सीतापुर ने लखनऊ हाई कोर्ट के एक निर्णय के आधार पर ८-१-६० से थामसनगंज रोड पर आयी हुई सीमेंट पर चुंगी लेना बन्द कर दिया था । इसको मंत्री जी ने स्वीकार किया है । लेकिन जिलाधीश महोदय हर एक विक्रेता से चुंगी ले रहे हैं । तो इन दोनों में विरोधाभास क्यों है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—मैंने तो पहले ही अर्ज किया कि यह तो जुड़ा हुआ था उस रट में ।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी के उत्तर से मैं यह समझूं कि कोई कठिनाई हाई कोर्ट के फैसले से जिलाधीश महोदय के सामने नहीं उत्पन्न हुई, बल्कि जब उन्हें पता चला कि म्युनिसिपैलिटी ने छोड़ दिया है तो सबसे कठिन प्रश्न उनके सामने यह पैदा हो गया कि सीमेंट के दाम जो जुड़ गये हैं उन्हें कैसे निकाला जाय ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—यह सूचना मेरे पास नहीं है ।

शाहजहांपुर नगरपालिका के अवक्रमण के लिये सिफारिश

*२४—**श्री सुरेन्द्रविक्रम** (जिला शाहजहांपुर)—क्या यह सत्य है कि शाहजहांपुर नगरपालिका के लिये राज्य सरकार ने तीन लाख रुपये रेलवे लाइन के ऊपर पुल के एप्रोचेज बनाने के लिये दिया था जो कि नगरपालिनका ने खर्च कर दिया और एप्रोचेज नहीं बन सके ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी नहीं ।

*२५—**श्री सुरेन्द्रविक्रम**—क्या यह भी सही है कि जिलाधीश शाहजहांपुर ने व कमिश्नर, बरेली ने नगरपालिका को सुपरसीड करने की राज्य सरकार से सिफारिश की है ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—वर्तमान समय में ऐसी सिफारिश शासन को नहीं की गई है ।

श्री सुरेन्द्रविक्रम---क्या माननीय मंत्री जी बतावेंगे कि ऐसी सिफारिश कब की गयी थी और वह क्या थी तथा उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---सन् १९६० में नगरपालिका, शाहजहांपुर के कार्य-कलापों के विरुद्ध चार शिकायती-पत्र थे, उन में जो नाम दिये हुए हैं, उनकी मार्फत आये थे। इन्क्वायरी कराई गई, जिलाधीश की रिपोर्ट आई और कमिश्नर ने भी रिकमेंड किया। उसे हम लोगों ने एग्जामिन किया लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि बोर्ड को सुपरसीड कर दिया जाय। इसलिये यह हिदायत दी गई कि कुछ दिन और आब्जर्व किया जाय और अगर इम्प्रूव नहीं करते हैं तो गवर्नमेंट को फिर लिखें। ऐसी स्थिति में यह काम चल रहा है।

श्री सुरेन्द्रविक्रम---क्या मंत्री जी को मालूम है कि शाहजहांपुर नगरपालिका में तनख्वाहें गवर्नमेंट ग्रान्ट्स और प्रावीडेंट फंड से दी जाती हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---यह शिकायत जरूर आई है कि आखिर में जो ग्रांट दी गयी थी उसे उन्होंने इस काम में खर्च कर लिया।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---जिन धाराओं में एक नगरपालिका सुपरसीड की जाती है, क्या वे शिकायतें उन धाराओं के अन्तर्गत हैं और वहां के सदस्यों ने सिफारिश की थी कि यहां अनियमिततायें ज्यादा चल रही हैं, इसलिये इस बोर्ड को सुपरसीड कर दिया जाय ? यदि हां, तो सरकार को सुपरसीड करने में क्या कठिनाई है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---यह समझा गया था कि इस बीच में चुनाव होकर दूसरा मैनेजमेंट हो गया था। यह भी सोचा गया कि शायद पहली गलतियां फिर न हों। इसके लिये आब्जर्व करने के लिये डी०एम० से कहा गया था।

रायबरेली जिले के वन क्षेत्र से पशुओं को कांजी हाउस भेजने में आय

*२६---**श्री रतीपाल** (जिला रायबरेली)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वन विभाग में कोई ऐसा नियम है कि यदि भूल से किसी किसान का जानवर वन-सीमा में जाय और उसे कांजी हाउस भेज दिया जाय तो उस जानवर को छुड़ाने के पहले रुपया देकर वन विभाग से लिखित आज्ञा लेकर कांजी हाउस में दुबारा निर्धारित जुर्माना अदा करने पर जानवर छोड़े जाते हैं ? यदि ऐसा नियम है, तो रायबरेली जिले में वन विभाग को इस नियम से वित्तीय वर्ष १९६१-६२ में कितने रुपयों की आय हुई है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---जी हां। इंडियन फारेस्ट ऐक्ट के नियम ६८ के अनुसार यदि कोई पशु वन सीमा के अन्तर्गत चरता हुआ पाया जाता है तो उक्त नियमानुसार उस पशु को कांजी हाउस भेज दिया जाता है। पशु मालिक को क्षति की पूर्ति करने पर कांजी हाउस के लिये पर्ची दे दी जाती है, कांजी हाउस वाले अपना जुर्माना लेकर पशु को छोड़ देते हैं।

इस नियम के अन्तर्गत वन विभाग को रायबरेली जिले से वित्तीय वर्ष १९६१-६२ में ९२४ रुपया की आय हुई है।

श्री रतीपाल---चूंकि ९०० रुपया २ साल में बहुत कम है, मंत्री जी फिर से जांच करावेंगे कि जंगल विभाग में इस बाबत बड़ा भारी गबन हो गया है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---यदि माननीय सदस्य कोई कंप्रिहेंसिव रिपोर्ट भेजें तो उस पर विचार किया जायगा।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—जितने पशु अब तक पकड़े गये हैं उनकी संख्या क्या है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—सूचना की आवश्यकता है ।

श्री राधेश्याम शर्मा—वन में पशुओं से हुए नुकसान का जो निर्धारित रेट लेते हैं वह किस अनुमान पर है या उसका कोई निश्चित पैमाना है ?

श्री अध्यक्ष—उसके लिये तो कानून बना हुआ है ।

*२७-२८—**श्री शिवनाथसिंह** (जिला कानपुर)—[१९वें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या १९०-१९१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

रायबरेली, वन विभाग में शीशम का बीज

*२९—**श्री रतीपाल**—क्या सरकार को ज्ञात है कि १९६१-६२ में रायबरेली जिले में वन विभाग द्वारा कितना बीज शीशम का तुड़वाया गया और उसमें कितना रुपया व्यय हुआ ? क्या वह बीज किसी अधिकारी की लापरवाही के कारण भीग कर खराब हो गया था ? यदि हां, तो उसे फिर से सुखाने, रखाने में कितना रुपया सरकार का मजदूरी में व्यय हुआ ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—सन् १९६१-६२ में रायबरेली जिले में १०९ मन २० सेर शीशम का बीज इकट्ठा कराया गया था और उसमें कुल खर्चा ५११ रु० ५० नये पैसे हुआ था । कोई भी बीज किसी अधिकारी की लापरवाही के कारण पानी से भीग कर खराब नहीं हुआ था ।

*३०—**श्री रतीपाल**—क्या संबंधित मजदूरों की मजदूरी अदा कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—जी हां ।

श्री रतीपाल—मेरी सूचना है कि ग्राम बाबूगंज बाजार में कम से कम ४५ बोरे शीशम का बीज सड़ गया है और मजदूरों को मजदूरी भी नहीं दी गई, क्या मंत्री जी इसकी जांच करावेंगे ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—ऐसी सूचना नहीं है । लेकिन जांच करा लेंगे ।

श्री उग्रसेन—जब बीज भीगा ही नहीं था तो उसे सुखाने के लिये मजदूरों को मजदूरी कैसे दी गई ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—बीज इकट्ठा किया गया था, उसमें मजदूरी लगी । १०९ मन २० सेर बीज इकट्ठा किया गया, वह कई जगह उपयोग में लाया गया । एक जगह १० मन राय बरेली जिले में.....

श्री अध्यक्ष—प्रश्न २९ में यह है कि क्या वह बीज किसी अधिकारी की लापरवाही के कारण भीग कर खराब हो गया था ? यदि हां, तो उसे फिर से सुखाने-रखाने में कितना रुपया सरकार का मजदूरी में व्यय हुआ ? आगे यह है कि क्या संबंधित मजदूरों की मजदूरी अदा कर दी गई है ? और यदि नहीं, तो क्यों ? आपने कहा कि जी हां । अगर खराब नहीं हुआ, भीगा नहीं, तो मजदूरी कैसी ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—वह भीग कर खराब नहीं हुआ । बल्कि उसे इकट्ठा करने में और कई स्थानों पर पहुंचाने में खर्च हुआ और उसकी सूचना मेरे पास है ।

श्री अध्यक्ष---आपका मतलब यह है कि संबंधित विभाग के मजदूरों को रुपया दे दिया गया है, यह नहीं कि सुखाने वालों को दे दिया गया है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---जी हां ।

चकिया, चन्दौली तहसीलों में राइस मिल्स

*३१---**श्री रामलखन वकील** (जिला वाराणसी)---क्या खाद्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले की चकिया एवं चन्दौली तहसीलों में किन-किन स्थानों पर राइस मिल (हालर एवं शैलर अलग-अलग) चल रही हैं ? प्रत्येक राइस मिल में सालाना कितना चावल कूटा जाता है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---चकिया तथा चन्दौली तहसीलों में स्थित राइस मिलों तथा उनमें कूटे जाने वाले धान का वार्षिक ब्योरा संलग्न तालिका में दिया है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ६४७ पर)

*३२---**श्री रामलखन वकील**---क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६० से १५ अक्तूबर, १९६२ के अन्दर उक्त तहसीलों में नयी राइस मिल्स के लाइसेंस के लिये कितनों को लाइसेंस दे दिया गया तथा कितने प्रार्थना-पत्र सरकार के विचाराधीन हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---सन् १९६० से १५-१०-६२ के अन्दर कोई भी लाइसेन्स नई राइस मिल के चलाने के लिये नहीं दिया गया । परमिट के लिये तहसील चन्दौली के ५ और तहसील चकिया के तीन प्रार्थना-पत्र सरकार के विचाराधीन हैं ।

तराई भावर वन खण्ड का बन्दोबस्त

*३३---**श्री देवीदत्त** (जिला नैनीताल)---क्या सरकार ऐसी छूट या रियायतों को देने का तराई-भावर वन खंड में भी रवैया अपनाने की कृपा करेगी जो कि रामनगर वन खंड में अपनाया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---छूट और रियायतों का निर्धारण प्रचलित प्रथा, वन की क्षमता, स्थानीय अवस्था तथा जनता की आवश्यकता इत्यादि के आधार पर वन बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा होता है । रामनगर वन खंड में बन्दोबस्त हो चुका है और वहां की स्थिति स्थिर हो चुकी है । तराई भावर वन खंड का बन्दोबस्त हो रहा है । यहां की पूर्ण स्थिति की रिपोर्ट वन बन्दोबस्त अधिकारी, बन्दोबस्त समाप्त होने पर भेजेगा और सरकार का निर्णय उसके आधार पर होगा ।

*३४---**श्री देवीदत्त**---क्या सरकार को यह विदित है कि तराई-भावर में जो वन बन्दोबस्त हो रहा है उसमें अधिकारियों ने गांव में प्रमाणित नक्शे के अन्दर भी वन विभाग के सरहदी पाये बना दिये हैं जिससे कि जनता को कष्ट हो रहा है ? क्या सरकार ऐसी अनुचित कार्यवाही न करने के आदेश देगी तथा अनुचित कार्यवाही करने वाले कर्मचारियों को दण्डित करेगी ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---जी नहीं । वनों की हदबन्दी वन बन्दोबस्त अधिकारी के निर्देश पर हो रही है । यदि कोई गलती उक्त संबंध में समझी गई है तो इन्डियन फारेस्ट ऐक्ट के अन्तर्गत वन बन्दोबस्त अधिकारी के न्यायालय में आपत्ति या एतराज प्रगट करने की व्यवस्था तथा वन बन्दोबस्त अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील की व्यवस्था है । बाकी प्रश्न नहीं उठता ।

श्री देवीदत्त---अध्यक्ष महोदय, मेरे पहले प्रश्न का तो उत्तर ही नहीं दिया गया है। दूसरे मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो कुछ रियायत लकड़ी वगैरह की गांव वालों को दी जाती है, उसमें से आधी से ज्यादा लकड़ी जंगलों में ही पड़ी रह जाती है ? अगर रह जाती है, तो क्यों ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---ऐसी कोई सूचना हमारे पास नहीं है ।

श्री देवीदत्त---क्या माननीय मंत्री जी के पास ऐसी भी सूचना है कि ऐसी जो लकड़ी रह जाती है वह दूसरे साल फिर नीलाम कर ली जाती है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---जी नहीं, ऐसी सूचना भी नहीं है ।

*३५---**श्री कल्याणचन्द मोहिले**---[१९वें गुरुवार के लिये प्रश्न १९२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

लखनऊ जिला जेल

*३६---**श्री द्विजेन्द्रनारायण** (जिला बाराबंकी)---क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ डिस्ट्रिक्ट जेल में प्रिजनरों से मिलने के लिये क्या जिला मैजिस्ट्रेट ने कोई ऐसा आदेश दिया है कि मित्र या साथी या एम० एल० ए० लोग नहीं मिल सकते ?

श्री गोविन्दसहाय---जी नहीं ।

*३७---**श्री द्विजेन्द्रनारायण**---सरकार को कोई शिकायत मिली है कि क्या जेल अधिकारियों का बर्ताव वहां के बन्दियों के प्रति बड़ी कठोरता का है ? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री गोविन्दसहाय---जी नहीं ।

छिबरामऊ टाउन एरिया को नगरपालिका न बनाना

*३८---**श्री कोतवालसिंह भदौरिया** (जिला फर्रुखाबाद)---क्या स्वायत्त शासन मंत्री दिनांक १५ अक्तूबर, १९६२ के प्रश्न संख्या ४० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन स्थानीय सम्मानित व्यक्तियों व विधान सभा के सदस्यों की आपत्ति पर छिबरामऊ, जिला फर्रुखाबाद टाउन एरिया, म्युनिसिपल बोर्ड में परिवर्तन न किया जा सका और वह कौन-कौन सी आपत्ति थीं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---छिबरामऊ के कुछ स्थानीय एम० एल० ए०, टाउन एरिया के प्रधान तथा वहां के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्ति सन् १९५९ में स्वायत्त शासन मंत्री जी से मिले और उन्होंने निवेदन किया कि टाउन एरिया को नगरपालिका में परिवर्तित करने के प्रश्न को फिलहाल स्थगित कर दिया जाय और जब तक पुनः मांग न हो तब तक न उठाया जाय । इसके अतिरिक्त छिबरामऊ के अनेकानेक निवासियों ने शासन के पास पत्र भेजे जिनमें उक्त प्रस्ताव का निम्नलिखित कारणों से विरोध किया गया---

(१) टाउन एरिया की आय में कमी तथा नये करों का लगना ।

(२) नगरपालिका बनने से छिबरामऊ के बाजार का बिगड़ जाना ।

(३) कस्बे में संचालित विकास योजनाओं पर प्रभाव पड़ना ।

(४) छिबरामऊ में ७५ प्रतिशत किसान रहते हैं जो गरीब हैं । नगरपालिका बनने से अधिक टैक्स लगेंगे और ये लोग टैक्स अदा न करने के कारण कस्बा छोड़ने पर बाध्य हो जायेंगे ।

(५) नगरपालिका के लिये चुनाव होने से संचालित कार्यों में बाधा पड़ेगी ।

उक्त स्थिति में प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया ।

नोट---तारांकित प्रश्न ३४ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

*३९—श्री कोतवालसिंह भदौरिया—क्या स्वायत्त शासन मंत्री दिनांक १५ अक्तूबर, १९६२ के प्रश्न संख्या ४१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि छिबरामऊ टाउन एरिया में कौन-सी कमी है और सरकार के सम्मुख क्या-क्या कठिनाइयां हैं जिसके कारण यह टाउन एरिया म्युनिसिपल बोर्ड में परिवर्तित नहीं हो सकती है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—टाउन एरिया छिबरामऊ से उसके नगरपालिका में परिवर्तित किये जाने की शासन के पास पुनः मांग प्राप्त हो गई है, जिस पर विचार हो रहा है।

नगरपालिका कर्मचारियों को भत्ता व पेंशन

*४०—श्री बृजेश्वरसहाय (जिला मैनपुरी) तथा श्री महरार्मसिंह (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार ने कोई आदेश (जी० ओ०) नगरपालिकाओं को भेजा है कि जो नगरपालिकायें चाहें वह अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता ५ रु० माहवार बढ़ा सकती हैं ? यदि हां, तो इस पर कितनी नगरपालिकाओं ने कितने कर्मचारियों को ५ रु० महंगाई बढ़ाई है और कितनी नगरपालिकाओं ने नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—महंगाई भत्ता नहीं वरन ५ रु० विवेक भत्ता (Discretionary allowance) दिये जाने को स्वीकृति दी गई है। सूचना एकत्र की जा रही है।

*४१—श्री बृजेश्वरसहाय तथा श्री महरार्मसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अन्य सरकारी कर्मचारियों को सरकारी एलाउन्स या सुविधायें इलाज कराने की दी जाती हैं वह सुविधायें नगरपालिकाओं के कर्मचारियों को भी दी जाती हैं या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी नहीं। शासन इस विषय पर विचार कर रहा है।

*४२—श्री बृजेश्वरसहाय तथा श्री महरार्मसिंह—क्या सरकार नगरपालिका के कर्मचारियों को रिटायर्ड होने पर प्राविडेंट फन्ड के बजाय उनको पेन्शन देने पर विचार करेगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां।

इलाहाबाद महापालिका की विकास योजनाएं

*४३—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद महापालिका के अन्तर्गत इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की नगर में इम्प्रूवमेंट करने की कौन-कौन-सी योजनाएं स्वीकृत हैं तथा उनमें कौन-कौन-सी योजनाएं अब तक पूरी हुई हैं तथा कौन-कौन-सी योजना पूरी होना बाकी है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इलाहाबाद महापालिका के अन्तर्गत इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की १० योजनायें राज्य सरकार से स्वीकृत हैं तथा उनमें से तीन योजनायें चर्च लेन हाउसिंग स्कीम, कीटगंज हाउसिंग स्कीम, तथा ४० फुट सड़क रोशनबाग से जी० टी० रोड तक बनाने की योजना पूरी हो चुकी है। सात योजनायें साउथ हाउसिंग स्कीम, ममफोर्डगंज हाउसिंग स्कीम, हेस्टिंग रोड हाउसिंग स्कीम, बैंक रोड हाउसिंग स्कीम, अलोपीबाग हाउसिंग स्कीम, फाउल टैंक गन्दी बस्ती सुधार योजना तथा सुल्तानपुर भावा हाउसिंग स्कीम पूर्ण होने को शेष रह गई है।

कीरतपुर नोटीफाइड एरिया

*४४—श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बतायेंगे कि क्या उन्हें टाउन एरिया, कीरतपुर, जिला बिजनौर का प्रार्थना-पत्र मिला है कि नगर की जन-संख्या को देखते हुए टाउन एरिया के स्थान पर म्युनिसिपल बोर्ड कर दिया जाय ? यदि हां, तो सरकार उस पर कब तक कार्यावाही करेगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां । सब बातों पर विचार करते हुये शासन ने यह उचित समझा कि कीरतपुर को म्युनिसिपल बोर्ड के बजाय दिनांक १ दिसम्बर, १९६२ से नोटीफाइड एरिया बना दिया जाय; कीरतपुर में १ दिसम्बर, १९६२ से नोटीफाइड एरिया बन चुकी है ।

*४५—श्री शराफत हुसैन रिजवी—[१८वें सोमवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*४६-४७—श्री नित्यानन्द पांडेय (जिला कानपुर)—[१८वें सोमवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*४८-५०—श्री उल्फतसिंह (जिला बदायूं)—[१८वें सोमवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*५१—श्री मुकंदीलाल बैरिस्टर—[१८वें सोमवार के लिये स्थगित गिया गया ।]

अतारांकित प्रश्न

मिर्जापुर जिला जेल का नलकूप

१—श्री ऊदल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मिर्जापुर जिला जेल में आज से ३ वर्ष पहले से जो ट्यूबवेल पानी पीने के लिये बनाया जा रहा था अब तक उस पर कितना रुपया खर्च हुआ है और अब तक ट्यूबवेल न बनने का कारण क्या है ?

श्री गोविन्दसहाय—ट्यूबवेल बन चुका है और उस पर १५,५०७ रु० और ४९ न० पै० व्यय हुआ है ।

बिजौली ब्लाक के ईंट भट्ठे

२—श्री बाबूसिंह (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला अलीगढ़, तहसील अतरौली, ब्लाक बिजौली में ईंट पकाने वाले कुल कितने भट्ठों को मान्यता दे रखी है, उनमें कितने परमानेंट और कितने टेम्पोरेरी हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—केवल ३ भट्ठों को मान्यता दे रखी है जो कि परमानेंट हैं । इसके अतिरिक्त २ टेम्पोरेरी भट्ठे भी चल रहे हैं ।

३—श्री बाबूसिंह—क्या सरकार ब्लाक बिजौली में जहां १५ मील तक कोई भट्ठा है ही नहीं वहां कोई भट्ठा खुलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—कोयले की कमी के कारण नये भट्ठे खुलवाना सम्भव प्रतीत नहीं होता है ।

मेरठ जिले में ईंट भट्ठे

४—श्री तेजसिंह (जिला मेरठ)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मेरठ जिले में लोनी रजापुर, मुरादनगर वाया छपरौली विकास ब्लाकों को सन् १९६०–६१ तथा १९६१–६२ में सार्वजनिक निर्माण-कार्यों में कोयला मिला है और उसके बदले में कितनी-कितनी ईंट किस-किस ग्राम सभा को दी गयी है ? क्या यह सही है कि भट्ठे वालों ने जितना कोयला लिया उसके बदले में कम ईंट दी और कन्ट्रोल से कीमत भी अधिक लगायी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—सूचना एकत्र की जा रही है ।

कवाल नगरों के आवारा कुत्ते

५—श्री छत्रपति अम्बेश (जिला आगरा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि "कवाल" शहरों में आवारा व पागल कुत्तों को पकड़ने व मारे जाने की क्या व्यवस्था है ? गत वर्ष में (१९६१) कितने कुत्ते पकड़े गये और कितने सरकार द्वारा मारे गये ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—प्रत्येक कवाल शहर में नगर महापालिका की ओर से एक टोली (गैंग) नियुक्त है जो महापालिका की सीमा के अन्दर घूमने वाले आवारा व पागल कुत्तों को पकड़ने तथा उनको मारने की कार्यवाही करती है । गत वर्ष में कानपुर में ८५०, इलाहाबाद में २,७१४, आगरा में १,०९० कुत्ते पकड़े गए और सभी मारे गए । लखनऊ में ४,३६९ कुत्ते पकड़े गये और ३,४१४ मारे गए । वाराणसी में १९६१ से अक्तूबर १९६२ तक ३,२४२ कुत्ते पकड़े गए और मारे गए ।

६–७—श्री शिवेन्द्रप्रताप (जिला सीतापुर)—[१८वें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या १३८–१३९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

बन्दी-गृह, कानपुर

८—श्री शिवनाथसिंह—क्या कारागार मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बन्दी गृह, कानपुर में कितने हवालाती बन्दी ६ माह से अधिक समय से बन्दी-गृह में हैं जिन के विरुद्ध अब तक अदालत में चार्जशीट नहीं दी गयी ?

श्री गोविन्दसहाय—जिला बन्दीगृह, कानपुर में ६ माह से अधिक समय से कोई हवालाती बन्दी ऐसा नहीं है जिसके विरुद्ध अब तक अदालत में चार्जशीट न दी गई हो ।

महापालिका, सेवा नियमावली

९—श्री कल्याणानन्द मोहिले—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के महापालिका के कर्मचारियों के सेवा नियम, ३ वर्ष महापालिका बने हुये हो गये अभी तक नहीं बने हैं ? यदि हां, तो क्या कारण है और कब तक सेवा नियम बन कर तैयार हो जायेंगे ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—महापालिका सेवा नियमावली का प्रारूप सन् १९६० में ही बना लिया गया था और नवम्बर, १९६० में उसको आपत्ति एवं सुझाव के लिए प्रकाशित कर दिया गया था । जो सुझाव तथा आपत्तियां प्राप्त हुईं उनकी संख्या अधिक थी । उन पर विचार कर लिया गया है । सचिवालय के संबंधित विभागों से भी परामर्श करना था और न्याय विभाग द्वारा उनका पुनरीक्षण कराना आवश्यक था जिसकी वजह से कुछ अधिक समय लगा । अब यह कार्य करीब-करीब पूरा हो गया है और आशा है कि नियमावली को अन्तिम रूप से शीघ्र ही प्रकाशित कर दिया जायगा ।

महापालिका सदस्यों की मांगें

१०—**श्री कल्याणचन्द मोहिले**—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ महापालिका ने प्रत्येक सभासद के लिए टेलीफोन तथा भत्ते की मांग की है ? इस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—लखनऊ नगरमहापालिका से यह दोनों मांगें आई थीं। आगरा महापालिका ने केवल सभासदों के निवास स्थान पर टेलीफोन लगवाने की मांग की थी। इलाहाबाद से ऐसी कोई मांग प्रस्तुत नहीं हुई। इन मांगों पर शासन ने विचार करके यह निर्णय लिया कि महापालिका के सभासदों के लिए टेलीफोन की व्यवस्था करना वर्तमान परिस्थितियों में सम्भव नहीं है। जहां तक भत्ता देने का प्रश्न है महापालिका अधिनियम में उसके लिए कोई प्राविधान नहीं है।

दहगवां में सीमेंट का वितरण

११—**श्री उल्फतसिंह**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बदायूं के ब्लाक दहगवां के ग्रामों के मकान और कुंआ बनवाने के लिए सन् १९६१-६२ में कुल कितने सीमेंट के परमिट दिये गये ? इनमें से ग्राम दहगवां खास अकेले के लिए कितने परमिट दिये गये ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—कुल २३० परमिट दिये गये। उनमें से ग्राम दहगवां खास को ५७ सीमेंट के परमिट दिये गये।

बाराबंकी जिले के लिए सीमेंट

१२—**श्री गिरजाप्रसाद** (जिला गोंडा)—क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बाराबंकी में एक अप्रैल, १९६२ को सीमेंट का स्टाक कितना था और एक अप्रैल, १९६२ से अब तक कितनी सीमेंट बाहर से आई ? कितनी प्रतिशत सीमेंट व्यक्तिगत आवश्यकता वालों को बांटी गई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—१ अप्रैल, १९६२ को जिला बाराबंकी में २,३७१ बोरी सीमेंट का स्टाक था। १ अप्रैल, १९६२ से अब तक ४१,५३० बोरे सीमेंट बाहर से आई। ४० प्रतिशत व्यक्तिगत आवश्यकता वालों को बांटी गई।

द्वितीय विधान सभा की आश्वासन समिति का चौदहवां तथा पन्द्रहवां प्रतिवेदन †

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं द्वितीय विधान सभा की आश्वासन समिति का १४वां तथा १५वां प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करता हूं। ये प्रतिवेदन उन आश्वासनों से सम्बन्धित हैं जो क्रमशः ३१ जुलाई, १९६१ से ६ मार्च, १९६२ तथा २१ अक्तूबर, १९५५ से २७ मार्च, १९५७ तक की अवधि में सदन में दिये गये थे।

इनके सम्बन्ध में मैं इन बातों को दोहरा कर सदन का समय नहीं लेना चाहता क्योंकि साइक्लोस्टाइल प्रतियां माननीय सदस्यों की सूचनार्थ पीजनहोल में रख दी गयी हैं। मैं सदन का समय लेना उचित नहीं समझता क्योंकि यह तो बहुत पुरानी आदत है जिसे लिखना या कहना कदाचित कोई अर्थ नहीं रखता क्योंकि इसकी शिकायत जो प्रायः सभी प्रतिवेदनों में की जाती है पर फिर भी यह शिकायत ज्यों की त्यों बाकी रह जाती है। मैं सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि प्रथम विधान सभा में दिये गये कुछ आश्वासनों की

---

†छापे नहीं गये।

[कुंवर श्रीपालसिंह]

अभी तक पूर्ति नहीं हो पाई है। इन आश्वासनों को दिये गये ६ वर्ष अथवा उससे अधिक का समय व्यतीत हो चुका है, फिर भी इनकी पूर्ति की दिशा में कोई निर्णय न ले सकना आश्चर्य का विषय है। उदाहरणार्थ २१-३-५६ को श्री रामसुन्दर पांडेय के प्रश्न पर यह आश्वासन दिया गया था कि जिला बोर्ड की सब्सीडाइज्ड एलोपेथिक डिस्पेंसरी के डाक्टरों का वेतन-क्रम बढ़ाने का प्रश्न विचाराधीन है। आश्वासन समिति ने अपने ११ वें प्रतिवेदन पर विचार करते समय यह अपेक्षा की थी कि विभाग इस पर शीघ्र कार्य कर के समिति को उससे अवगत करायेगा। समिति को खेद है कि इतना अधिक समय बीत जाने पर और समिति की संस्तुति होने पर भी इसकी पूर्ति की दिशा में कोई विशेष कार्यवाही नहीं की गई है। मैं आशा करता हूं कि यदि आश्वासनों की पूर्ति कराने में मंत्रिगण कुछ रुचि लिया करें तो यह कार्य शीघ्र सम्पन्न हो सकता है।

अन्त में प्रतिवेदन को समाप्त करने से पूर्व मैं समिति से सम्बन्धित सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को उनके सहयोग तथा कठिन परिश्रम के लिये धन्यवाद देता हूं।

श्रीमन्, यह प्रतिवेदन चूंकि साइक्लोस्टाइल करा के कबूतरखाने में रख दिया गया है और उसको सभी माननीय सदस्य देख लिये होंगे इसलिये उसके विषय में कुछ कह कर मैं अधिक समय लेना नहीं चाहता इसलिये मैं संक्षेप में कहता हूं कि छपने के बाद यहां रख दिया जायगा।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--नियम ५२ के अन्तर्गत दो सूचनायें आई थीं, एक माननीय सुदामाप्रसाद गोस्वामी की है और दूसरी श्री काशीनाथ मिश्र की है। मैंने माननीय काशीनाथ मिश्र की सूचना माननीय मंत्री जी के पास भेज दी है, लेकिन वह नियम ५२ के अन्तर्गत नहीं बल्कि केवल उचित कार्यवाही के हेतु ही भेजी है ताकि सूचना हो जाय। जो उन्होंने लिखा है वह मैं पढ़ कर सुनाये देता हूं।

"कुछ दिन पहले चीनी दूतावास के कुछ सदस्य नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ होते हुए उत्तर प्रदेश की सीमा को पार करना चाहते थे, लेकिन ड्यूटी पर मुस्तैद पुलिस के जवानों और पी० ए० सी० के सैनिकों ने बगैर किसी ऊपरी आदेश के केवल अपने द्वारा उन्हें रोका और लौटा दिया। सी० डी० प्लेट लगी हुई कार पर वे लोग सवार थे। ऐसी संकटकालीन स्थिति में चीनी दूतावास की यह पार्टी यहां तक कैसे पहुंच गई इस पर उत्तर प्रदेश सरकार की सुरक्षा नीति और जासूसी विभाग के प्रति व्यापक क्षोभ और असंतोष की भावना उत्तराखंड के लोगों में व्याप्त है।...."

अब जासूसी विभाग या इंटेलीजेंस विभाग आल इंडिया बेसिस पर है। लेकिन यह विषय ऐसा था मैंने इनको मंत्री जी के पास भेज दिया है इसके ऊपर भाषण दे कर उचित कार्यवाही करें।

दूसरी सूचना माननीय सुदामा प्रसाद गोस्वामी की है इसको मैंने नियम ५२ में स्वीकार नहीं किया, केवल वक्तव्य दिया जायगा। उनका कहना यह है कि झांसी में एक व्यक्ति मारा गया, श्री काशी प्रसाद द्विवेदी के मुख्तार श्री प्रागी लाल तिवारी निवासी ग्राम सिमरधा मौजा ढिवकई में रास्ता चलते शाम को लगभग ७बजे मारे गये और अब पुलिस उन्हीं के परिवार को परेशान कर रही है। मैंने इसको केवल वक्तव्य के लिये भेज दिया है।

सरकारी कर्मचारियों की अवकाश प्राप्ति की आयु ५५ वर्ष से बढ़ा कर ५८ वर्ष करने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष--अब मुख्य मंत्री मद ७ के सम्बन्ध में वक्तव्य देंगे।

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसन)---मुख्य मंत्री जी अभी अपर हाउस में गये हैं.....

श्री अध्यक्ष---तो कौन बयान देगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---अभी हमने उनसे मशविरा नहीं किया, आज देंगे कि नहीं ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)---श्रीमन्, यह तो एजेन्डे पर है इसका तो वक्तव्य मिलना चाहिये ।

श्री हुकुमसिंह विसेन---वहां जरूरी काम पड़ गया इसलिये चले गये । बाद को ले लीजियेगा ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---श्रीमन्, अगर इस किस्म की बात थी तो उनको चाहिये था आपसे कह कर जाते । इस किस्म की हरकत तो बहुत ही अपमानजनक चीज है ।

श्री हुकुमसिंह विसेन---आज अपर हाउस मीट कर रहा है .....

श्री अध्यक्ष---माननीय राजस्व मंत्री जी, यह ठीक है, लेकिन उचित यह था कि इस सम्बन्ध में मुझे सूचना दे दी जाती कि आज इस समय मैं वक्तव्य नहीं दे सकूंगा और किसी समय दूंगा । मैं आशा करता हूं जब एक बात सूची में आ जाय तो उसी क्रम से ली जायगी जिस क्रम में सूची में दिया हुआ है, जब तक संबंधित मंत्री या व्यक्ति मुझे सूचना न दे दें कि किसी कारणवश वह न लिया जाय । भविष्य में, मैं आशा करता हूं कि सरकार इस बात का ध्यान रखेगी और मैं जानना चाहूंगा कि आज इसका उत्तर दिया जायगा कि नहीं ? और अगर नहीं, तो क्यों ?

प्रदेश में अनाज की दरों में कमी और अन्य वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत रसद मंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष---माननीय रसद मंत्री वक्तव्य देंगे ।

रसद मन्त्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)---अध्यक्ष महोदय, गत कई वर्षों से इस बात की बराबर चेष्टा करते आये हैं और यही हमारे प्रदेश के निवासियों की तथा सदन के सदस्यों की इच्छा थी कि कीमतें बहुत बढ़ गई हैं और उसके लिये बराबर प्रयत्न करते आये हैं कि यह कीमतें घटें । मगर इतनी न घटें कि काश्तकार को नुकसान पहुंचे । यह बात सही है कि इस साल कुछ कीमतों में गिरावट आयी खाद्यान्नों की अगर वह लगभग १.५० न० पै० से लेकर २ रु० प्रति क्विन्टल के हिसाब से कभी मालूम होती है । इस वक्त दफा ५२ की नोटिस में यह दिखाया गया है कि किसानों की उपज की कीमत बहुत घट रही है मगर अन्य चीजों की बढ़ रही हैं जिससे किसानों को नुकसान पहुंच रहा है । जहां तक किसानों की उपज का सवाल है अरहर, उर्द और मसूर इन तीनों की कीमतें बहुत बढ़ी हैं, लेकिन गेहूं और जौ की घटी हैं, चने और ज्वार की बढ़ी हैं । चावल की कीमत नहीं बढ़ी है । तो इस वक्त जहां तक खाद्यान्नों का सवाल है कुछ चीजों में कीमतें बढ़ी हैं, कुछ में घटी हैं । मगर जिस औसत को हम चाहते थे वह औसत करीब-करीब एक-सा है । यह गिरावट कैसी है फसल आई है और हर साल इस तरह की गिरावट आती है ।

[श्री जगमोहनसिंह नेगी]

मुझे अफसोस एक बात का है कि पहले ३० रुपये भाव था तो बहुत हल्ला था कि घटाइये। घटाने को कहा गया तो जवाब दिया गया कि तुम्हारे बलबूते का नहीं और घटेगा नहीं। और अब जब घटा है तो कह दिया कि बहुत घट गया। लेकिन जिस औसत तक हम घटाना चाहते हैं उस औसत तक वह घटा है। इससे आप बिलकुल मुतमइन रहें कि काश्तकार को किसी तरह का नुक्सान नहीं होगा। अभी हाल में रुद्रपुर वगैरह से राइस का जो भाव आया है वह ठीक है, मगर जहां तक पेडी व धान की बात है उसमें कुछ गिरावट आई है। गत वर्ष भी आई थी। हमने आगरा में जो कमी के क्षेत्र हैं वहां के लिए एक्सपोर्ट परमिट दे दिये हैं और हमें आशा है कि १० रुपये मन से नीचे किसी प्रकार पेडी की कीमत नहीं आयेगी। खांडसारी में थोड़ी बहुत गिरावट हुई है। उन्होंने जो बतलाया कि मसाले वगैरह में बहुत ज्यादा किसान को देना पड़ रहा है तो हमने अपनी तालिका देखी और पाया कि मसालों के दाम भी गिर गये हैं, चढ़े नहीं हैं। मैं प्रति क्विंटल की प्राइसेज आपको देता हूं। धनिया ३६ रुपये से ३२ रुपये, हल्दी ९० रुपये से से ८० लाल मिर्च ११६ से ११० काली मिर्च १,०८० से १,०००, तौंग ५२ से ४८, सौंफ ५२ से ४८, जीरा १७० से १६० और इलायची १३० से १२० रुपये पर आ गयी। तो मसाले के दाम बढ़े नहीं, घटे ही हैं। चावल की बात बतला दूं कि कीमतें यों भी गिर नहीं सकती हैं। गत वर्ष तक १ लाख टन के करीब चावल की खरीदारी करते थे इस वर्ष डेढ़ लाख कर दिया है। इसलिये भाव बढ़ेगा नहीं। सरकार को यह ज्ञात हुआ कि कपड़ा फुटकर विक्रेताओं द्वारा छपे हुए दामों पर नहीं बेचा जाता है तो इस बात को रोकने के लिये लाइसेंसदारों को यह आज्ञा दे दी गयी थी कि वह खरीददारों को कैश मिमो दें जिसमें कपड़े की किस्म, कपड़े के दाम, बेचने की तिथि सीधे-सीधे अंकित हो। परन्तु कपड़ों पर जो दाम डाले जा रहे हैं वह इंडिया काटन मिल्स फेडरेशन की स्वेच्छा दाम नियंत्रण योजना है। यह टेक्सटाइल कमिश्नर तथा केन्द्रीय सरकार की अनुमति से डाले जाते हैं। क्योंकि ऐसा करना किसी कानून के अन्तर्गत नहीं है इसलिये बिक्रेता को छपे हुये दामों की परवाह न करने के लिये कोई कानूनी कार्यवाही उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में नहीं की जा सकती है क्योंकि ऐसा करने में किसी कंट्रोल आर्डर की अवहेलना नहीं होती है। इसलिये जाहिर है कि किसी फुटकर बिक्रेता द्वारा मूल्य नियंत्रण योजना की अवहेलना करने के लिये कोई कार्यवाही उसके विरुद्ध नहीं हो सकती। कपड़ा भारत सरकार के नियंत्रण में है इसलिये राज्य सरकार दामों पर कोई नियंत्रण नहीं लगा सकती है। इसलिये रुई के कपड़ों के विषय में जिलाधीश टेक्सटाइल्स कमिश्नर को समय-समय पर अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं जो कि स्थिति पर दृष्टि रखते हैं। ऊनी कपड़ों की स्थिति भी भारत सरकार को सूचित कर दी गयी है ये चीजें चूंकि उनके कंट्रोल में हैं हम केवल उनको सूचित कर सकते हैं वह हमने कर दिया है।

सीमेंट, जैसा कि मैंने कहा, इसकी स्थिति बहुत संतोषजनक नहीं है और अब वैगन्स की कमी के कारण इसकी कमी और बढ़ती रहेगी। जहां तक कीमतों का सवाल है, वह तो कंट्रोल्ड है, बढ़ नहीं सकती। इसलिये इसमें भी किसान को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम करीब-करीब ६० परसेंट किसानों को देंगे और ४० परसेंट के करीब सिविल डिफेन्स के लिये रखेंगे और उसमें भी जो बचत होगी वह किसानों को दी जायगी।

लोहा भी कंट्रोल्ड है इसलिये इसकी भी कीमत बढ़ने का प्रश्न नहीं उठता।

कोयला यद्यपि भट्ठों को खास तौर पर उपलब्ध हो जायगा, सुरक्षा के लिये नहीं रहेगा मगर चूंकि ईंटें हमें सिविल डिफेन्स और डिफेन्स परपजेज में देना है और जो तैयार हैं वह उनको पहले दी जायगी इसलिये सम्भव है कि एक, दो महीने तक साधारण जनता को ईंटें न मिल सकें।

मिट्टी के तेल की बाबत आपने खासतौर पर जिक्र किया। तो कल ही प्राइस कंट्रोल आर्डर यहां से जारी हो गया है। भारत सरकार द्वारा मिट्टी का तेल सस्ती दुकानों द्वारा वितरित

करने पर विचार किया गया परन्तु यह सम्भव नहीं था क्योंकि उत्तर प्रदेश में मिट्टी के तेल की खरीद एवं बिक्री पर नियंत्रण नहीं है। इसके खरीददार अधिकतर निर्धन लोग हैं जो थोड़ी-थोड़ी मात्रा में खरीद किया करते हैं और उनके लिये खाद्यान्नों की भांति मिट्टी का तेल खरीदना सम्भव नहीं है। इस सम्बन्ध में केवल तीन जिलों से ही, मथुरा, मैनपुरी और फतेहपुर से पता चला कि वहां पर मिट्टी के तेल की कीमतें कुछ बढ़ी हैं और आखिरी हद ८ आने तक पहुंच गयी। खैर जो कुछ भी हो, मैं बता रहा हूं और हर जिले की रिपोर्ट है और कहीं पर यह बात मालूम नहीं होती है कि कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ी हैं। आप कहते हैं बढ़ी हैं, मैं उसको स्वीकार करता हूं और इसीलिये कह रहा हूं कि कल से प्राइस कंट्रोल आर्डर लागू हो गया है। हमें जिस समय मालूम हुआ कि मिट्टी के तेल में गड़बड़ी होने की सम्भावना है तो हमने उनके एजेंट्स को बुलाकर मालूम किया था कि तेल अंडर ग्राउन्ड गया या ओवरग्रान्ड है। उन्होंने बताया कि वैगन्स नहीं मिले इसलिये दिक्कत हुई। तेल की कोई कमी नहीं है। केवल मूवमेंट की कमी थी। अब उन्होंने यह कर दिया है कि.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---मंत्री जी आप उन्हें न सुनें तो वे आपको सुनने लग जायंगे।

श्री जगमोहनसिंह नेगी---हमने जो कीमत मुकर्रर की है वह एक बेस पर लगाई जायगी कम्पनी के गोदाम की लिस्ट सेल प्राइस, रेल का भाड़ा आदि एजेन्ट का कमीशन तथा डिलीवरी आदि के चार्जेज लगाकर हर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कीमत मुकर्रर करेगा। अब आगे के लिये कीमत बढ़ने का कोई डर नहीं है। दुकानों की कमी के कारण ३०-३५ फीसदी की सप्लाई की कमी की उम्मीद थी। अब लखनऊ, कानपुर, झांसी, वाराणसी, बरेली, आगरा, मुरादाबाद, मेरठ और सहारनपुर में मिट्टी के तेल की डिपो बनाई जायंगी और जिसमें तेल का डम्प रहेगा जिससे आवश्यकता पड़ने पर अगर गाड़ियां न मिलें तो भी तेल मिलता रहे। इस से वैगन की परेशानी भी आपके सामने नहीं आयेगी। इसके फलस्वरूप मिट्टी के तेल के दामों में एजेन्ट्स ने विश्वास दिलाया है कि थोक व्यपारियों को इस विषय में आदेश दे दिये हैं कि कम्पनी द्वारा निर्धारित मूल्य से दाम अधिक न लें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जायगा। यह कम्पनी की तरफ से और हमारा आर्डर भी है। मिट्टी के तेल के होर्डिंग को रोकने के लिये तेल कम्पनियों को आदेश दे दिया गया है कि ६ महीने के आधार पर स्टाकिस्ट्स को मिट्टी का तेल दें। इसकी सूचना जिलाधीशों को दे दी गई है और उनसे कहा गया है कि अपने जिले की सूचना बतायें। अभी हाल में मिट्टी के तेल के मूल्य और वितरण का आर्डर पास कर दिया गया है और सरकार परिस्थिति का सामना करने के लिये तैयार है।

हम राशनिंग इसलिये कर रहे हैं कि अभी हाल में मुझ से मथुरा के कुछ साथी मिले थे और उन्होंने मुझ से कहा था कि राशनिंग की आवश्यकता नहीं है और स्थिति ऐसी है कि इसकी जरूरत नहीं है। मगर हम आगाह कर देना चाहते हैं कि हम मल्टी परपज कार्ड्स तैयार करा रहे हैं और जब भी हम समझेंगे कि किसी वस्तु के भाव बढ़ेंगे या होर्डिंग की प्रवृत्ति आई है तो हम तुरन्त ही फेयर प्राइस शाप्स खोल देंगे और उनको मौका नहीं देंगे और इससे उनका ही नुकसान होगा।

जहां तक यह कहना है कि मिट्टी के तेल के जिलों में दाम बढ़े, रायबरेली में नार्मल है, बुलन्दशहर में तीन नये पैसे बढ़ा और गोंडा में अभी उम्मीद है, शायद बढ़ जाय, कानपुर में नो इनक्रीज, पिथौरागढ़ में नो राइज, मेरठ में जरा सा बढ़ा। सिर्फ आपके मथुरा में आठ आने तक बढ़ गया। कोई भी कारण हो। तो जैसा मैंने आपसे कहा आप बिलकुल निश्चिन्त रहें। अगर हम फौरन ही कंट्रोल लगा देते तो आप कहते कि आप कंट्रोल के माफिक हैं। करप्शन पैदा करवा दिया है। हम अपनी मशीन ठीक रखे हुए हैं और वह सारे उपाय कर

[श्री जगमोहनसिंह नेगी]

रहे हैं और मैं आश्वासन देता हूं कि किसी तरह से किसी चीज में प्राइस बढ़ नहीं सकती है। इस का आप इतमीनान रखें। जब कि ३० रुपया मन गेहूं आपने कहा था, तो आपने कहा था कि आप की यह विशफुल थिंकिंग है लेकिन आज आप कहते हैं कि गेहूं इतना घट गया है कि काश्तकार को ठीक पैसा नहीं मिलता। हम आश्वासन देते हैं कि रीजनेबिल लेविल पर हम रखेंगे। भगवान चाहेगा तो रहेंगी और कमोडिटीज में कोई राइज नहीं हो सकता है। आप इत्मीनान रखें। किसी चीज में घबड़ा कर कंट्रोल कर देना उचित नहीं है। इसमें व्यग्रता दिखाना उचित नहीं है। मुझे कहने नहीं दिया पहले से ही हल्ला करने लगे। समझदार व्यक्तियों के लिये जिन पर जिम्मेदारी है कंट्रोल रहे या न रहे, वह इस तरह से व्यग्रता दिखाएं, यह समझ में नहीं आता। मैं आपसे अपील करता हूं कि सारी बातों की वस्तु स्थिति समझ कर जो उचित कदम है, सरकार ने उचित कदम उठाया। यह वह सरकार है जो किसी भी स्थिति का उचित तरीके से मुकाबला कर सकती है। आप बिलकुल निश्चिन्त रहें।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—माननीय मंत्री जी ने कहा कि कृषि के मूल्यों को एक लेविल पर लाने के लिए गिराना चाहते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि वह किस लेविल तक कृषि उत्पादन के मूल्यों को गिराना चाहते हैं और उस मूल्य निर्धारण का क्या आधार रखना चाहते हैं, उत्पादन मूल्य पर या मुनाफे पर, या बिलकुल ऐटरैंडम, जितना चाहें गिरा दें ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—चावल की कीमत, जो राइस कंट्रोल की कीमत फिक्स है, १७, १८, १९ रुपये, उस पर रखना चाहते हैं। गेहूं १३, १४, १५ रुपये प्रति मन रखना चाहते हैं। इससे नीचे गिरेगा तो प्राइस सपोर्ट देंगे।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—मैंने दूसरा प्रश्न किया था कि उसका आधार उत्पादन मूल्य है या कुछ मुनाफा होना चाहिए, क्या आधार है ? वह जवाब नहीं मिला।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—इसका आधार, गवर्नमेंट आफ इंडिया से और एक्सपर्ट्स से बात करके बनाया है। यह उपभोक्ता और उत्पादन दोनों के लिए रीजिनेबिल प्राइस है। उसके उत्पादन में लगभग इतना ही लगता है, काश्तकार किस कीमत पर पैदा कर लेता है उसके ऊपर कनवर्ट करके, रीजनेबिल प्राइस फिक्स की गयी है।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मूल्य नियन्त्रण करने के लिए सरकार के पास क्या योजना है ?

श्री अध्यक्ष—अब इतनी तो बातें उन्होंने बतलायीं, उसे फिर से दोहरायें ? जो योजना थी वह उन्होंने बता दी, उस योजना के सम्बन्ध में कुछ पूछना हो तो पूछें ?

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—मान्यवर, मन्त्री जी के आश्वासन के बावजूद यह बात बहुत साफ है कि बहुत सी जीवन के लिए उपयोगी वस्तुओं के मूल्य बढ़े हैं, उन्होंने स्वयं अपने बयान में भी उसे कबूल किया है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जीवनोपयोगी वस्तुओं का मूल्य न बढ़े इसके सम्बन्ध में कोई योजना उनको केन्द्रीय सरकार से भी प्राप्त हुई है जिसमें मेरी सूचना के अनुसार इस बात की सिफारिश की गई है कि उपभोक्ता भंडार या प्राइस फिक्सेशन बोर्ड आदि इस प्रकार की चीजें इस परिस्थिति में बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—अध्यक्ष महोदय, पता नहीं माननीय सदस्य सुन रहे थे या नहीं सुन रहे थे या हल्ले में शायद न सुन पाये हों, मैंने पहले ही कह दिया कि किसी चीज की कीमत नहीं बढ़ रही है। मैंने कहा कि, दो, एक रुपये प्रति क्विन्टल लगभग सभी खाद्यान्नों में गिरावट हुई है और नमक मसाले इत्यादि सबका मैंने बताया। तो बढ़ने की बात कहां है,

श्री रामायणराय—मैंने कहा कि केन्द्रीय सरकार से कोई इस तरह की योजना प्राप्त हुई है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से कोई आपको इंस्ट्रक्शंस मिले हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—अध्यक्ष महोदय, हमारे उनके बीच पत्र-व्यवहार वगैरह तो बराबर चलते रहते हैं, पचासों किस्म की बातें चलती रहती हैं। लेकिन स्थिति यह है कि कीमतों में कहीं कुछ बढ़ नहीं रहा है। मिट्टी के तेल का मालूम हुआ तो उसके लिए इन्तजाम हमने किया।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—क्या माननीय खाद्य मन्त्री इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सहारनपुर के अन्दर चावल की बहुत बड़ी मन्डी है, वहां से हजारों ट्रक चावल महीने में आगरे के मार्फत बाहर के प्रान्तों में चला जाता है, और वहां पर कीमत जो सरकार ने निर्धारित की है वह १७–१८ और १९ रुपये के हिसाब से परची जरूर कटती है, लेकिन वास्तव में २१ से ३१ रुपये तक के भाव में अनाज बिकता है और वह सारा अनाज मध्य प्रदेश को आगरा के रास्ते होता हुआ प्रान्त से निकल जाता है, तो इसकी रोकथाम के लिए कोई व्यवस्था करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—अध्यक्ष महोदय, अभी मैंने पढ़ कर सुना दिया जैसा कि रामायण राय जी कहते थे, फेयरप्राइस शाप्स ५–६ हजार हमारी चल रही हैं और कीमतों को बराबर रखने के लिए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को आर्डर्स हैं कि वह उनको ठीक रखें और कन्ज्यूमर्स कोआपरेटिव स्टोर्स वगैरह का सब इन्तजाम है। रहा जो प्रश्न अभी आपने किया है कि हमारे प्रदेश से बाहर को चला जाता है, स्मग्लिंग होती है, यह आपके कहने का तात्पर्य है। तो वैसे तो वहां पर आगरे से धौलपुर जाने के लिए जो स्थान है वहां की पुलिस की भी और हमारी भी चौकियां हैं और स्क्वाड्स जाते रहते हैं वहां पर। तो हम तो आशा करते हैं कि नहीं जाता होगा। पिछले साल गया था तो एक केस पकड़ा गया था राजस्थान में। तो मुमकिन है कि कुछ निकलता हो लेकिन जैसा कि आप कहते हैं कि १७ के बजाय २१–२२ में बिक रहा है तो खाद्यान्नों के भाव गिरने का अभी प्रश्न आया था, तो उससे तो उसके लिए लाभ ही है, लेकिन मेरा खयाल है कि ज्यादा जा नहीं रहा है, अगर जा रहा है तो बहुत कम जा रहा होगा और हम सतर्क हैं कि जाने न पाये।

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—माननीय मन्त्री जी ने आश्वासन दिया कि खाद्यान्नों का मूल्य १० रु० मन के नीचे नहीं गिरने पायेगा तो मैं जानना चाहता हूं कि बस्ती जिले में मेरे क्षेत्र में किसान दस रुपये मन अपना धान देने के लिये तैयार है, इस समय वहां भाव ६, ७, ८ रुपये मन से ज्यादा नहीं है, तो वह क्या व्यवस्था कर रहे हैं उन किसानों से उस भाव पर खरीदने के लिए जिसका कि आश्वासन उन्होंने सदन को दिया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—यदि माननीय सदस्य मुझे पहले लिख कर दे देते तो मैं उनका कुल धान किसी मिल में आगरा या मैनपुरी या जहां कहीं आवश्यकता होती वहां भिजवा देता।

श्री भानुप्रतापसिंह—मैंने एक पत्र माननीय खाद्य मन्त्री जी को लिखा था जिसकी प्राप्ति की मेरे पास सूचना है, लेकिन मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता कि पीछे क्या हुआ। आगे यदि वह इसके लिये तैयार हैं तो मैं अब भी उसके लिये तैयार हूं। वहां के किसानों का बड़ा उद्धार होगा और वहां से १, २ हजार मन नहीं, बल्कि १० हजार मन तक गल्ला मिल सकता है।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)--जो मन्त्री जी ने रपट पेश की है वह नगरों के सम्बन्ध में है। जहां तक मुझे जानकारी है देहात में मिट्टी का तेल सूबे भर से तिगुना और चौगुना तक हो गया है और एक बोतल २ रुपये और पौने दो रुपये में बिकी है तो क्या मन्त्री जी जिलाधीशों को आदेश देंगे कि मिट्टी के तेल की कीमत किसी प्रकार न बढ़ने दें ?

श्री अध्यक्ष--इस सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि ज्यादा अच्छा यह हो कि आप किसी विशेष स्थान की बात कह दें कि अमुक स्थान पर इस हिसाब से बिक रहा है तो वह फौरन कार्यवाही कर सकते हैं।

श्री राधेश्याम शर्मा--क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि मथुरा जिले में २ रुपये में मिट्टी के तेल की एक बोतल बिकी ? तो क्या माननीय मन्त्री जी इस सम्बन्ध में जांच करके उचित कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--जब बाजार में ८ आने बोतल का भाव हुआ तो देहात में दाम कुछ और ज्यादा बढ़े होंगे। इसलिये मैंने कहा कि प्राइस कंट्रोल आर्डर कल से लागू हो गया है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)--क्या मन्त्री जी बतलायेंगे कि जब कि केन्द्रीय सरकार ने लखीमपुर में जूट का भाव ३० रुपये मन तय किया और आज वहां पर पर मिल मालिक ३० रुपये प्रति मन न खरीदकर १५ रुपये मन के हिसाब से खरीद रहे हैं और दूसरी तरफ जो जूट मिल का सामान है वह उसी कीमत पर है, मिसाल के लिये बतलाऊं कि बी० १२ जट का बना हुआ सामान इंडस्ट्रीज विभाग ने इस संकट के समय में मिलमालिकों से भी उसी भाव पर खरीदा है तो इसका क्या कारण है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--इस नियम १२ के प्रस्ताव में जूट का जिक्र नहीं था। इसलिये मैं उसके विषय में नहीं कह सकता।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)--मन्त्री जी ने आश्वासन दिया था कि वह रीजनेबिल लेविल पर प्राइस रखेंगे तो मैं यह जानना चाहता हूं कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस और मिल प्रोड्यूस की प्राइस में उचित औसत रखेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--औसत समझकर ही गेहूं और चावल की कीमत को फिक्स किया गया है।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)--क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस संकट के आने से पहले मिल की उपज से किसानों की उपज का औसत बहुत कम पड़ा। इससे दोनों के परसेन्टेज में औसत बहुत कम आया है। तो क्या सरकार कोई खास ठोस कदम उठायेगी कि दोनों उपज एक पैरिटी पर आ जायं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--जैसा व्योरेवार उत्तर दीपनारायण जी चाहते हैं उसके लिये तो सूचना की आवश्यकता होगी मगर इतना मैं आप को बताना चाहता हूं कि जिस वक्त से प्राइस फिक्स की गई उस वक्त से बावजूद इसके कि वितरण की कोशिश की गई, दोनों की पैरिटी मेन्टेन्ड है। सबसे बड़ी बात यह है कि डिसपैरिटी खाद्यान्न में थी यानी जिस समय चावल की सबसे ज्यादा कीमत होती है उसके बजाय गेहूं की थी तो पैरिटी मेन्टेन रही।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)--जहां तक मन्त्री जी ने प्राइस की बात की उसका असर ग्रेन और और धान पर कम हुआ है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से एक इन्क्वायरी कमेटी सेन्टर में बनी हुई है उसी प्रकार से यहां पर भी सरकार कोई ऐसी कमेटी बिठाने पर विचार करेगी कि किसानों को उनकी प्रोड्यूस की उचित कीमत मिले ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--अभी कोई कमेटी बैठाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे जो पुराने मूल्य हैं वे उन सब बातों को देखते हुए निर्धारित किये गये थे और अभी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री नाथूराम शिक्षक--गल्ले के भाव गिरने के कारण किसान को अपना गल्ला सस्ते दाम पर बेचना पड़ता है और महंगा खरीदना पड़ता है तो क्या सरकार इस दिक्कत को दूर करने के लिये जो जोत कर विधेयक इस समय सदन में आया हुआ है उसे वापस लेने की कृपा करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--यह तो ऐसी बात कही गयी जो नामुमकिन है । उसके लिये तो इसे आपको पास करना चाहिये ।

अतिरिक्त जिलाधीश, बलिया की अदालत से मुलजिम, श्री अवधेशकुमार की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में वक्तव्य

गृह उपमन्त्री (श्री नवलकिशोर)--अध्यक्ष महोदय.....

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)--श्रीमन्, मेरा एक सुझाव है कि अगर इसको पीछे कर दिया जाता तो हम लोगों पर भी ध्यान पड़ जाता ।

श्री अध्यक्ष--अच्छा करेंगे ।

श्री नवलकिशोर--अध्यक्ष महोदय, अतिरिक्त जिलाधीश, बलिया की अदालत से मुलजिम अवधेश कुमार की गिरफ्तारी के संबंध में श्री रामायण राय द्वारा उठाये गये लोक महत्व के प्रश्न के संबंध में दिनांक २६ मई, १९६२ को सदन में सरकार की ओर से एक वक्तव्य दिया गया था । उस वक्तव्य से संबंधित अनुपूरक प्रश्नोत्तरों के समय माननीय अध्यक्ष महोदय ने यह आदेश दिया था कि इस मामले में जिलाधीश बलिया की रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसे, अंतिम निर्णय के उपरान्त, सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाय । रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है और सरकार ने उस पर विचार के उपरान्त उसे स्वीकार कर लिया है । मैं रिपोर्ट *सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं ।

श्री अध्यक्ष--अब वह रिपोर्ट यहां है और इसे जो माननीय सदस्य चाहें देख सकते हैं और इससे संबंधित बात कुछ अगर पूछना चाहते हों तो पूछ सकते हैं बाद में ।

सरकारी कर्मचारियों की अवकाश प्राप्ति की आयु ५५ वर्ष से बढ़ाकर ५८ वर्ष करने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य--(क्रमागत)

मुख्य मन्त्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)--पूर्व इसके कि मैं दफा ५२ के प्रश्न के संबंध में कुछ कहूं मैं आपसे और सदन से इस बात की क्षमा चाहता हूं कि मुझ से थोड़ी गलती हो गयी । मुझे दूसरे सदन में भी जाना था और बिना इस बात को समझे हुए कि यह प्रश्न अभी फौरन ही आ जायगा, मैं वहां चला गया और इसलिये कदाचित् आपको और सदन को कुछ असुविधा हुई । आशा है कि आप उसके लिये मुझे क्षमा करेंगे ।

केन्द्रीय सरकार ने दिनांक १ दिसम्बर, १९६२ से अपने कर्मचारियों की अवकाश प्राप्त करने की आयु ५५ वर्ष से बढ़ा कर ५८ वर्ष निर्धारित कर दी है । अखिल भारतीय सेवाओं की

---

*छापी नहीं गयी ।

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

अवकाश प्राप्त करने की आयु बढ़ाने के सिलसिले में केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों से परामर्श करेगी। इस संबंध में अभी हाल ही में सूचना प्राप्त हुई है।

केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को उनके कर्मचारियों की अवकाश की आयु के बारे में कोई परामर्श नहीं दिया है। संविधान के अनुच्छेद ३०९ व ३१० के अनुसार राज्य सरकार को राज्य सेवाओं के संबंध में पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं। वे अवकाश-प्राप्ति की जो आयु चाहें, निर्धारित कर सकती हैं। सन् १९५७ में राज्य सरकार ने अवकाश प्राप्त करने की आयु बढ़ायी भी थी और १९६१ में कम कर दी थी। अवकाश-प्राप्ति की आयु के संबंध में केन्द्रीय सरकार का निर्णय कुछ ही दिन हुए आया है और अभी उस पर राज्य सरकार पूर्ण रूप से विचार नहीं कर पायी है। जब तक इस मामले के सभी पहलुओं पर विचार न कर लिया जाय तब तक कोई अंतिम निर्णय बताना संभव नहीं है। सरकार को यह देखना होगा कि अवकाश की आयु बढ़ाने से आर्थिक तथा रोजगार की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ देश के सभी सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं के खास मामलों में एकता रखने का भी प्रश्न अवश्यमेव ध्यान में रखना होगा। क्योंकि इस मामले के कई पहलू हैं। इसलिये निर्णय लेने से पहले पूर्ण रूप से विचार करना आवश्यक है।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वे इस विषय में कब तक पूर्ण रूप से विचार कर लेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अब यह तो आगे आने वाले महीनों में हम इस पर विचार करेंगे। जहां तक अच्छे और योग्य अधिकारियों का संबंध है, जिनसे हम यह समझते हैं कि उनसे हमको बहुत से कामों में मदद मिलेगी, उनके लिये हम स्वतः एक्सटेन्शन देकर या रीइम्प्लायमेंट देकर रखे रहते हैं और आगे भी रखेंगे जब तक कि इस विषय में हम फैसला न ले लें कि ५८ वर्ष रहे या ५५ वर्ष रहे।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—केन्द्रीय सरकार के निर्णय से प्रदेशीय सरकार को कुछ प्रेरणा मिली है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—यह तो बयान में कहा गया है कि चूंकि वहां ५८ वर्ष आयु निर्धारित हो गयी है, हम उस पर विशेष रूप से विचार करेंगे। यद्यपि राज्य सरकार को यह अधिकार है कि वह इस संबंध में निर्णय स्वयं ले, फिर भी सरकार विचार करने को तैयार है।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि केन्द्रीय सरकार ने किन आधारों पर आयु सीमा में यह वृद्धि की है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अब बहुत ब्योरे से तो अभी मैं उन सिफारिशों में नहीं गया हूं जिनकी बुनियाद पर केन्द्रीय सरकार ने यह फैसला किया है। पहले ५८ से ५५ वर्ष जब यहां किये थे तो वह भी उन विचारों के अनुकूल थे जो केन्द्रीय सरकार के विचार उस समय थे और जिन विचारों को समय-समय पर केन्द्रीय सरकार ने नेशनल डेवलपमेंट काउन्सिल के सामने व्यक्त किया था।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—जिस समय यहां पर ५८ से ५५ वर्ष का निर्णय लिया गया था उस समय यही सबसे मजबूत तर्क माननीय मुख्य मंत्री जी ने दिया था कि हम केन्द्रीय सरकार के नियमों और अपने नियमों में समता लाना चाहते हैं। तो क्या अपने उस तर्क को ध्यान में रखते हुये माननीय मुख्य मंत्री जी अब भी वही समता लाने की योजना बनाने जा रहे हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मेरे वक्तव्य को कदाचित् माननीय सदस्यों ने गौर से सुना नहीं। उसमें काफी बात मैंने इस संबंध में कही है। ताहम इस बात की आवश्यकता है कि

प्रदेश की सरकार इस प्रश्न के ऊपर गम्भीरता से विचार करे और विचार करके कोई ऐसा निर्णय ले जिसमें केन्द्र के नियमों में और यहां के नियमों में एक संतुलन रहे। मैंने जो पहले कहा था और जिस आधार पर कहा था वह मेरा कथन और आधार अभी बदला नहीं है। हां, यह चीज जरूर है कि कई प्रदेशों ने इस विषय पर अपनी राय बना ली है और उन्होंने केन्द्रीय सरकार की सिफारिश को मंजूर नहीं किया है, जैसा कि आपको अखबारों के द्वारा जानकारी हुई होगी। तो यह सरकार अवश्य उस पर विचार करेगी, लेकिन इस बात को सामने रख कर विचार करेगी कि यदि कोई आफिसर ऐसा है कि इस उम्र में अपने अन्दर काम करने की उमंग, उत्साह और क्षमता नहीं रही है। यदि इस प्रश्न के ऊपर हम विचार करें तो इस बात को ध्यान में रख कर पुनः विचार करेंगे कि बहुत से ऐसे व्यक्ति जो अब भी ठीक काम नहीं कर सकते हैं, जिनमें काम करने की क्षमता नहीं रह गयी है, महज यदि उम्र के बढ़ाने का सिलसिला शुरु हो जाय तो वह भी २–३ वर्ष तक सरकार की नौकरी में रह जायं यद्यपि वह बल, जो वे सरकार को कार्य करते समय दे सकते हैं, अब भी देने में असमर्थ हैं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी उन सभी आधारों पर गौर करेंगे, जिन आधारों पर गौर करके इसी सरकार ने ५८ वर्ष से उम्र घटा कर ५५ वर्ष कर दी थी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वे सब आधार तो रहेंगे ही, लेकिन आपकी जो हमारी आलोचना है वह भी रहेगी।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जब यह उम्र बढ़ाई थी तो उससे पूर्व आपसे व्यक्तिगत रूप से या माननीय मुख्य मंत्री जी जब दिल्ली गये थे तो उनकी सलाह इस विषय में ली गयी थी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह विषय इस बार नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल में विचार के लिये नहीं आया, लेकिन पहले जब निर्णय लिया गया था तो वह निर्णय उन विचारों के अनुकूल था जो नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल में केन्द्रीय सरकार और मुख्य मंत्रियों द्वारा और स्वतः प्रधान मंत्री जी के द्वारा व्यक्त किये गये थे।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस इमर्जेन्सी के पीरियड में ही केन्द्रीय सरकार ने ५५ वर्ष से ५८ वर्ष की आयु नियत करने का फैसला किया है, तो क्या सरकार इस चीज को ध्यान में रखते हुए कोई निर्णय लेगी कि केवल उन्हीं व्यक्तियों को मौका दिया जाय जिनकी सेवाओं से राज्य को लाभ हो सकता है ?

श्री अध्यक्ष—यह तो माननीय मुख्य मंत्री ने कह ही दिया है।

श्री मेघनाथसिंह शिशोदिया (जिला मेरठ)—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी, उस समय तक जब तक कि वे इस विषय में कोई निर्णय लें, ५५ वर्ष वाले सारे कर्मचारियों को एक्स-टेंशन दे देंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सारे व्यक्तियों के बारे में तो अपनी राय प्रकट ही कर चुका हूं। उन योग्य व्यक्तियों के लिये ही हम यह करना चाहते हैं जिनसे काम लिया जा सकता है, जो फिजीकली फिट हैं, उनको ही हम इमर्जेन्सी के जमाने में रखना चाहते हैं और अब भी योग्य व्यक्तियों को ५८ की कौन कहे हम ६०–६१ तक रखते हैं और रखेंगे, यदि उसमें योग्यता और क्षमता है। इमर्जेन्सी में तो अवश्य ऐसे व्यक्तियों को रखेंगे और रख रहे हैं।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने जो निर्णय लिया है और पिछली सरकार ने जो निर्णय लिया था उन दोनों में किन-किन बातों में विरोधाभास है ?

श्री अध्यक्ष---आपका प्रश्न साफ नहीं है ।

श्री कल्पनाथसिंह---श्रीमन्, मैं वह आधार जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने आज जो निर्णय लिया उसमें और डाक्टर सम्पूर्णानन्द की पिछली सरकार ने जो निर्णय लिया था, इन दोनों में कहां-कहां विरोधाभास है ?

श्री अध्यक्ष---प्रश्न पूछा गया था कि किन आधार पर केन्द्रीय सरकार ने ५५ से ५८ वर्ष किया, जिसका जवाब माननीय मुख्य मंत्री जी ने दिया कि अभी मैंने स्वयं इसका अध्ययन नहीं किया है । ऐसी हालत में इसके जवाब देने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब केन्द्रीय सरकार ने अपने निर्णय में राजकीय सेवाओं के लिये कोई बाध्यता नहीं रखी है, तो फिर मुख्य-मंत्री जी क्यों प्रेरित हुये अपनी सरकार के उस फैसले पर पुनर्विचार करने के लिये जो ५८ से ५५ वर्ष उन्हीं के द्वारा किया गया था ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---परिस्थिति बदलती है और बदली हुई परिस्थिति में वह व्यक्ति मूर्ख होगा, वह सरकार मूर्ख होगी, यदि ऐसे प्रश्नों के ऊपर सही ढंग से विचार करने की उसमें क्षमता न हो ।

श्री नेकराम शर्मा---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जब वे दिल्ली गये थे तो उन्होंने केन्द्रीय गृहमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री को आश्वासन दिया था कि ५५ से ५८ वर्ष करने के प्रश्न पर वे सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---इसकी इत्तला माननीय नेकराम शर्मा जी को ज्यादा है, इसका उत्तर मैं क्या दूं ? इस संबंध में न तो श्री लाल बहादुर शास्त्री जी से मेरी कोई बातचीत हुई और न हमारे बीच में इस तरह का कोई प्रश्न आया ।

*उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार विधेयक, १९६२---(क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष---अब उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार विधेयक, १९६२ पर विचार होगा ।

खंड २

परिभाषाएं २---विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में---

(१) "मध्यवर्ती" का तात्पर्य स्वामी (proprietor), मातहतदार, अदना मालिक (sub-proprietor) ठेकेदार, अवध के स्थायी पट्टेदार, स्थायी खातेदार और अपनी ऐसी भूमि के संबंध में जो खायकर के अधिकार में न हो (परगना अस्कोट में हिस्सेदार से भिन्न) हिस्सेदार, परगना अस्कोट में अपनी ऐसी भूमि के संबंध में, जो गुजारेदार या खायकर के अधिकार में न हो, हिस्सेदार और (परगना अस्कोट में) गुजारेदार से है ;

---

*४ दिसम्बर, १९६२ की कार्यवाही में छपा है ।

†८ दिसम्बर, १९६२ की कार्यवाही से ।

(२) "खायकर" का वही अर्थ होगा जो कुमायूं तथा उत्तराखंड डिवीजनों में प्रयोज्य भौमिक अधिकारों से संबद्ध विद्यमान विधि में दिया गया है, किन्तु इसके अन्तर्गत मौरूसीदार या हलबन्दी माफीदार नहीं है ;

(३) "भूमि" का तात्पर्य अकृष्ट भूमि सहित ऐसी भूमि से है जिसके संबंध में मालगुजारी या लगान निर्धारित किया गया हो या निर्धारित किया जा सकता हो अथवा दिया जाता हो या देय हो सकता हो, और जो कृषि, उद्यानकरण, पशु-पालन, मत्स्य-संवर्धन या कुक्कुट-पालन से संबद्ध प्रयोजनों के लिये किसी की धृति या अध्यासन में हो ;

(४) "क्षेत्रपति" का तात्पर्य--

(१) भूमिधर मा सीरदार से ;

(२) मध्यवर्ती से, यदि भूमि उसकी निजी जोत में हो या सीर या खुदकाश्त या बाग के रूप में उसके द्वारा धृत हो; और

(३) किसी ऐसे अन्य व्यक्ति से है जिसकी धृति या अध्यासन में भूमि--

(क) असामी,

(ख) शिकमी काश्तकार

(ग) सीर के काश्तकार, या

(घ) सीरतान ;

से भिन्न रूप में हो ;

(५) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा नियत से है ;

(६) "आपात की उद्घोषणा" का तात्पर्य "भारत का संविधान" के अनुच्छेद ३५२ के खंड (१) के अधीन भारत के राष्ट्रपति द्वारा २६ अक्तूबर, १९६२ को जारी की गयी आपात की उद्घोषणा से है ;

(७) "लगान" का वही अर्थ होगा जो यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट, १९३९ में "rent" का दिया गया है सिवाय खायकर के विषय में जहां उसका तात्पर्य उसके द्वारा देय मालगुजारी तथा मालिकाना से है ; यू० पी० ऐक्ट संख्या १७, १९३९

(८) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है ;

(९) "परगना अधिकारी" का तात्पर्य उस परगने के परगना अधिकारी से है जिसमें भूमि स्थित हो ;

(१०) "तहसीलदार" का तात्पर्य उस तहसील के तहसीलदार से है जिसमें भूमि स्थित हो ;

(११) पद "हिस्सेदार" और "सीरतान" के वही अर्थ होंगे जो कुमायूं और उत्तराखंड जमींदारी-विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९६० में दिये गये हैं ; उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १७, १९६०

(१२) पद "बाग", "खुदकाश्त", "अवध के स्थायी पट्टेदार", "स्थायी खातेदार" "सीर", और "ठेकेदार" के वही अर्थ होंगे जो यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट, १९३९ में क्रमशः "grove", "khudkasht", "permanent lessee-in Oudh", "permanent tenure holder", "sir", और "thekandar" के हैं ; यू० पी० ऐक्ट संख्या १७, १९३९

(१३) "मातहतदार" का वही अर्थ होगा जो यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट १९०१ में "under proprietor" के लिये दिया गया है; और

यू० पी० ऐक्ट संख्या ३ १९०१

(१४) पद "कृषि वर्ष", "भूमिधर", "सीरदार", "असामी", और "स्वामी" के वही अर्थ होंगे जो "१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम" में दिये गये हैं।

१९५१ ई० का उ० प्र० अधिनियम संख्या १

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)---श्रीमन्, मुझे कुछ भ्रम हो गया है और मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी उस भ्रम को दूर करने की कृपा करेंगे। मेरा प्वाइंट आफ क्लेरिफिकेशन यह है कि यह विधेयक २९ अक्तूबर, १९६२ को जैसा कि इस विधेयक के सेक्शन ६ में और इसके उद्देश्य और कारणों में दिया हुआ है कि प्रेसीडेंड द्वारा आर्डिनेंस के प्रमुलगेशन के अन्तर्गत आपातिक स्थिति में लाया गया है। क्या सुरक्षात्मक कार्यवाही की जाय और उसके लिये कहां-कहां से पैसा आवे, इसी के संबंध में यह बिल है। तो श्रीमन् आपके द्वारा मैं यह जानना चाहता हूं कि लेजिस्लेशन कम्पीटेंसी--संविधान के शेड्यूल ७ (२) में स्टेट सब्जेक्ट जो दिया हुआ है उसमें अगर आप देखेंगे तो १ से लेकर ६६ चीजें तक ऐसी हैं जिन पर टैक्सेशन किया जा सकता है। जो शेड्यूल ७ है उसमें स्टेट सब्जेक्ट के अन्तर्गत दिया गया है। मान्यवर, जो यह रेवेन्यू पर सरचार्ज लगाया जा रहा है और जो यह बिल लाया गया है इसमें कहीं भी जो ६६ चीजें हैं जिन पर कि स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है उनमें यह चीज नहीं आती है। मैं यह क्लेरिफिकेशन चाहता हूं कि इन ६६ चीजों में से यह किस चीज के अन्दर आता है।

दूसरे अगर कोई इन्टर्नल या एक्सटर्नल कानफ्लिक्ट है और उसको मीट करना है तो उस के लिये जो यह ३५३ बी० है, उस में साफ दिया है कि एक्जिक्यूटिव और लेजिस्लेटिव कम्पिटेंस क्या होगा। उस में साफ लिखा है कि अगर यूनियन गवर्नमूट चाहे तो इस संबंध में स्टेट के लिये भी पार्लियामेंट में कानून बनवा सकती है वह काम संसद से हो सकता है। मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा किन आधारभूत सिद्धान्तों पर और किस तरह से सातवें शेड्यूल की सेकन्ड लिस्ट के बाहर किस मद में यह कानून लाया गया है।

श्री अध्यक्ष---ठीक है मैं समझ गया। मैं इसको देख कर बाद में बताऊंगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---श्रीमन्, मैंने नियम १०६ में प्रस्ताव दिया था....

श्री अध्यक्ष---वह तो मैंने कह दिया कि मैं देख लूंगा।

सदन का भावी कार्यक्रम

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)---अध्यक्ष महोदय, सूचना मंत्री जी कृपया बता दें कि इस सप्ताह का कार्यक्रम क्या होगा।

श्री अध्यक्ष---क्या मंत्री जी बतायेंगे ?

सूचना राज्य मन्त्री (श्री बनारसीदास)---आज तो जैसा कि निश्चित हुआ था प्रस्तुत विधेयक पर विचार होगा और वह पारित किया जायगा। कल से जोत चकबन्दी विधेयक आयेगा और जैसी कि माननीय सदस्यों की ख्वाहिश थी कि वह ३ दिन तक चले और इस संबंध में कार्य परामर्शदात्री समिति में विचार हो जायगा और १४ तारीख को नान आफिशियल डे होगा।

श्री अध्यक्ष---पार्लियामेंटरी ग्रुप का उद्घाटन १३ तारीख को होगा जिसको केन्द्रीय पार्लियामेंट के स्पीकर सरदार हुकुम सिंह करेंगे।

उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार विधेयक, १९६२

खंड २ ---(क्रमागत)

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)---मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार विधेयक, १९६३ के खंड २ के उपखंड (३) के स्थान पर निम्नलिखित कर दिया जाय--

"भूमि का तात्पर्य वैसी भूमि से है जिसमें दो फसली अन्न पैदा किया जाय।"

मान्यवर, आदरणीय सदन में प्रस्तुत विधेयक द्वारा हमारे प्रदेश के किसानों पर एक बहुत बड़ा बोझ डाला जा रहा है जिस उद्देश्य के लिये यह बोझ डाला जा रहा है उस बोझ को हमारे प्रदेश का किसान स्वतः स्वेच्छया बरदाश्त कर रहा है। फिर भी खेद है कि इस प्रकार का विधेयक लाया गया और उसमें ऐसे खंड और उप खंड रखे गये हैं। शायद यू० पी० की कांग्रेसी सरकार को इस बात की अभिलाषा है कि किसान स्वेच्छा से धन न दे, देश की सुरक्षा के लिये धन न दे बल्कि किसान की छाती पर चढ़कर वह पैसा लिया जाय।

(इस समय १२ बजकर ४० मिनट पर, अधिठाष्ता श्री जगदीशप्रसाद पीठासीन हुये।)

श्री मैनेजरसिंह---इसीलिये माननीय अधिष्ठाता महोदय, भार जो किसानों पर जबरन लादा जा रहा है उसे कम करने के लिये मैंने यह संशोधन रखा है। मुझे शिकायत है सरकार से और चन्द विरोधी दल के नेताओं से भी जिन्होंने इस प्रकार के विधेयक का समर्थन किया है, चाहे खुल करके या मूक हो कर। इस विधेयक में ऐसे खंड और उपखंड हैं जिनसे किसानों का मनोबल टूटेगा तथा जो इस विधेयक का उद्देश्य और कारण है उसकी भी मंशा पूरी नहीं होगी। किसानों के मनोबल को सुदृढ़ और स्थिर बनाये रखने के लिये मैंने यह संशोधन रखा है। यदि सदन इसको स्वीकार करता है तो जनता का मनोबल बढ़ेगा और देश की सुरक्षा के निमित किसान अपनी इच्छा से पैसा देता रहेगा। राजस्व मंत्री जी इस संशोधन को स्वीकार कर लें जिसमें इस काले विधेयक का असर कम किया जा सके। देश की सुरक्षा के लिये किसान और हम सब तन, मन धन न्यौछावर करने के लिये तैयार हैं।....

श्री अधिष्ठाता---यह तो भूमि की डेफीनिशन संबंधी छोटा सा संशोधन है, उसी तक आप सीमित रहें।

श्री मैनेजरसिंह---वही कह रहा हूं। हमें नियोजन मंत्री के उलाहने की आवश्यकता नहीं है, हम अपना कर्त्तव्य पूरा कर रहे हैं, वह मदद मांगें या न मांगें।

श्री हुकुमसिंह विसेन---हम मांग रहे हैं।

श्री मैनेजरसिंह---मैं राजस्व मंत्री का आभारी हूं और हम सहयोग देंगे। लेकिन जो वर्ग नहीं दे रहा है उसके लिये कानून की आवश्यकता अधिक थी, किसानों के लिये नहीं। हमारे क्षेत्र में डेढ़ लाख के करीब लगान मिलता है। हम लोगों ने अपने जिले की सुरक्षा समिति में तय किया था कि जिले की आबादी के हिसाब से प्रति व्यक्ति १ रु० इकट्ठा करेंगे और हमारे क्षेत्र से ३०,००० रु० से अधिक रुपया आ गया है तथा शेष दिसम्बर तक देंगे। अगर सरकार लगान का सवाया सभी जमीनों पर लेगी तो किसान का मनोबल गिरेगा। रुपया तो हम स्वेच्छा से दिला रहे थे, विशेष कर किसान वर्ग के द्वारा। इसके द्वारा अकारण किसानों पर बोझ लादा जा रहा है। इसलिये उस बोझ को कम करने के लिये और किसानों का मनोबल ऊंचा करने के लिये मैंने यह संशोधन रखा है। बहुत सी भूमियां ऐसी हैं जो सैलाब के इलाके में पड़ती हैं और कुछ भूमियां ऐसी होती हैं जिन पर लोग बोते हैं, लेकिन आपातिक कारणों

[श्री मैनेजरसिंह]

से कुछ हो नहीं पाता है, उन पर यह टैक्स न लगाया जाय क्योंकि पहले ही वह लगान के बोझ से दबे हुये हैं और अगर आप सवाया लगायेंगे तो यह अनुचित होगा, अन्याय होगा । इसलिये मैं यह संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं ।

श्री अधिष्ठाता—मैं "ककक" तक पहले लिये लेता हूं क्योंकि ये तीनों एक ही तरह के संशोधन हैं ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—'घ' तक जितने संशोधन हैं वे सब भूमि से ही संबंधित हैं । लिहाजा सब को एक साथ ले लिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता—"ककक" तक संशोधन जो हैं वही एक साथ लिये जा सकते हैं क्योंकि उनमें "भूमि" की व्याख्या है और अन्य संशोधन भूमि छोड़ने के संबंध में हैं ।

श्री मेघनाथसिंह शिशोदिया—मैं प्रस्ताव करता हूं कि "खंड २ के उपखंड (३)" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"भूमि" का तात्पर्य उस भूमि से है जिस पर वर्ष में कम से कम एक फसल (चारे को छोड़ कर) पैदा की जाय ।"

अधिष्ठाता महोदय, जहां तक आपातिक आधार पर यह विधेयक लाया गया है इससे किसी को इंकार नहीं है और पूरा देश उससे अवगत है जो आपत्ति उस पर आई हुई है । जिस वर्ग के लिये यह टैक्स विधेयक लाया गया उसके ऊपर मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन जो लोग इसके दायरे में नहीं आते हैं उन पर भी गवर्नमेंट कोई लेजिस्लेशन लायेगी । इसमें सभी तरह की भूमि पर कर लगेगा । इसका तात्पर्य यह होता है कि जिस भूमि पर गलती से लगान लगा हुआ है चाहे उसे जोता भी न जाता हो और मालगुजारी उस पर लगी हुई हो तो उस पर भी उसे सवाया देना होगा । मेरा संशोधन यह है कि यह आपातिक कर अतिरिक्त आय पर होना चाहिये । यानी किसान जिस भूमि को जोतता भी नहीं है और मुनाफा नहीं कमाता है उस भूमि पर यह टैक्स नहीं लगाना चाहिये । अगर उस जमीन पर चारे की फसल पैदा होती है तो उससे किसान को मुनाफा नहीं होता है, उस पर टैक्स छोड़ देना चाहिये और केवल उस भूमि पर टैक्स लगाना चाहिये जिससे वह मुनाफा कमाता है । मुझे आशा है कि मेरे संशोधन को सरकार मान लेगी ।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक के खंड २ के उपखंड (३) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय:—

"भूमि" का तात्पर्य ऐसी कृष्ट भूमि से है, जिसके सम्बन्ध में लगान निर्धारित किया गया हो या दिया जाता हो और जो कृषि से सम्बद्ध प्रयोजनों के लिये किसी के अधिकार में हो"।

विधेयक में भूमि में वह अकृष्ट भूमि भी ले ली गयी है जिस पर लगान निर्धारित किया जा सकता हो । यानी जिस भूमि पर अभी तक लगान न पड़ता हो उस पर भी २५ फीसदी अधिक लेने के लिये लगान निर्धारित किया जा सकता है । मेरा कहना यह है कि ऐसा भी हो सकता है कि किसी गरीब किसान ने पैसा बचा कर ऊसर, परती जमीन ले ली हो लेकिन गरीबी के कारण उसको अभी जोत में न ला सका हो, तो ऐसी जमीन भी कृष्ट भूमि में आ सकती है । दूसरे इस विधेयक में यह भी है कि ऐसी जमीन से भी भूमि का तात्पर्य होगा जो पशुपालन, कुक्कुट पालन आदि के काम में आती हो । देहात के माननीय सदस्य जानते होंगे कि किसान गरीब केवल इसलिये नहीं होता कि उसके पास जमीन नहीं होती बल्कि इसलिये भी होता है कि गांव में भी उसके रहने की जमीन नहीं होती । तो एक तो बेचारा वैसे ही गांव छोड़ने को विवश होता है और अपनी थोड़ी सी जमीन के कुछ अंश में अपने पशुओं के रखने का प्रबंध करता है उस पर भी अब लगान पड़ेगा और उसका २५ फीसदी भी बढ़ेगा, तो उस पर तो दोहरी मार पड़ जायेगी । इसलिये मेरी प्रार्थना है कि भूमि

की परिभाषा में से अतिरिक्त भूमि को निकाल दें और मेरा जो संशोधन है उसको मान लेने की कृपा करें ।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मैनेजरसिंह और हमारे डाक्टर रघुनाथ सिंह ने जो संशोधन पेश किये वह मैंने बड़े गौर से सुने । सब से पहली बात तो सहयोग देने या न देने की कही जाती है । तो जिन माननीय सदस्यों ने यह कहा कि हम सरकार को सहयोग दे रहे हैं तो वह एक खिलवाड़ जैसी बात है या जैसे कोई दूसरे राष्ट्र के लोग एलान करते हैं कि हिन्दुस्तान का साथ दे रहे हैं . . . .

श्री अधिष्ठाता---इसमें सहयोग असहयोग की बात नहीं है । यह तो व्याख्या सम्बन्धी है ।

श्री राधेश्याम शर्मा---मैं उसी पर कह रहा हूं । यह तो राष्ट्र का सवाल है और उसके लिये सरकार को धन चाहिये । तो धन के लिये कोई भी सरकार एक ही कानून से गरीब और अमीर पर वसूलयाबी नहीं कर सकती । माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरे क्षेत्र में कम से कम ५० हजार बीघा जमीन ऐसी रह जाती होगी जिस पर एक भी फसल पैदा नहीं होती है और मेरा खयाल है कि प्रदेश भर में ऐसी हालत है । यदि २५ फीसदी लगान बढ़ेगा तो कैसी मुसीबत होगी जबकि आजकल किसान एक फसल करके बुनियादी लगान नहीं दे पाता है, तो वह यह बढ़ा हुआ लगान कैसे दे पायेगा । जिन पर दो फसलें हो रही हैं उनसे सरकार ले सकती है, लेकिन जो एक ही फसल पैदा करते हैं उनसे लेना अन्याय की बात होगी । मैं अपील करूंगा कि सरकार अपने लेखपालों द्वारा सर्वेक्षण करायें कि कितनी भूमि पर ऐसी खेती होती है तब कर लगाये तो वजनदार बात हो सकती है नहीं तो किसानों के साथ अन्याय होगा । मेरा खयाल है कि राजस्व मंत्री जी इसको मान लेंगे । सर्वेक्षण कराने से एक तिहाई जमीन ऐसी निकलेगी इसलिये एक करोड़ से कम ही रुपया होगा । राजस्व मंत्री यह न्याय करेंगे ऐसी मुझे आशा है । इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं ।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)---अधिष्ठाता महोदय, जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है उसके सम्बन्ध में राजस्व मंत्री जी से दो क्लैरीफिकेशन्स चाहता हूं । पहला यह कि जिस प्रकार की भूमि पर लगान गवर्नमेन्ट ने निर्धारित किया है या वसूल कर रही है उसी पर सरकार कर लगाना चाहती है या अकृष्ट भूमि पर भी इस कर को लगाना चाहती है ? दूसरी चीज यह है कि जहां पर टाउन एरियाज में या म्युनिसिपल बोर्डों के अन्दर अभी यह नियत नहीं हो सका है कि कौन सी जमीन ऐसी है जहां जमींदारी एबोलिशन ऐक्ट लागू है तो ऐसी हालत में जब तक कि एक चीज तय करने के लिये है कि कौन सी भूमि पर जमींदारी एबोलिशन ऐक्ट लागू है तब तक इस पर टैक्स लगेगा या नहीं ? मेरी माननीय बनारसी दास जी से और न्याय मंत्री जी से बातचीत हुई थी और उससे स्पष्ट नहीं हो सका । इसलिये मैं चाहूंगा कि माननीय राजस्व मंत्री जी पहले इन दोनों बातों को स्पष्ट कर दें, इसके बाद हम अपनी सही राय सदन के सामने रख सकेंगे । पहले माननीय राजस्व मंत्री जी स्पष्ट कर दें । इसके बाद मैं खंड पर बोलूंगा ।

श्री अधिष्ठाता---इस पर दुबारा बोलने का सवाल नहीं होगा । अगर वे कुछ कहना चाहते तो खड़े हो जाते ।

श्री कमलासिंह यादव---जहां तक प्रस्तुत संशोधन का सवाल है यह मानी हुई बात है कि वह भूमि जिस पर किसान कोई फसल या अन्न पैदा करता है उस पर टैक्स लगा सकते हैं लेकिन अगर हमारा खलिहान हो, चरागाह हो, यह सब चीजें जिन पर हम खेतीबारी नहीं करते हैं जिनसे कोई फायदा नहीं उठाते हैं. . . .

श्री अधिष्ठाता---आप को कितना समय लगेगा ?

श्री कमलासिंह यादव---पांच या दस मिनट ।

श्री अधिष्ठाता—तो हम उठते हैं। दो बजे फिर बैठेंगे।

(इस समय १ बजे सदन स्थगित हुआ और २ बज कर ५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री राधेश्याम शर्मा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। श्रीमन्, हमने कल भी प्रश्न उठाया था और आज भी सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य इस विधेयक को अपनी विधायिनी शक्ति के बाहर समझते हैं। तो श्रीमन्, हमने माननीय बनारसीदास जी से स्पष्ट कहा था कि इस पर ऐडवोकेट जनरल की राय मंगा ली जाय। उन्होंने कहा कि मंगा ली गई है। तो नियम ३१ के अन्तर्गत विधेयक से सम्बद्ध पत्र मंगाने की जहां शक्ति है उसके अनुसार मैं यह मांग करता हूं कि ऐडवोकेट जनरल की राय ली गई है या नहीं और अगर ली गई है तो उसकी प्रति माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये सदन की मेज पर रखी जाय।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—श्रीमन्, आपसे अर्ज यह है कि आप कोई व्यवस्था इस पर न दें। अध्यक्ष महोदय उस पर विचार कर रहे हैं और वह व्यवस्था देंगे।

श्री उपाध्यक्ष—तो फिर आप उठाते क्यों हैं ?

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—श्रीमन्, वह इसलिये उन्होंने कहा कि कंसिडरेशन के लिये जब विधेयक आये तो उससे सम्बन्धित पेपर्स नियम १३१ के अन्तर्गत मांगे जा सकते हैं।

उपाध्यक्ष—अच्छा, आप जब राजी हैं कि कोई व्यवस्था मैं न दूं तो ठीक है। चलिये अध्यक्ष महोदय को विचार करने दीजिये।

श्री कमलासिंह यादव—उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन सदन के सामने प्रस्तुत था मैं उसी पर विचार प्रकट कर रहा था। यह देखा जाता है कि किसानों का जहां तक सम्बन्ध है उनका केवल एक ही पेशा है और वह है कृषि। उसके अलावा और कोई भी उद्योग-धंधा गांवों में नहीं मिलेगा जिससे कि उनका जीविकोपार्जन हो सके। तो ऐसी स्थिति में जबकि एक ही पेशा उनका है कृषि और उस पर भी हम बिला किसी छूट के कर लगाने जा रहे हैं तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि आखिरकार वह किसान जो देश की रीढ़ है जिसे हर कीमत पर बचाना हमारे लिये जरूरी है, तो उस हालत में हमारे लिये जरूरी हो जाता है कि हम भूमि की जो परिभाषा है उसे ऐसा रखें कि जिससे उसकी रक्षा हो सके। श्रीमन्, आप यह जानते हैं कि जितने उद्योग-धंधे हैं चाहे वह किसी तरीके के हों, हरएक के मुनाफे पर यह टैक्स वगैरह लगाया जाता है। इनकम टैक्स, कृषि-आयकर हरएक पर ३,६०० रुपये के ऊपर आमदनी पर टैक्स लगता है। लेकिन यहां अगर एक रुपया मालगुजारी किसान देता है तो उस पर भी २५ परसेंट बढ़ा देना उचित नहीं मालूम पड़ता। इसके अलावा आप श्रीमन्, देखें और जितने विधेयक इस सदन के सामने पेश किये गये, इंटरटेनमेंट टैक्स का जैसे आया, इंटरटेनमेंट के लिये जो आदमी जाता है उस पर तो आपने १० परसेंट केवल बढ़ाया और यहां २५ परसेंट बढ़ाने जा रहे हैं। यह उचित नहीं मालूम पड़ता। इसलिये कुक्कुट पालन या और ऐसी चीजों का जहां तक ताल्लुक है या जो हमारे स्वास्थ्य के लिये बहुत जरूरी चीजें हैं....

श्री उपाध्यक्ष—देखिये, काम बहुत ज्यादा है और आज ही इसे खत्म करना है।

श्री कमलासिंह यादव—मैं बहुत संक्षेप में बोल रहा हूं। दो मिनट लूंगा। इसीलिये कुक्कुट पालन या मत्स्य पालन की आमदनी पर टैक्स लगे तो ठीक है, लेकिन यह कि जिस स्थान पर यह काम हो रहा है उस पर टैक्स लगायेंगे तो यह बहुत ही अनुचित चीज होगी। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जो अकृष्ट भूमि है और जिस पर अभी मालगुजारी कायम नहीं की गई है उसको इसकी परिभाषा से निकाल दें। जिस पर मालगुजारी लग रही है उसी भूमि को भूमि की परिभाषा में हम रखें। इसलिये यह जो परिभाषायें इसमें दी गई हैं

इन परिभाषाओं में जिसको वह उचित समझें उसको मानकर इस प्रकार कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा । इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं ।

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैनेजरसिंह जी ने एक संशोधन पेश किया है जिसमें उन्होंने यह कहा है कि वह जमीन जमीन समझी जायगी जिसमें दो फसल अनाज की बोई जा सकें । मैं जानता हूं कि एक किसान दूसरी अनाज की फसल बोता है, लेकिन अगर वह खरबूजा बोता है या बंडा बो देता है तो उसका क्या होगा । अगर किसी ने शकरकंद बोया है तो वह अनाज नहीं माना जा सकता । बंडा, खरबूजा या शकरकन्द अनाज नहीं हो सकता है । हालांकि ये कैश क्राप हैं, लेकिन इनको अनाज नहीं कहा जा सकता । इसलिये वह उस परिभाषा के अन्दर नहीं आ सकती जो हमारे मित्र करना चाहते हैं । इसलिये मैं यह समझता हूं यह तरमीम पहले पहल बलिया की तरफ से आई है, अच्छा यही है कि इसको हमारे मित्र वापस ले लें ।

दूसरी तरमीम शिशोदिया जी ने पेश की है जिसका मतलब यह है कि वह जमीन मानी जाय जिस पर वर्ष में कम से कम एक फसल चारे को छोड़कर पैदा की जाय । हमारे भाई को कुछ गलतफहमी मालूम होती है । हम यह टैक्स जमीन पर नहीं लगा रहे हैं । यह टैक्स हम रेन्ट रेवेन्यू पर लगाने जा रहे हैं । जब रेन्ट तशखीस होता है, वह जमीन की नवइयत पर होता है और उसकी नवइयत को देखकर होता है कि उस पर एक फसल होती है या कम होती है, या दो से ज्यादा होती है । इस वजह से यह तरमीम ऐसी है जो नामुनासिब है और जिसको माना नहीं जा सकता ।

तीसरी तरमीम हमारे भाई डाक्टर रघुनाथसिंह जी ने पेश की है जिसका मतलब है कि जिस जमीन पर लगान तशखीस नहीं हुआ हो उसको टैक्स से बरी किया जाय । इसका मतलब यह निकलता है कि जिस पर लगान तशखीस न हुआ हो उस भूमि को भूमि की गणना न माना जाय । मैं ऐसा तो नहीं कहता कि हमारे मित्र यह जानबूझ कर कर रहे हैं, लेकिन वह भूल गये कि इसमें क्या दिक्कत है । वह दिक्कत यह है कि जमींदारी अबालिशन सब जगह नहीं हुआ है । कहीं कहीं बाकी है जहां पर जमींदार लोग अभी बाकी हैं । उनके कब्जे में जमीन है । वह अभी इंटरमिडियरी शक्ल में है । उन पर रेन्ट फिक्स नहीं हुआ है । जब उनका रेन्ट फिक्स हो जायगा तभी उनको देना पड़ेगा । अब वह इससे बच जायेंगे । उसमें काफी बड़े-बड़े लोग हैं । ऐसे सूरत में हमको यह दिक्कत पड़ेगी जिसकी वजह से इसको मंजूर नहीं किया जा सकता । कानून बनाना बड़ा मुश्किल होता है । सब बातें सोच समझ कर बनाया जाता है । आपकी दिक्कत भी हम समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि चाहे जिस तरह से कानून को बना दिया जाय । हम अपने को अ लिम नहीं समझते हैं । हमसे भी गलती हो सकती है । सोचने और विचारने का मौका होना चाहिये तब कहीं जाकर सही बात पर पहुंच सकते हैं । पहले यह बिल यहां पर उपस्थिति किया गया और फिर उसके बाद इसको बांटा गया । उसके बाद इसको विचार करने के लिये मंजूर किया गया । सदन ने इस बात को मंजूर किया । इसमें हमारी गलती कोई नहीं है । अब यह सदन इसको स्वीकार कर चुका है । तो मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसी बातें छेड़ने में कड़ुआहट आ जाती है । ऐसा न कर के अगर हम मतलब की बात करें तो ज्यादा अच्छा होगा । आज ही हमें इसे समाप्त करना है और सवा दो बज चुके हैं । कहीं ऐसा न हो कि बाद में अमेंडमेंट्स को गिलोटिन कर देना पड़े । तो मैं चाहता हूं कि सभी संशोधनों पर विवाद हो जाय और आपकी बातों से हम जो कुछ फायदा उठा सकें, उठायें । तो अपनी दिक्कतों को मैंने बतला दिया और उनके होते हुये मजबूरन हमको उन संशोधनों की मुखालिफत करनी पड़ रही है ।

श्री कमलासिंह यादव---दो बातें मैंने पूछी थीं कि यह विधेयक रूरल और अरबन एरियाज, दोनों में लागू होगा या नहीं और दूसरे यह कि जिस जमीन पर मालगुजारी लगी है उसी पर यह लगेगा या खलिहान, बाग आदि पर भी मालगुजारी लगा कर यह वसूल किया जायगा, इन दो बातों का स्पष्टीकरण मैं चाहता था । यदि आप उन्हें स्पष्ट करवा दें तो अच्छा हो ।

श्री हुकुमसिंह विसेन---जो कुछ मैं कहना चाहता था, वह मैंने कह दिया। मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता ।

श्री कमलासिंह यादव---हम लोग, श्रीमन्, बिल पर बहस क्या करें अगर यह न मालूम हो कि यह अरबन एरिया पर लागू होगा या केवल रूरल एरिया पर लागू होगा। दूसरे यह कि जिस जमीन पर लगान लगा है उसी पर यह लगेगा या दूसरी अन्य जमीनों पर भी यह मालगुजारी लगेगी। अगर यह स्पष्ट न हो तो हम विवाद किस पर करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष---माननीय राजस्व मंत्री जी अगर इसका जवाब दे दें तो अच्छा हो कि यह अरबन एरिया पर लगेगा या रूरल एरिया पर ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इट्स एक्सटेन्ट इज हेल आफ दि उत्तर प्रदेश और इसके अलावा जिन पर तशखीस है या की जा सकती है वे सब लाइबेल टु बि पेड हैं।

श्री कमलासिंह यादव---खलिहान पर और बाग पर भी आप तशखीस कर सकते हैं।

(श्री रामसुन्दर पाण्डेय के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष---माननीय रामसुन्दर पांडेय जी, समय कम है ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---मैं केवल दो मिनट में अपनी बात कह दूंगा। इसके उद्देश्य और कारण में दिया हुआ है कि जिस भूमि पर मालगुजारी निर्धारित हो अथवा निर्धारित की जा सकती हो, दी जाती हो या देय हो सकती हो, उस सब पर यह लगेगा। तो मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन आदि पर भी यह लगायी जा सकती है। इसका मतलब साफ है कि यह विधेयक जमींदारी उन्मूलन विधेयक की धाराओं से मेल नहीं खाता। श्रीमन्, उसमें मत्स्य पालन या कुक्कुट पालन के लिये मालगुजारी वर्जित है, जो यह सरकार लगा रही है इस विधेयक के द्वारा। आज मालूम हो रहा है कि जिस जमीन पर मालगुजारी नहीं लगी है उनके कागजों में उन पर नये सिरे से मालगुजारी लगायी जायगी ।

श्री हुकुमसिंह विसेन---एक बात जानना चाहता हूं कि वह कौन सा कानून है कि जिस के अनुसार मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन आदि मालगुजारी से बरी है ?

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---अगर नहीं हैं तो धन्यवाद दूंगा, लेकिन इसका मतलब यह है कि जिस पर मालगुजारी नहीं लगी है उस पर आप लगायेंगे। आप जरा ध्यानपूर्वक देखें। जहां नये तौर पर लगान लगाने की बात होगी वहां नये सिरे से घूसखोरी होगी ।

श्री उपाध्यक्ष---इस समय नये सिरे से मालगुजारी लगाने का कानून नहीं बन रहा है। जिस पर मालगुजारी लगी होगी अथवा लग सकती होगी उन्हीं के बारे में यह है ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---लगा सकते हैं की बात आप कह रहे हैं, यानी लगी नहीं है। कहीं इस विधेयक में यह नहीं है कि वे चरागाह को छोड़ेंगे। यह कहीं नहीं है कि जो खलिहान वगैरह हैं उनको हम छोड़ेंगे। इस विधेयक में कहीं भी यह प्रतिबन्ध नहीं है कि खलिहान या चरागाह वगैरह पर यह नहीं लगेगा ? अगर हो तो माननीय मंत्री जी कृपया बता दें। इस विधेयक को पढ़ने से तो यही पता लगता है कि उन पर भी यह कर लगेगा जो चरागाह या खलिहान आदि होंगे ।

दूसरी बात यह है कि आपने सब जगह एक ही तरह की मालगुजारी निश्चित कर रखी है। यह बिलकुल गलत तरीका है। हर जगह खेतों की मालगुजारी अलग-अलग है और इसका कोई तरीका नहीं है उत्तर प्रदेश में कि किस खेत की मालगुजारी कितनी होनी चाहिये। कोई उसका पैमाना नहीं है। आप देखें कि घाघरा के किनारे की जमीन है, वहां जमीन में आधी बालू है, हर साल सूखा पड़ता है और वह बह भी जाती है, तो वहां की मालगुजारी भी वही है और जो

दूसरी अच्छी जगह की है। वहां पर माननीय ठाकुर साहब ने जाकर उसको देखा भी है। उसकी मालगुजारी भी ६ रुपये १३ आने फी एकड़ है।

श्री उपाध्यक्ष—डिटेल्स में न जाइये कृपया।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—अब, श्रीमन्, अगर माननीय राजस्व मंत्री जी ने अपना भाषण न दिया होता तो मैं बैठ जाता, कुछ नहीं कहता। उन्होंने इतनी बातें कह दी हैं कि उसका जवाब देना जरूरी हो गया है। एक जगह तो मालगुजारी जाकर १८ रुपये १३ आने है। हमारे यहां एक गांव भटिया गांव है, वहां की मालगुजारी दुगनी हो गयी है। कहीं कहीं अच्छी जमीन की मालगुजारी कम है, और कहीं कहीं बालू की जमीन है, ताल की जमीन है, जहां पानी ही पानी भरा रहता है, जहां एक फसल भी मुश्किल से होती है, जहां बीज तक नहीं उगता है, वहां भी वही मालगुजारी लगती है जो अच्छे अच्छे खेतों पर है। आज नतीजा यह है कि जो अच्छे अच्छे खेत हैं वहां तो मालगुजारी कम है और जो खराब खेत हैं वहां पर मालगुजारी ज्यादा है। इस कानून से सभी की मालगुजारी बढ़ेगी चाहे वह अच्छा खेत हो या बुरा। जिस किसान की मालगुजारी जितनी कम है उसकी मालगुजारी इस कानून से उतनी ही बढ़ेगी और जिसकी जितनी ज्यादा है उसकी उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। आज छोटा किसान ज्यादा मालगुजारी देता है, बड़ा किसान कम देता है।

श्रीमन्, आज जो तखमीना भूमि के बारे में है, वह भी बहुत गलत है। लड़ाई के नाम पर, देशभक्ति के नाम पर, आप जनता से, उसकी इच्छा के विरुद्ध पैसा ले लें, मगर उससे कोई लाभ इस प्रदेश का होने वाला नहीं है। आपके इस कानून के खिलाफ लोगों में असंतोष फैलेगा और उसकी जिम्मेदारी सरकार पर होगी। हम लोग तो इसलिये हैं कि आपको नेक सलाह दें। माननीय मंत्रीजी ने कहा कि ये ऊटपटांग संशोधन हैं। मंत्री जी के पास सलाहकार हैं। अगर उनके दिमाग में यह बात बैठी है कि जो २ फसल पैदा नहीं करते हैं उन पर मालगुजारी न लगाई जाय तो वह अपने सलाहकारों से सलाह करके, या कृष्णानन्दजी से जो पीछे बैठे हैं, ऐसा संशोधन पेश करा दें जिसमें यह बात आजाय और जो ऊटपटांग न हो।

श्री मैनेजरसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मंत्री जी ने हमारे संशोधनों को अस्वीकर किया है। हमारे संशोधन सुरक्षा के काम में व्यवधान पैदा करने के लिये नहीं हैं, ईमानदारी से मैं यह कहता हूं। हमारी तरमीम केवल इसलिये है कि इस खराब विधेयक का असर कम से कम लोगों पर पड़े। बंडे की खेती बहराइच में भी होती है, तो वहां के लोग मुक्त रहे क्योंकि माननीय राजस्व मंत्रीजी ने स्वयं इस विधेयक को पेश किया है। इसलिये बंडे का इस्तेमाल करनेवाला बहराइच आदि क्षेत्रों को मैंने जानबूझकर छोड़ दिया है। मैं समझता हूं कि मंत्री जी को ये संशोधन मान लेने चाहिये।

श्री हुकुमसिंह विसेन—मुझे और कुछ नहीं कहना है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (३) के स्थान पर निम्नलिखित कर दिया जाय :—"भूमि का तात्पर्य वैसी भूमि से है जिसमें दो फसली अन्न पैदा किया जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—"भूमि का तात्पर्य उस भूमि से है जिस पर वर्ष में कम से कम एक फसल (चारे को छोड़कर) पैदा की जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (३) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय :---"भूमि" का तात्पर्य ऐसी कृष्ट भूमि से है जिसके संबंध में लगान निर्धारित किया गया हो या दिया जाता हो और जो कृषि से संबद्ध प्रयोजनों के लिये किसी के अधिकार में हो ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री कमलासिंह यादव---पहले को, ख को, मैं छोड़ देता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---ख--२ के साथ ख--३ और ग को भी पेश कर दें अगर उन्हें छोड़ नहीं रहे हैं । छोड़ रहे हैं तो दूसरी बात है ।

श्री कमलासिंह यादव---मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (३) की प्रथम पंक्ति से शब्द "अकृष्ट भूमि सहित" निकाल दिये जाय" ।

दूसरा प्रस्ताव मैं यह करता हूं कि खंड २ के उपखंड (३) की प्रथम पंक्ति में शब्द "ऐसी भूमि" और "से" के बीच शब्द "बाग" को छोड़कर रख दिया जाय ।

और तीसरा यह है कि खंड २ के उपखंड (३) की तीसरी पंक्ति से शब्द "उद्यानकरण, पशुपालन, मत्स्य संवर्धन या कुक्कुट-पालन" निकाल दिये जायें ।

उपाध्यक्ष महोदय, अकृष्ट भूमि का जहां तक सवाल है, शहर और देहात, सभी जगह, यह देखा जाता है कि जहां पहले खेती होती थी आज वहां मकान बन गये हैं और लोगों ने सहन वगैरह बना लिये हैं । कुक्कुट--पालन भी लोग मकानों या सहन में करते हैं भूमि और भवन-कर विधेयक में सहन के रूप में १ एकड़ तक भूमि हमने छोड़ी थी । यह विधेयक उसकी उस धारा से कंट्राडिक्ट करेगा । माननीय मंत्री जी ने अभी कहा है कि यह विधेयक अरबन और रूरल दोनों एरियाज में लागू होगा और अगर दूसरी बात है तो वह साफ करदें । तो एक ओर तो उस विधेयक के अनुसार १ एकड़ भूमि छोड़ रहे हैं और इसमें नहीं, तो इन दोनों बातों में से हम किसे मानें ? यह दुविधा की बात होगी । तो माननीय मंत्री जी साफ करें कि एक एकड़ तक छोड़ेंगे या नहीं ।

जहां तक देहात का सवाल है, उसमें सहन, चरागाह, खलिहान, वगैरह में कोई फसल नहीं बोई जाती है । चकबन्दी में भी गांव समाज और किसानों के लिये अलग अलग छोड़ा गया है । अगर मान लें कि गांव समाज की ओर से छोड़ी गई है, तो कौन उस मालगुजारी को देगा ? किसी को भी छूट न देकर आप सबको एक डंडे से हांक रहे हैं, यानी २५ फी सदी हर एक पर लगा रहे हैं । सरकार ने किसान को एक सोने का अंडा देनेवाली मुर्गी मान लिया है । अगर आपको सोने का अंडा लेना ही है तो एक, एक करके जैसे वह दे रहा है वैसे लीजिये और उसे हलाल करके सारे अंडे एक साथ लेने की कोशिश न कीजिये । हर देश में लोग किसान के ऊपर निर्भर करते हैं । किसी पर दुगुना या तीन गुना टैक्स लग जाय, लेकिन किसान को हम हर हालत में बचाते हैं । हम गांव में देखते हैं कि दो तरह के किसान हैं । एक तो वे जिनके पास सीर और खुदकाश्त हैं, जिनमें २५ फीसदी पहले ही कानून से छूट हो जाती है, जमींदारी अबालीशन में भी उन्हें छूट मिली कि लोएस्ट रेट पर उनका लगान तय किया गया ।

दूसरी तरफ वे किसान हैं जिन्होंने शुरू से अब तक नीलाम रेट पर खेत को लिया और वहां रेट के अनुसार लगान देता है, लेकिन जब सीरदार डिक्लेयर किया गया तो उसका वह रेट भी दुगुना हो गया और आपने सी० एल० आर० डी० के जरिये १०-१० साल का लगान वसूल कराया । इतना भार तो उस पर पड़ चुका है इस समय आप फिर उस पर सवाया करना चाहते हैं तो आप उस किसान की कमर तोड़ देंगे । इसलिये मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी बड़ी उदारता से इन सुझावों पर विचार करेंगे और छोटे तबकें के आदमी को इससे बरी करने की कोशिश करेंगे । हमारी तरफ किसान १० रुपये से लेकर १०० रुपया तक देता है । उस पर सवाया होगा तो उसकी कमर टूट जायगी । चकबन्दी में हमने देखा कि एक खेत के आधे हिस्से पर कोई भूमिधर है और दूसरे आधे पर सीरदार है तो एक पर लगान एक रुपया

है तो दूसरे पर १० रुपया । इस प्रकार सीरदार का हिस्सा जोतनेवालों की कमर टूट जायगी । आजकल देश में अधिक से अधिक अन्न पैदा करने वालों की आवश्यकता है इसलिये अगर माननीय मंत्रीजी छोटे किसानों को छोड़ देंगे तो पैदावर बढ़ेगी ।

जहां तक अकृष्ट भूमि का ताल्लुक है जिसमें कुक्कुट पालन आदि का काम होता है, अगर उसकी आमदनी पर सरकार कर लगाये तब तो ठीक है लेकिन जमीन पर लगाने से सरकार का कोई लाभ न होगा । इसलिये मैंने जो संशोधन रखा हैं उनका मैं समर्थन करता हूं । आशा है मंत्री जी उनको स्वीकार करेंगे ।

श्री हुकुमसिंह विसेन---उपाध्यक्ष महोदय, हमारे दोस्त का यह कहना है कि अगर कोई आदमी अपनी कोठरी में कुक्कुट पालन करता है तो क्या उस पर भी असर पड़ेगा ? मेरा जवाब यह है कि अगर उस जमीन पर लगान तशखीस है तो अवश्य पड़ेगा । उसी प्रकार से खलिहान चरागाह, या बागात जिन पर लगान तशखीस है, उन पर यह टैक्स लगेगा । बागों में तो कलमी आम लगे हुये हैं जिनसे हजारों रुपये की आमदनी होती है उनको क्यों मुस्तसना किया जाय ? जिस पर तशखीस मालगुजारी नहीं है उन पर की जायगी । जब हम गरीबों पर नहीं छोड़ रहे तो बागदार पर क्यों छोड़ें ? अगर ऐसा करेंगे भी तो लोगों को ऐतराज होगा । इसलिये एक्जेम्पशन का कोई सवाल ही नहीं है ।

अब कृष्ट और अकृष्ट भूमि की बात रही । अगर माननीय कमलासिंह का संशोधन मान लिया जाय तो बड़े बड़े फार्म वाले, जिन पर सीलिंग लगी हुई है, अपनी जमीनों को परती डाल देंगे जिससे वे टैक्स से बच जायं । इससे नेशनल लास होगा । इसके अलावा जो डेफिनीशन जमींदारी एबालीशन में दी हुई है उससे भेद हो जायगा । उसी लाइन पर लैन्ड का डेफिनिशन दिया गया है और साफ यह दिया गया है कि मालगुजारी और लगान पर यह २५ प्रतिशत बढ़ाया जा रहा है, किसी खाते या होल्डिंग पर नहीं । मेरे बहुत से माननीय मित्रों को भ्रम है कि खाते पर टैक्स बढ़ने जा रहा है क्योंकि अपने संशोधनों में उन सब ने खाता, खाता ही दिया है । ऐसी बात नहीं है, मालगुजारी और लगान पर ही यह बढ़ने जा रहा है । इन शब्दों के साथ मैं अपने मित्र के संशोधन का विरोध करता हूं ।

श्री कमलासिंह यादव---श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान जमींदारी एबालिशन अधिनियम की धारा १४३ की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें अकृष्ट भूमि को मुस्तसना किया गया है ।

श्री हुकुमसिंह विसेन---धारा १४३-१४४ के अन्तर्गत इंडस्ट्रियल परपज के लिये जो भूमि होती है उसके लिये परमिशन लेना पड़ता है और उसका डिक्लेरेशन हो जाता है, लिहाजा इसको इसमें शामिल करने की जरूरत नहीं है । इंडस्ट्रियल परपज़ वाली भूमि की जहां तक बात है, वह तो धारा १४३ और १४४ से गवर्न होती है ।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (३) की प्रथम पंक्ति से शब्द "अकृष्ट भूमि सहित" निकाल दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (३) की प्रथम पंक्ति में शब्द "ऐसी भूमि" और "से" के बीच शब्द "बाग" को छोड़ कर रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (३) की तीसरी पंक्ति से शब्द "उद्यानकरण, पशुपालन, मत्स्य संवर्धन या कुक्कुट पालन" निकाल दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री कमलासिंह यादव--उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (२) के अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं :

"किन्तु ऐसी भूमि के संबंध में कर जो भवन से अलग सहन के रूप में हो या खलिहान तथा चरागाह हो तो उस पर कर न लगाया जायगा।"

श्री उपाध्यक्ष---इस पर बहस तो आप पहले ही कर चुके हैं।

श्री कमलासिंह यादव---श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि कम से कम किसानों के खलिहान, सहन को तो माननीय मंत्री जी बरी कर दें। जब बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स को उनकी भूमि पर मालगुजारी लगाने से एक्जेम्ट किया गया है तो मेरी समझ में नहीं आता कि इन गरीब किसानों के खलिहान, चरागाह और सहन को इससे बरी कर दिया जाय तो क्या नुकसान है। जब भूमि की परिभाषा के अन्तर्गत यह बात साफ हो गयी है कि इस तरह की भूमि पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा, तो फिर इसके रहने से लोगों में एक भ्रम सा रहेगा।

श्री हुकुमसिंह विसेन---आबादी के मकानों पर तो कोई मालगुजारी कहीं होती नहीं है। साथ ही मकान से लगे हुये दरवाजे के सहन भी उससे बरी होते हैं मालगुजारी और लगान से। हां, अगर किसी ने बाद में अपनी भूमि में मकान बना लिया हो जिस पर मालगुजारी निश्चित हो तो उसे मुस्तसना नहीं किया जा सकता है।

श्री कमलासिंह यादव---मेरा मतलब यह है कि चकबन्दी के जमाने में कुछ एरिया छोड़ दिया गया था लोगों को मकान बनाने के लिये, लेकिन आज तक अगर कोई किसान अपना मकान नहीं बना सका और अब वह अपने किसी खेत में मकान बनाता है तो कम से कम उस भूमि को और मकान से लगे हुये सहन को तो मालगुजारी व लगान से बरी कर देना चाहिये ही। अक्सर देखा गया है कि बड़े बड़े लोगों ने अपनी भूमि मे इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स बना लीं, उनको तो मालगुजारी व लगान से एक्जेम्ट कर दिया गया है, लेकिन गरीब किसान जिसने मजबूरन अपने खेत में मकान बना लिया है और उसे भी आप बरी करने के लिये तैयार नहीं हैं तो इसके लिये मैं आपकी बुद्धि को ही धन्यवाद दूंगा, और कुछ नहीं कह सकता।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (३) के अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं :

"किन्तु ऐसी भूमि के संबंध में कर जो भवन से अलग सहन के रूप में हो या खलिहान तथा चरागाह हो तो उस पर कर न लगाया जायगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री कमलासिंह यादव---उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (४) के भाग (३) के (घ) के पश्चात् निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं :---

"(ङ) शिक्षा संस्थाओं, गांव समाज तथा राष्ट्र की रक्षा में लगे हुये सैनिक तथा उनके परिवार।"

श्रीमन्, इस वक्त जबकि यह विधेयक हम ऐसे लोगों की रक्षा के लिये ला रहे हैं, जबकि देश एक विकट परिस्थित में गुजर रहा है और हमारे नौजवान मोर्चे पर पड़े हैं, तो यह जरूरी है कि हम ऐसा वातावरण पैदा करें कि अधिक से अधिक लोग फौज में भर्ती हों और मोर्चे पर देश की रक्षा करें। इसलिये जरूरी है कि उनमें प्रेरणा पैदा करने के लिये ऐसा तरीका अख्तियार करें जिससे कि उन को प्रोत्साहन मिले कि वह फौज में जाकर अपने देश की रक्षा करें। जो लोग ऐसे हैं कि मोर्चों पर डटे हैं, अपनी जान हथेली पर लेकर जो विजय की कामना कर रहे हैं उन को इस टैक्स से बरी करें, उन पर किसी प्रकार का भार न आना चाहिये और साथ ही साथ जैसा कि मंत्री जी के बयान से मालूम हो रहा है कि वह खेत जिन में किसानों ने मकान बना लिये हैं, सहन

या खलिहान बना लिये हैं उन को वह छोड़ने को तैयार नहीं हैं । वह इंडस्ट्री वालों को छोड़ने को तैयार हैं । इस तरह से कोई भी ऐसी भूमि वह नहीं छोड़ना चाहते जिस पर यह कर न लगे । ऐसी अवस्था में हम देखते हैं कि बहुत सी शिक्षा संस्थायें जिन्होंने उद्यानीकरण अपने यहां किया है और बहुत से लोगों ने इस तरह से कार्य किये हैं और वह संस्थायें जिन्होंने उद्यानीकरण किया है, कुक्कुट पालन किया है या गांव समाज में खेती की है या ऐसे कृषि फार्म्स हैं जिन में खेती होती है तो अधिकारियों और सदन के सामने यह सवाल आयेगा कि ऐसी भूमि जिस पर गांव समाज या शिक्षा संस्थाओं द्वारा ऐसे काम हो रहे हैं उन पर टैक्स कौन देगा ? आज सुरक्षा के नाम पर हम लड़कों से चन्दा ले रहे हैं और वह अधिकतर अपने घर वालों से रुपया लेकर ही देते हैं । शिक्षा संस्थायें भी एक सामाजिक और सामूहिक चीज हैं । इसलिये शिक्षा संस्थाओं, गांव समाज और राष्ट्र की रक्षा में लगे हुये सैनिकों तथा उन के परिवार के लोगों को इस कर से बरी करना उचित है । इसी मंशा से यह संशोधन लाया गया है और हम आशा करते हैं कि मंत्री जी इसको मान लेंगे और कम से कम शिक्षा संस्थाओं, गांव समाज और कृषि फार्मों को अवश्य वह बरी करेंगे ।

श्री हुकुमसिंह विसेन---उपाध्यक्ष महोदय, अव्वल तो यह कहीं बैठता नहीं है दूसरे इसमें डिसक्रिमिनेशन होगा । इसलिये अफसोस है कि मैं इसे मंजूर नहीं कर सकता ।

श्री कमलासिंह यादव---जहां बैठ जाय वहां बैठा लें, यहां या कहीं भी वह बैठा लें ।

श्री मैनेजरसिंह---जहां उपयुक्त स्थान हो वहीं इसको मान लिया जाय ।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)---श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि राजस्व मंत्री जी और कमलासिंह जी इस बात के लिये रजामन्द हो जायं कि जो दूसरे संशोधन सैनिकों के बारे में आये हैं उन पर वोटिंग एक साथ हो, नहीं तो इस पर वोटिंग होने के बाद दिक्कत पैदा हो सकती है ।

श्री उपाध्यक्ष---कोई दिक्कत पैदा नहीं होगी ।

प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (४) के भाग (३) के (घ) के पश्चात् निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं :

"(ङ) शिक्षा संस्थाओं, गांव समाज तथा राष्ट्र की रक्षा में लगे हुये सैनिक तथा उनके परिवार ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ का उप-खंड (७) निकाल दिया जाय ।

मेरे १७ संशोधन हैं लेकिन यह संशोधन अगर मान लिया जाय तो मेरे १७ संशोधन बगैर मिलाये काम चल नहीं सकता इसलिये मैं सब पर ही बोल देना चाहता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे थोड़ा अधिक समय दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष---१७ अमेंडमेंट और हैं, इसके अलावा, सब एक साथ पेश कर रहे हैं ?

श्री उमाशंकर---सब एक साथ पेश हों या पढ़ दिये जायं, लेकिन बोलना नहीं है किसी पर । पर १७ के बारे में एक खाका खींचकर मंत्री जी को समझाने की कोशिश करूंगा। अगर वह निकाल दिया जाता है, मेरे १७ संशोधनों को अगर नहीं माना जायगा तब तो किसी काम का यह निकालना होगा ही नहीं । इसलिये मैं बताना चाहता हूं कि जो विधेयक पेश है इसका उद्देश्य काफी सुन्दर है पर कुछ गलतफहमी हो गई, और वह यह कि लोगों को यह परेशानी हो रही है कि यह लगान पर कर लगाया जा रहा है, उसकी बढ़ोत्तरी की जा रही है । मैं समझता हूं कि यह गलतफहमी दूर कर दी जाय । यह बढ़ोत्तरी नहीं है, बल्कि एक संकट आया हुआ है

[श्री उमाशंकर]

उसके लिये अपने लोग जो भारत माता का दूध पी रहे हैं वह जितने हिस्से से पी रहे हैं उसी के मुताबिक वह उसकी मदद करें। यह विधेयक उस मंशा को पूरा नहीं करता है। विधेयक में लगान पर २५ फीसदी बढ़ाया गया है। मैं मिसाल के लिये कहता हूं, भानुप्रतापसिंह के पास १०० एकड़ जमीन हैं, भूमिधर हैं जो सीर और खुदकाश्त से हुये हैं, उस पर लगान १०० रुपये है, उसी के बगल में राजस्व मंत्री जी भूमिधर हैं जो १० गुना जमा करके हुये हैं, उसका लगान २०० रुपये है और वहीं बगल में आपकी १०० एकड़ जमीन है उसी हैसियत की वह अधिवासी से भूमिधर हुये हैं जिसका लगान ४०० रुपये है। तो तीन भूमिधर हुये—एक का लगान १००, दूसरे का २०० और तीसरे का लगान ४०० रुपये हुआ। एक ही किस्म की जमीन, एक ही जगह पर हैं और तीन किस्म का लगान १०० से लेकर ४०० तक पड़ रहा है भूमिधरी पर।

अब सीरदार को ले लीजिये। १०० एकड़ की जमीन किसी के पास है। उसके बगल में राममूर्ति जी की जमीन है और सर्किल रेट के मुताबिक ४०० रुपये सीरदारी की मालगुजारी है और वहीं बृजबिहारी मिश्र जी अधिवासी से सीरदार हुये हैं और उनकी मालगुजारी सर्किल रेट से दूनी ८०० रुपये है और १०० एकड़ वाले काश्तकार को ८०० रुपये देने होते हैं तो उन पर २५ परसेंट के हिसाब से क्या देना होगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह संशोधन पर वक्तव्य हो रहा है ?

श्री उमाशंकर—मैंने इजाजत ले ली है।

श्री उपाध्यक्ष—आप फिर किसी अन्य संशोधन पर नहीं बोलेंगे।

श्री उमाशंकर—अच्छा किसी पर नहीं बोलूंगा। अगर आप इसी तरह से व्यवस्था करने बैठे हैं तो न्यायालयों में फिर क्या न्याय मिल सकेगा ? यह अन्याय है। इस तरह से गांव में परेशानी होगी। आप कहते हैं कि इलेक्शन का दांव पेंच हम खेलना चाहते हैं। मैं भी जानता हूं कि दांव पेंच खेला जायगा। इसलिये चन्द्रभानु गुप्त जी जिस दरवाजे से आये वह चोर दरवाजा है, सही दरवाजा नहीं है और हरगोविन्दसिंह जी भी चोर दरवाजे से लाये गये।

श्री उपाध्यक्ष—इस बात का इस संशोधन से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका इससे क्या संबंध है ?

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—कल जब माननीय हरगोविन्दसिंह बोल रहे थे तो कहा कि लोग पीछे से गोली मारेंगे। उस समय आप कहां थे ? क्यों आपने नहीं रोका ?

श्री उपाध्यक्ष—उस वक्त फैसला हो गया। इससे उसका कोई संबंध नहीं है।

श्री उमाशंकर—कल हरगोविन्द सिंह जी कह रहे थे कि आप मदद करें या न करें और इस तरह से हमारी नीयत पर शुबहा कर रहे थे....

श्री उपाध्यक्ष—इस वक्त बिल पर विचार नहीं हो रहा है। संशोधनों पर हो रहा है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—आपने १७ संशोधन पर बोलने की इजाजत दे रखी है। उन्हीं पर वह बोलना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—जैसे खंडों पर बहस होती है वैसे की जाय।

श्री उमाशंकर—श्रीमान्, यह बिल सुरक्षा के लिये पेश है। सरकार को इस विधेयक से केवल साढ़े ५ करोड़ रुपया मिलेगा जबकि मेरे संशोधन को मान लेने से ८ करोड़ रुपया मिलेगा। जो संशोधन मैंने पेश किया है उसको मैंने अपने गांव जा कर कार्यान्वित भी कर दिया है। मैं किसानों से कहता हूं कि जो पहले तुम्हारी ५० फीसदी मालगुजारी बढ़

रही थी वह सदा के लिये लग रही थी, उसको हमने और बहुत से कांग्रेसी विधायकों ने मिल कर खत्म कराया, अब ५० फीसदी मालगुजारी का खुशी खुशी सरकार को चन्दा दीजिये और दिल खोल कर किसान ने दिया। आप २५ फी सदी की बात कहते हैं, मैं आज भी २५ फी सदी की बात नहीं कहता। अगर मेरे सुझाव को आप नहीं मानेंगे तो इसका साफ मतलब होगा कि आप तरफदारी करना चाहते हैं। माननीय इन्द्रासन सिंह जी किछा में खेती करते हैं। उन्होंने बताया कि ३० एकड़ में ४०० मन धान हुआ है। वहां तमाम नेताओं के फार्म खुले हुए हैं और उनकी लगान बहुत नामिनल है। जो जितना खेत जोतता है उसी हिसाब से इस आपात काल में पैसा लेना चाहिये। इस प्रकार सब पर एक-सा कर लग जायगा वरना भानु बाबू के ऊपर कम लगेगा और जो अधिवासी से सीरदार हुआ है उस पर १०० एकड़ वाले पर ४०० रुपये लगेगा, यानी २५ और४०० का फर्क हो जायगा। इसलिये या तो आप इसको वापस ले लें या मेरे संशोधन के अनुसार इसको संशोधित करें तब इस देश की रक्षा होगी और यहां का किसान समझेगा कि चन्दे के तौर पर यह टैक्स लगा है, लगान के तौर पर नहीं।

कुछ तीसमार खां लोग यहां बैठे हुये हैं। मैं उनका इतिहास सन् १९२८ से जानता हूं। सन् १९३० में जब मैं अपनी औरत को पेड़ के नीचे छोड़ कर जेलखाने गया था तब ये कम्युनिस्ट लोग कहा करते थे कि गांधी बुर्जुआ लीडर है, यह देश की आजादी की लड़ाई को रोकना चाहता है और इन्हीं लोगों ने हमारी आजादी की लड़ाई की पीठ में छुरा भोंका। सन् ४२ में रामगढ़ कांग्रेस की याद माननीय राजस्व मंत्री को होगी। उसी के बगल में एंटी समझौता सम्मेलन हो रहा था जिसके अगुआ कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे और कहते थे कि अंग्रेज हुकूमत के साथ हमारा युद्ध छिड़ जाना चाहिये। और जैसे ही गांधी जी ने 'करो या मरो' का नारा लगाया था वैसे ही इन कम्युनिस्ट लोगों ने पीठ में छुरा भोंक दिया और कहा कि यह जनता की लड़ाई हो गयी, इसमें बिला शर्त अंग्रेजी हुकूमत की मदद करो। वैसे ही जनता की लड़ाई शुरू हो गई। यह उनका करैक्टर है। अब मैं इस लड़ाई की बात बता दूं। आज इनका प्रचार हो रहा है और सुरक्षा के बारे में इन्होंने कहा है....

श्री उपाध्यक्ष--सुरक्षा के बारे में बात नहीं हो रही है, बल्कि खंडों पर बहस हो रही है।

श्री उमाशंकर--आज की ताजी खबर बता रहा हूं। झारखंडेराय जी सम्मानित सदस्य हैं, इन्होंने आजमगढ़ की मीटिंग में, माननीय बृजबिहारी मिश्र जी के सामने कहा कि चीन पागल हो गया है जो कंकड़ पत्थर के लिये लड़ रहा है। इस जमीन की कोई अहमियत नहीं है जिसको हम भारत माता का ताज समझते हैं और जिसके लिये हमारे जवान अपना खून बहा रहे हैं। उसको हमारे साथी कहते हैं कि यह जमीन कंकड़ पत्थर है। इसकी कोई कीमत नहीं है। यह उनकी आवाज है। आजमगढ़ में एक कम्युनिस्ट पार्टी रत्न हैं, उनको बहुत से लोग जानते होंगे, उनका नाम मुक्तिनाथ उपाध्याय है। उन्होंने कहा कि यह जवाहरलाल जी की तिकड़म है। यह सोना इकट्ठा करने की लड़ाई हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष--देखिये उमाशंकर जी, मेरी बात जरा सुनिये, बिल पर बहस हो रही है और आपने भी कह दिया। अब आप संक्षेप में कह कर खत्म कीजिये।

श्री उमाशंकर--श्रीमन्, रक्षा का सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष--इस खंड में रक्षा का सवाल नहीं है। जरा विचार कर लीजिये, खंड पर यह विचार नहीं चल सकता है।

श्री कल्पनाथसिंह--श्रीमन्, १७ खंड एक साथ पेश हैं, इसलिये सारी बातें संबंधित हैं।

श्री उपाध्यक्ष--जी नहीं, वह खुद समझते हैं। आप संक्षेप में कह दें।

श्री उमाशंकर---मैंने १७ मिनट मांगे हैं।

श्री उपाध्यक्ष---जी नहीं। मेरी प्रार्थना है कि आप जल्दी खत्म कीजिये।

श्री उमाशंकर---कम्युनिस्ट पार्टी के रुक्न हैं श्री मुक्तिनाथ उपाध्याय। यह कहते हैं कि यह जो लड़ाई हो रही है यह जवाहरलाल जी की तिकड़मबाजी है। जरा सा झगड़ा है, तुम लोग क्यों घबड़ाते हो।

श्री उपाध्यक्ष---पार्टीबाजी की बात मत कहिये, और बातें कहिये।

श्री उमाशंकर---मैं मुख्य मंत्री जी को सुनाना चाहता हूं कि यह कब तक चलेगा। यह हमारे पीछे घूमेंगे और हमें कटायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष---खंडों में यह कहां से आया ?

श्री उमाशंकर---खंडों में नहीं है लेकिन रक्षा का सवाल है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। (व्यवधान) सवाल यह है कि माननीय सदस्य जो कह रहे हैं कि मुक्तिनाथ उपाध्याय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं तो मैं सदस्य और आपकी जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि उनकी खबर गलत है और वे हमारी पार्टी के सदस्य नहीं हैं।

श्री कल्पनार्थसिंह---एक व्यवस्था का सवाल यह है कि माननीय ऊदल जी ने जो कहा यह व्यवस्था का प्रश्न है या स्पष्टीकरण ?

श्री उपाध्यक्ष---व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। उन्होंने कह कर खत्म कर दिया।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---जो भी कम्युनिस्ट चीन की अगवानी करने के लिये....

श्री उपाध्यक्ष---आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री उमाशंकर---एक आदमी को बताया है कि कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य नहीं हैं। झारखंडेराय सदस्य हैं, इसको इनकार कर दें !

श्री उपाध्यक्ष---आप पार्टियों का जिक्र छोड़ दीजिये और खंडों के बारे में कहिये।

श्री उमाशंकर---जो पीठ में छुरा भोंकेगा उसको कहा जायगा और इस विधान सभा में कहा जायगा।

श्री उपाध्यक्ष---(श्री उग्रसेन के खड़े होने पर) आप बैठ जाइये, उग्रसेन जी।

श्री उमाशंकर---श्रीमान् जी, एक बात और सुनिये। आजमगढ़ में बीड़ी मजदूर यूनियन है। कम्युनिस्ट पार्टी के लोग....

श्री उपाध्यक्ष---आप कम्युनिस्ट पार्टी का जिक्र नहीं करेंगे। आप इर्रेलेवेंट बात नहीं कहेंगे। आपको इन खंडों के बारे में कहना है तो कहिए नहीं तो विराजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो ठीक नहीं होगा। आप को बैठना पड़ेगा

(शोर होता रहा।)

श्री कल्पनार्थसिंह---एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपने अभी कहा कि ठीक नहीं होगा। यह 'ठीक नहीं होगा', शब्द क्या अर्थ रखते हैं, इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं। अगर यह आपकी धमकी है तो धमकी बरदाश्त करने के लिये हम तैयार नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष---इर्रेलेवेंट बोलना क्या ठीक है ? यह ठीक नहीं होगा यह मैं फिर भी कहता हूं। वह बहुत गलत बात है।

श्री उमाशंकर---जैसा ठीक हो, वह बात कहूं। इसके सिलसिले में जो बातें आती हैं उनको तो कहने देंगे ?

साढ़े ५ करोड़ रुपया इस विधेयक के अनुसार सरकार मांग रही है। मैं इस सरकार से सिफ़ारिश करता हूं कि साढ़े ५ करोड़ रुपये से सुरक्षा का काम चलने वाला नहीं है। सुरक्षा

के काम में बहुत रुपया लगेगा। इस विधेयक के अनुसार आसानी से आप ८ करोड़ रुपया इकट्ठा कर सकते हैं। मैं व्यवस्था दे रहा हूं ८ करोड़ रुपये के लिये। आप टैक्स लगाइये किन्तु प्रति एकड़ पर डेढ़ रुपया आप बढ़ा दीजिये और लगान के साथ वसूल कीजिये। हमारा किसान इससे बिलकुल मुतमईन रहेगा घबड़ायेगा नहीं। खुशी खुशी देगा। लेकिन शर्त क्या है? एक तरफ तो हम घूम घूम कर प्रचार करें आपको सुरक्षा के लिये पैसा मिले किसान से और दूसरी तरफ आपके आधे सौ आदमी मिनिस्टर बनें और हर जिले में दौरे करें। भत्ते वगैरह तो यह लेते ही हैं, सरकारी कर्मचारी, तमाम गजटेड आफिसर्स परेशान रहते हैं। अभी एक दिन कलेक्टर ने मुझसे कहा कि क्या कहें अगर खाली रहते और अपनी कुर्सी पर यहां बैठे रहते तो चार पांच सौ रुपया रोज चन्दा मांग सकते थे, लेकिन रोज एक न एक मिनिस्टर सिर पर सवार रहता है, उसका स्वागत करने की परेशानी है। इसलिये मेरा सुझाव है कि ८ करोड़, ७ करोड़, ५० करोड़ जितना भी रुपया आवश्यक होगा हम इकट्ठा करेंगे, जैसे होगा देंगे लाकर, सारा मुल्क उजड़ जायगा लेकिन रुपया लाकर दिया जायगा और देश की रक्षा की जायगी। शर्त उसमें केवल यह लगी हुई है कि १० मिनिस्टर से आगे न जायं और मिनिस्टरों को यह प्रतिज्ञा करनी होगी, वही सम्मानित सदस्य यहां मंत्रिमंडल बना सकता है जो यह प्रतिज्ञा करे कि अपनी तनख्वाह के अलावा एक पैसा भी ट्रेवेलिंग एलाउंस वगैरह का नहीं लेगा।

श्रीमन्, यह संकट का समय है। एक उदाहरण मैं देता हूं। सन् ४२ में एक बार सारी दुनिया पर संकट आया हुआ था और जर्मनी में संकट आया हुआ था। उस समय जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने ऐलान किया था कि जर्मनी की आम जनता जो खाना खाती है वही हिटलर का खाना होगा, एक पैसे का लेन देन नहीं होगा .....

श्री उपाध्यक्ष—आप दो मिनट में खत्म कर दीजिये।

श्री उमाशंकर—बीमार हिटलर स्ट्रेचर पर लादकर हवाई जहाज में रखा जाता था और मोर्चे पर हवाई जहाज से घूमता था। इस तरह का मिनिस्टर आज हमको चाहिये। हमसे कहते हैं कि हम सहयोग नहीं दे रहे हैं। श्रीमान् जी, यहां जितना उदार विरोधी दल बैठा हुआ है उतना शायद कहीं न होगा। इंग्लैन्ड में विरोधी दल उस समय की थी लेबर पार्टी। उसने कह दिया था कि चैम्बरलेन की हुकूमत जब तक बदलेगी नहीं तब तक हम किसी तरह का सहयोग नहीं देंगे। हम तो बिना शर्त आपको सहयोग दे रहे हैं, आपके कंधे से कंधा भिड़ाकर काम करने के लिये तैयार हैं। आप ५ करोड़ की बात करते हैं, हम आपको ८ करोड़ दे रहे हैं। हम आपसे एक इंच आगे बढ़ने को तैयार हैं। लेकिन आप इस कम्युनिस्ट पार्टी को समझते नहीं हैं जो, इस मुल्क की पीठ में पीछे से छुरा भोंकने वाले हैं उनकी आवाज पर आप तालियां बजाते हैं। इस लड़ाई के समय में यह कम्युनिस्ट पार्टी हमारी पीठ में पीछे से छुरा भोंकने का कार्य कर रही है। आजमगढ़ जिले में बीड़ी मजदूर यूनियन के द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी ने १ हजार रुपया चन्दा इकट्ठा किया और कलेक्टर के यहां कुल २५१ रुपया जमा किया। वह सारा रुपया क्यों नहीं कलेक्टर को मिला, इसका जवाब दें झारखंडेराय जी।

श्री उपाध्यक्ष—आप क्यों जवाब चाहते हैं? आप अपनी बात कहें।

श्री उमाशंकर—यह बातें आजानी चाहिये, इसलिये कह रहा हूं। मैं अपने पुराने बुजुर्ग साथी चन्द्रभानु गुप्त जी से प्रार्थना करता हूं कि इस तरह का मंत्रिमंडल वह बनायें जिसमें अधिक से अधिक १० आदमी हों और वह १० आदमी उस तरह के हों जो हर प्रकार का त्याग करने के लिये तैयार हों, जो सर्वसम्मति से यह तय करें कि कोई ट्रैवेलिंग एलाउन्स वह नहीं लेंगे किसी तरह का और कोई खर्च नहीं लेंगे, केवल सरकार से जो तनख्वाह दी जा रही है उसी से गुजर करेंगे। मैं जानता हूं गुप्ता जी अपने से तो यह कर सकते हैं लेकिन उनके साथ बहुत से ऐसे साथी हैं जो कि ऐसा करने के लिये तैयार नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष—अब आप समाप्त कीजिये ।

श्री उमाशंकर—अब मैं खत्म कर रहा हूं । आपके द्वारा मैं इस सरकार से प्रार्थना करता हूं कि इस संशोधन को मानकर वे ५ करोड़ की जगह ८ करोड़ रुपया लें, मगर कुछ त्याग भी अपनी तरफ से करें ।

आप उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यवाही निकालकर देख लीजिये, मैं सब से पहला आदमी हूं जिसने यह कहा है कि गुप्ता जी की वह ताकत है जिनको लौहपुरुष कहा जाता है । मेरी पार्टी ने मेरे ऊपर बड़ा एतराज किया था लेकिन आज भी मेरा विश्वास है कि अगर उनके साथी बनारस सेंट्रल जेल में कम्यून को लिखने वाले न होते तो देश का बहुत कल्याण हो सकता था । स्वतंत्रता की लड़ाई में गुप्ता जी के साथी कम्यून को लेख लिख कर भेजते थे जब कि वह उनके साथ थे । इन कम्यून को लेख लिखने वाले सज्जन का नाम ठाकुर हरगोविन्द सिंह है ।

(व्यवधान)

आप शोर न कीजिये, इस बात को पंडित अलगूराय जी से पूछ लीजिये । इन सब बातों के साथ में अपने सुझाव को आपके सामने रखता हूं । मैंने व्यक्तिगत रूप से मिलकर बनारसीदास जी को समझाया और माननीय माल मंत्री जी से भी सिफारिश की कि वह मेरी बात सुन लें लेकिन उन्होंने नहीं सुना और इस समय भी वह मेरी बात को सुनने के मूड में नहीं हैं । आज फिर मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि इस विधेयक के विषय में मेरी बातों को वह रात में जाकर विचार करें और मेरे संशोधन से बिना मेहनत और बिना परेशानी के आप ८ करोड़ रुपया इकट्ठा कर सकेंगे । मेरे संशोधन का आपको विरोध नहीं करना चाहिये । मैं तो बेपढ़ा आदमी हूं लेकिन मुझे ऐसा मालूम होता है कि या तो उनकी बुद्धि विलीन हो गई है स्वार्थ में या दिमाग कुछ दूसरी तरफ है । इस कारण बड़े बड़े फार्मों पर खुल कर टैक्स नहीं लगाना चाहते हैं । जो जितनी जमीन जोतता है उस पर १।। रुपया के हिसाब से टैक्स लगाने की बात है । उससे ८ करोड़ रुपया सरकार को मिलेगा और सारी जनता भी सरकार के साथ रहेगी ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खंड २ का उपखंड (७) जरूरी है । रेट की डैफिनिशन देने के लिये इसका रखना जरूरी है । इस वजह से निकालने का जो संशोधन रखा गया है उसका मैं विरोध करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ का उपखंड (७) निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री कृष्णानन्दराय (जिला गाजीपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि खंड २ के उपखंड (१३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

> (१३) पद "अदना मालिक" तथा "मातहतदार" के वही अर्थ होंगे जो यू०पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ में क्रमशः 'sub Proprietor' तथा 'under Proprietor' के लिये दिये गये हैं ।"

श्रीमन्, इसके अन्दर 'अदना मालिक, और 'मातहतदार' की व्याख्या नहीं थी । इसलिये उस व्यवस्था को स्पष्ट करने के लिये यह संशोधन पेश किया गया है ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह स्वीकार है ।

[× × ×]

नोट—[× × ×] माननीय उपाध्यक्ष की आज्ञा से निकाल दिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड १३ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जावे:--

(१३) पद 'अदना मालिक' तथा 'मातहतदार' के वही अर्थ होंगे जो यू०पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ में क्रमशः 'Sub proprietor' तथा 'Under proprietor' के लिये दिये गये हैं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३

अधिभार का उद्ग्रहण---

३---(१) प्रत्येक ऐसे कृषि वर्ष के लिये जिसमें या जिसके किसी भाग में आपात की उद्घोषणा प्रभावी रहे :---

(क) भूमिधर या सीरदार के विषय में उसके द्वारा देय मालगुजारी पर ;

(ख) मध्यवर्ती के विषय में ऐसी भूमि के संबंध में, जो उसकी निजी जोत में हो या बाग या सीर या खुदकाश्त के रूप में उसके द्वारा धृत हो, उसके द्वारा देय या देय समझी जाने वाली मालगुजारी पर; और

(ग) किसी अन्य क्षेत्रपति के विषय में, उसके द्वारा देय या देय समझे जाने वाले लगान पर।

उस मालगुजारी या लगान के पचीस प्रतिशत की दर से अधिभार उद्गृहीत किया जायगा और दिया जायेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि अधिभार ऐसे क्षेत्रपति द्वारा देय न होगा जो देश की प्रतिरक्षा में लगे रहते हुए भारत के राज्य क्षेत्र पर चीनी आक्रमण द्वारा बलात् आरोपित युद्ध के फलस्वरूप स्थायी रूप से अशक्त हो गया हो, और न ऐसे क्षेत्रपति के दायादों द्वारा देय होगा जो उक्त युद्ध में मारा गया हो।

(२) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए देय समझी जाने वाली मालगुजारी या लगान की गणना नियत रीति से की जायेगी।

श्री काशीनाथ मिश्र---उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"(क) जिस क्षेत्रपति के पास बीस एकड़ से अधिक की जोत है और जो कम से कम पचास रुपये सरकारी लगान देता है उसी पर लगेगा।

(ख) जो पचास रुपये से लेकर १०० रुपये तक लगान देता है उस क्षेत्रपति पर २५ प्रतिशत की दर से अधिभार उद्गृहीत किया जावेगा और जो १०० रुपये से अधिक लगान देता है उस क्षेत्रपति पर ५० प्रतिशत की दर से अधिभार उद्गृहीत किया जायगा।

प्रतिबन्ध यह होगा कि ५० रुपये से कम मालगुजारी देने वालों और चीनी सीमा युद्ध पर मृतकों के सहाराहीन विधवा औरतों पर नहीं लागू होगा।"

जिस उद्देश्य से यह संशोधन पेश किया गया है माननीय राजस्व मंत्री जी उस से भलीभांति परिचित होंगे। श्रीमन्, इस प्रदेश के ७०--७५ फीसदी किसानों के पास अलाभकर जोतें हैं। उनको खेती से किसी प्रकार का फायदा नहीं होता और आज वे अपनी इच्छा से स्वयं जितना

[श्री काशीनाथ मिश्र]

संभव होता है सुरक्षा कोष में देने के लिये तैयार हैं और दे रहे हैं। ऐसी हालत में उनपर टैक्स लगाकर उनका मनोबल कम करना होगा। जैसा पहले विकल जी ने निवेदन किया था कि उनके क्षेत्र के एक गांव में चन्दा इकट्ठा हो रहा था, लेकिन जैसे ही लोगों को मालूम हुआ कि लगान बढ़ने वाला है लोगों ने चन्दा देना बन्द कर दिया और बहुत से लोग उसे वापस भी मांगने लगे। कहीं ऐसा ही हर जगह न हो। टैक्स लगा कर गरीब से ज्यादा वसूलने की प्रवृत्ति हमें समाप्त करनी चाहिये। कल जो रेडियो पर खबर आयी है उससे पता चलता है कि सरकार की मंशा क्या है। संकट काल में भी सरकार पूंजीपतियों को नहीं छूना चाहती। परसों रेडियो पर दो बजे यह ऐलान किया गया था कि भारत के गृह मंत्री लालबहादुर शास्त्री जी ने राजे-महाराजों से यह प्रार्थना की है कि अपने प्रीवी पर्स में से १० फीसदी दे दें। उन से यह अपील की जाती है कि वे १० प्रतिशत दे और भारत सरकार हैदराबाद के नवाब को ३४ लाख रुपया सालाना देती है, जयपुर तथा अन्य महाराजों को सालाना पेंशन देती है और उसके बाद गरीबों पर टैक्स लगाना चाहती है। आप स्वयं संकटकालीन परिस्थिति के प्रति जागरूक नहीं हैं और यह बात आपके बयानों से पता चलता है, अपनी खबरों से पता चलता है। एक तरफ लालबहादुर शास्त्री अखबारों में अपने बयान छपाया करते हैं और कहते हैं कि वार एफर्ट्स में जो गड़बड़ या रुकावट पैदा करेगा उसके खिलाफ सख्ती से कार्यवाही की जायगी और दूसरी तरफ मैं शास्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि आप क्या स्वयं उनमें रुकावट पैदा नहीं करते? स्वयं शास्त्री जी रुकावट पैदा करने के जिम्मेदार हैं। और उन के नेता कम्युनिस्टों और राजे-महाराजों की पीठ पर हाथ रखे हैं। मैं समझता हूं कि यह संकट-काल के लिये ठीक नहीं है और जिस अपराध को वे दूसरों पर थोपना चाहते हैं मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उसके वे स्वयं ही जिम्मेदार हैं।

मैं इस संशोधन के द्वारा कहना चाहता हूं कि जिन के पास बड़े-बड़े फार्म्स हैं, जिनकी आमदनी ज्यादा है उन पर अधिक कर लगा कर आप अधिक रुपया वसूल करें और गरीबों को छूट दे दें और इस हिसाब से आपको साढ़े ५ करोड़ रुपये से ज्यादा वसूलयाबी हो सकती है। इस तरह से ७ या ८ करोड़ रुपया आपको मिल सकता है। जो १०० रुपये तक लगान देते हैं या अधिक लगान देते हैं उनका कर आप बढ़ा दें और ५० रुपये या उससे कम जो लगान देते हैं उनको आप छूट दे दें। और दूसरी तरफ कानून में प्रतिबन्ध वाली धारा जो रखी है उसको अगर आप स्वयं पढ़ें इसके प्रतिबन्ध में यह लिखा है—"प्रतिबन्ध यह है कि संधिभार ऐसे क्षेत्रपति द्वारा देय न होगा जो, देश की प्रतिरक्षा में लगे रहते हुये, भारत के राज्य क्षेत्र पर चीनी आक्रमण द्वारा बलात् आरोपित युद्ध के फलस्वरूप स्थायी रूप से अशक्त हो गया हो, और न ऐसे क्षेत्रपति के दायादों द्वारा देय होगा जो उक्त युद्ध में मारा गया हो। मैं इसकी जगह यह चाहता हूं कि यह रख दिया जाय कि यह ५० रुपये से कम मालगुजारी देने वालों और चीनी सीमा युद्ध पर मृतकों के सहाराहीन विधवा औरतों पर नहीं लागू होगा।

श्रीमन्, सरकार ने जो यह क्लाज रखा है उस से यह गन्ध आती है कि इस विधेयक की रचना करने वालों के दिमाग में यह बात रही है कि हिन्दुस्तान की भूमि पर चीनी कब्जा बहुत दिनों तक रहेगा। मैं इस भावना की निन्दा करता हूं और मैं चाहता हूं कि इस तरह की भावना इस विधेयक के लिखने वालों के दिमाग में नहीं रहना चाहिये। ऐसी बात सोचना ही देश के प्रति गद्दारी है। जो लोग ऐसी भावना रखते हैं वे देश की सुरक्षा के प्रति तथा देश से आक्रमणकारियों को हटाने के अधिकारी नहीं हैं। यह बात खटकती है। जो लोग अखबार पढ़ते होंगे— प्रधान मंत्री तथा लाल बहादुर शास्त्री के बयानों को पढ़ते होंगे, उन्होंने देखा होगा कि चीन वाले किस तरह से हमारे राष्ट्र सम्मान पर जूता लगा रहे हैं। चीनी हमलावर भारत माता की छाती को रौंद कर चले गये और हम यहां कायरों की तरह बैठ कर विधेयक बना रहे हैं! लाल बहादुर

शास्त्री कह रहे हैं कि वार एफर्टस् होनी चाहिये । वार एफर्टस् के मानी, जहां तक मैं समझता हूं, वार एफर्ट्स उसे कहते हैं और वे तब किये जाते हैं जब कोई देश किसी देश के साथ युद्ध करता हो । आप यहां युद्ध का वातावरण तो बनाये रखना चाहते हैं किन्तु सचमुच में आप युद्ध नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि किसी तरह जान बची रहे और दिल्ली की और यहां की कुर्सियां बनी रहें और चीन वाले भी बने रहें । मैं कहता हूं कि भारत माता की छाती पर गोआ वाले बहुत दिनों तक कोढ़ बने रहे, अब इसके बाद यह कोढ़ बन कर छा गये हैं । हमारे गुप्ता जी तो कहते हैं कि हमारा लक्ष्य तिब्बत को आजाद कराना है, यह ठीक है, मगर हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री कहते हैं कि तिब्बत को आजाद कराने की बात बेतुकी, बेहूदी और बेवकूफी है । जब आपके योग्य प्रधान मंत्री इस तरह की बात कर सकते हैं तो मैं उनके बारे में संदेह करता हूं कि वे हिन्दुस्तान की सीमाओं की रक्षा कर सकते हैं या नहीं ? जो प्रधान मंत्री ९ सितम्बर आदि की बात करता है उसके बारे में मैं शुबहा करता हूं, वह भारत की रक्षा नही कर सकते ।

इस संशोधन पर बहस करते हुये मैं यह कहना चाहता हूं कि गुप्ता जी सदन की यह भावना, सोशलिस्ट पार्टी की यह भावना और मेरी यह भावना भारत सरकार को पहुंचा दें कि सन १९४७ में अंग्रेजों से विरासत में जो हिन्दुस्तान १५ अगस्त, १९४७ को प्राप्त हुआ उन्हीं सीमाओं की रक्षा करना भारत सरकार का कर्त्तव्य है, हिन्दुस्तान की जनता ने उन्हें यह आज्ञा नहीं दी है कि वे अपने मन से ८ सितम्बर वाले प्रस्ताव आदि की बात करें । यह देश और राज्य की सुरक्षा का सवाल है । एक महत्व का सवाल है । नियम ५२ के जरिये से भी सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया गया था । ८–१० दिन पहले चीनी दूतावास के ३–४ लोग नैनीताल और रानीखेत होते हुये पिथौरागढ़ तक पहुंच गये और उनको शासन की ओर से किसी ने रोका नहीं । उच्च अधिकारियों को इसकी खबर तक नहीं हुई । पी०ए०सी० के जवानों ने अपने ही इनीशियेटिव पर उनको रोका । कर्मचारियों की इस गफलत की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । जो प्रतिबन्ध वाला वाक्य हमारे संशोधन में है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है । उसकी मंशा साफ जाहिर है कि चीनियों के साथ युद्ध करते हुये जो हमारे जवान हत हो जाते हैं उनकी सहाराहीन विधवाओं को इससे मुक्त कर दिया जायगा । इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि हमारे संशोधन को मान जायं । चीनी हमलावरों को भारत भूमि से पूरी तरह से खदेड़ने के लिये यदि देश और प्रदेश की सरकार शीघ्रातिशीघ्र कोई सक्रिय कदम उठाती है तब तो इस प्रदेश की जनता टैक्स देने तथा अन्य प्रकार के सहयोग करने के लिये तैयार है ।

श्री राधेश्याम शर्मा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन सब संशोधनों की जान है । माननीय मंत्री जी इस विधेयक के द्वारा ५ करोड़ रुपया इकट्ठा करना चाहते हैं, लेकिन हमारा जो संशोधन है उससे मंत्री जी को ७ या साढ़े ७ करोड़ रुपया मिलेगा और उसके साथ ही साथ समाजवाद के उसूलों की रक्षा भी होगी । दुनियां के उन सारे देशों में जहां जनतंत्र फलफूल रहा है, वहां पर गरीबों और अमीरों सब को एक ही डंडे से नहीं हांका जाता । यही इस बिल में कमी थी जिसको इस संशोधन के द्वारा ठीक किया जा रहा है । इस संशोधन के भाव से ही विदित है कि इस पर मंत्री जी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये ।

इस संशोधन विधेयक पर सरकार ने ऐडवोकेट जनरल की राय भी नहीं ली है, सरकार बिना सोचे समझे ही इस विधेयक को ला रही है, लेकिन अब भी सरकार मान ले तो इसमें आनुपातिक टैक्स का समावेश हो सकता है । जो १०० रुपया से ज्यादा लगान देने वाला है उस पर ५० प्रतिशत, जो ५०से १०० रुपया तक देता है उस पर २५ प्रतिशत और जो ५० से कम देता है उस पर कुछ न लिया जायगा । इससे पहले भी आप ८ एकड़ की छूट दे रहे थे और हमारा भी नारा है कि अलाभकर जोतों पर कोई लगान और टैक्स न लगाया जाय । आशा है इसको मानने में मंत्री जी को कोई आपत्ति नहीं होगी ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मित्र ने जो संशोधन उपस्थित किया है और उसके सम्बन्ध में जो तकरीर की उन दोनों का कोई ताल्लुक नहीं था ।

[श्री हुकुमसिंह विसेन]

हम और हमारे प्रधान मंत्रीजी पर भी उन्होंने हमला किया। मैं अपने मित्र को बता देना चाहता हूं कि देश में हमारे प्रधान मंत्री ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके साथ सारा भारतवर्ष है (शोर) मैं जानता हूं आप उनके साथ नहीं हैं। आप कई बार यह बात कह चुके हैं जिसको हमारे अतिरिक्त और मित्रों ने भी सुना है लेकिन आपके तनहा खिलाफ होने से कुछ होने वाला नहीं है।

श्री काशीनाथ मिश्र—मैं तनहा नहीं हूं, हमारी सारी पार्टी हमारे साथ है।

श्री हुकुमसिंह विसेन—कल जब नियोजन मंत्री जी बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था कि इफ और बट के साथ सपोर्ट करना कोई सपोर्ट नहीं होता है। वैसे ही एक तरफ तो आप प्रधान मंत्री की बुराई करते रहें और दूसरी तरफ कहें कि हम आपके साथ हैं, तो इस साथ से क्या फायदा ? (व्यवधान)

मैं कहना चाहता हूं कि ये जितनी बातें कही गयीं, उनका उस संशोधन से जरा भी ताल्लुक और सम्पर्क नहीं है और इसलिये इन सब बातों का जवाब देना सदन का वक्त खराब करना है। मैं संशोधन के सम्बन्ध में कुछ बातें कहना चाहता हूं कि इससे डिस्क्रिमिनेशन होता है और आर्टिकिल १४ का उल्लंघन होता है लिहाजा मैं इसे मान नहीं सकता।

जहां तक नौजवानों का ताल्लुक है खंड ५५ में उनके लिये प्रबंध है। इसके अतिरिक्त और बातों में भी उनको कंसेशन मिलेगा, जैसे उनके लड़कों की मुफ्त पढ़ाई होगी, उनको जमीन दी जायगी। और भी जितने प्रकार की सहायता हो सकती है, सरकार उनको देने के लिये तैयार है। माननीय काशी नाथ के संशोधन से ही उनकी मदद नहीं होगी बल्कि सरकार उनकी मादद करने के लिये पहले से ही तैयार है। हमारे मित्र को कुछ भ्रम हो गया है और वे शायद समझे नहीं हैं। मुझ से कहें तो मैं उन्हें समझाने की कोशिश करूं, लेकिन उनको समझ तो मैं दे नहीं सकता क्योंकि खुद हमारी समझ बहुत कम है। माननीय मित्र को यह भ्रम है कि इसे इनडिवीजुअली लगाया जायगा। वास्तव में यह मालगुजारी और लगान पर लगाया जायगा। अगर माननीय सदस्य के ग्रेडेड संशोधन को मान लिया जाय तो डिस्क्रिमिनेशन हो जायगा और संविधान का आर्टिकल १४ भी आफेंड होगा। संविधान को भी नजर अन्दाज नहीं किया जा सकता है। ऐसी सूरत में मैं इस संशोधन को मानने के लिये तैयार नहीं हूं और आशा करता हूं कि सदन इसे नामंजूर करेगा।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जावे :—

"(क) जिस क्षेत्रपति के पास बीस एकड़ से अधिक की जोत है और जो कम कम से कम पचास रुपये सरकारी लगान देता है, उसी पर लगेगा।

(ख) जो पचास रुपये से लेकर १०० रुपये तक लगान देता है उस क्षेत्रपति पर २५ प्रतिशत की दर से अधिभार उद्गृहीत किया जावेगा और जो १०० रुपये से अधिक लगान देता है उस पर ५० प्रतिशत की दर से अधिभार उद्गृहीत किया जायगा।

प्रतिबन्ध यह होगा कि ५० रुपये से कम मालगुजारी देने वालों और चीनी सीमा युद्ध पर मृतकों के सहाराहीन विधवा औरतों पर नहीं लागू होगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (१) में शब्द "प्रत्येक ऐसे" के स्थान पर शब्द "इस" रख दिया जाय।

श्रीमन्, यह बड़ा सीधा सादा संशोधन है और हमारे राजस्व मंत्री जी कई बार सदन के अन्दर और सदन के बाहर भी यह आश्वासन दे चुके हैं कि यह विधेयक केवल इस वर्ष के लिये है।

अतएव मुझे तो पूर्ण आशा है कि इसे स्वीकार कर लिया जायगा। लेकिन मैं थोड़ा विस्तारमें जाना चाहता हूं। यद्यपि यह सीधा सादा प्रस्ताव है, परन्तु यह हमारी पार्टी के लिये बहुतही महत्वपूर्ण है। उसका क्या महत्व है वह मैं सविस्तार बताना चाहता हूं। यह सब को मालूम है कि स्वतंत्र पार्टी ने अपने स्टेटमेंट आफ पालिसी में कहा था कि भूमि पर मालगुजारी या लगान नहीं लगना चाहिये, यह हमारा बुनियादी विश्वास है और इसी आधार पर हम चुनाव लड़े थे। हमारे मेनिफेस्टो में भी यह बात साफ थी लेकिन फिर भी आज देश पर जो संकट आया है उसको देखते हुये हमने अपने इस बुनियादी सिद्धांत को थोड़े दिन के लिये नजरअन्दाज किया केवल इस उद्देश्य से कि राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान मिल सकेगा और इसी कारण से हमने इसका समर्थन किया। विरोधी दलों की ओर से कहा गया कि सरकार एकनामी मेजर्स का एक ब्लू प्रिन्ट और एक सप्लीमेंटरी बजट पेश करे, लेकिन सरकार की तरफ से कहा गया कि ऐसा करने में देर लगेगी और इस चालू वित्तीय वर्ष में यह सरचार्ज वसूल न हो सकेगा और अगर देर हुई तो धनाभाव के कारण डिफेंस प्रोग्राम में कठिनाई उपस्थित होगी। इस दलील में तथ्य पाकर ही हमने केवल इस वर्ष के लिये इसका समर्थन किया और साथ ही हमने माननीय राजस्व मंत्री जी से स्पष्ट कह दिया कि हमारा समर्थन इस वक्त केवल इस वर्ष के लिये ही है क्योंकि आप बजट में इतनी जल्दी में तमाम एकनामी मेजर्स नहीं ला सकते हैं।

इसी वक्त हम यह भी साफ करना जरूरी समझते हैं कि अगर दूसरे वर्ष भी संकट की स्थिति रही और हमारी समझ में यह आ गया कि आप ने तमाम किफायतशारी के मेजर्स ले लिये हैं तो हम दूसरे वर्ष भी सरचार्ज का समर्थन करेंगे। हम वादा करते हैं और हम पीछे नहीं हटना चाहते हैं, लेकिन हम साथ ही यह भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि इस साल एक अर्जेन्सी है जिस की वजह से हमने समर्थन किया। एमरजेंसी है और अर्जेन्सी है। अर्जेन्सी इस बात की है कि रुपया लेना चालू वित्तीय वर्ष में आवश्यक है अगले वर्ष यह अर्जेन्सी नहीं रहेगी। इसलिये मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से जोर देकर प्रार्थना करता हूं कि हमारी तरह वह भी अपने आश्वासन को पूरा करें और हमारे संशोधन को मान लें।

श्री हुकुमसिंह विसेन—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री भानुप्रतापसिंह का बड़ा मशकूर हूं कि उन्होंने इस संशोधन को लाकर मुझे यह मौका दिया कि मैं इस मामले में स्थिति साफ कर दूं। जैसा कि उन्होंने कहा, अपोजीशन के लीडरान के दरम्यान यह तय हुआ था कि यह बिल लाया जाय जिस शक्ल में यह है और बाद में फिर दूसरा बिल लाया जाय जिस में काफी ऊंचे पैमाने पर टैक्स लगाया जाय। जो दूसरा बिल आयेगा तो यह खत्म हो जायगा, अभी वह कानूनी दिक्कतों से नहीं आया, लेकिन जब वह आ जायगा तो यह बिल खत्म हो जायगा। वह कब आयेगा, इसकी तारीख फिक्स करना मुश्किल है। लिहाजा मैं इस संशोधन की मुखालिफत करता हूं क्योंकि यह जरूरी नहीं है।

***श्री चैतन्यराजसिंह** (जिला अलीगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे भाई श्री भानुप्रतापसिंह जी ने जो संशोधन रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं और मैं पुनः अर्ज करना चाहता हूं समस्त सदन के सम्मुख कि हमारे दल का यह क्लियर स्टैंड है कि जमीन पर लगान नहीं होना चाहिये बल्कि हम तो यह कहते हैं कि जिस तरह से दूसरे प्रोफेशंस में आयकर होता है उसी तरह से जमीन पर भी काश्त करने वालों से आयकर लिया जाय और यह लगान न लिया जाय। परन्तु फिर भी इस नेशनल इमर्जेंसी में यह परम आवश्यक था कि हम इस समय देश की सरकार का साथ दें जिस से चीन के आक्रमण से बचाव हो सके। जब विभिन्न दलों के नेताओं की बैठक हुई थी तो साफ कहा गया था कि सरकार के पास अभी कोई योजना नहीं है जिससे कि वह बता सके कि वह किस तरह से अपनी एकोनामी ड्राइव करेगी। उनको फिलहाल रुपये की

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चैतन्यराजसिंह]

सख्त जरूरत थी। हमने अपने उसूलों को बालाये ताख रख कर कहा कि देश की रक्षा के लिये हम इसका समर्थन करते हैं, सरकार को खुश करने के लिये नहीं। वह भी तब ही जब क्लियर अन्डरस्टैंडिंग दे दी गई कि यह इसी साल के लिये है और अगले साल में इकोनामी ड्राइव आयेगा। मैं मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं, जैसा उन्होंने कहा मुख्तलिफ पार्टीज के लिये कि वे अपने वायदों के खिलाफ जाती हैं, मैं उन्हीं से कहना चाहता हूं कि जरा याद कर लें मंत्री जी ने ६ तारीख को क्या कहा था? कहा था इसी वर्ष के लिये है। चुनांचे मैं पुनः भानुप्रताप-सिंह जी के संशोधन को प्रेस करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि इसको सरकार मान ले ताकि जो हारमोनी पैदा हुई है वह ब्रेक न हो और जिस तरह हम सरकार की हर मुमकिन मदद करने के लिये तैयार हैं उसी तरह सरकार को भी इसको मान लेना चाहिये।

श्री मैनेजरसिंह—इस सरचार्ज को ले कर इस बात का प्रमाण मिल गया कि कैसे राजनीति के खिलाड़ी मंत्रि परिषद् के सदस्य हैं।

[* * * * * * *]

श्रीमन्, मैं कह रहा था कि सदन में माननीय हुकुम सिंह जी ने कहा था केवल यह इस वर्ष के लिये है। और भानुप्रतापसिंह जी का यह संशोधन है कि इस वर्ष के लिये ही कर दिया जाय। यदि आप फिर लगाना चाहेंगे तो फिर आयेगा। लेकिन जिस प्रकार की बात आप करते हैं उससे हम तो आशा नहीं करते कि जो आप कहेंगे उसे करेंगे। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने तय किया था किसी प्रकार की भूमि पर कोई बढ़ोत्तरी इमरजेंसी में नहीं स्वीकार करेंगे। हमारे मेला हट गये क्योंकि हमारी पार्टी का स्पष्ट निर्णय क्लियर मेन्डेट था। लेकिन धोखा हो गया माननीय भानुप्रतापसिंह जी की पार्टी के, डाक्टर अहमद साहब ही पक्के खिलाड़ी निकले क्योंकि वह तो चाहते हैं कि असंतोष बढ़े, और सुरक्षा कार्य में व्यवधान पैदा हो।

श्री भानुप्रतापसिंह—श्रीमन्, राजस्व मंत्री का उत्तर सुनकर मुझको बड़ी निराशा हुई और आश्चर्य भी हुआ और मुझे अब यह स्वीकार कर लेने में कोई आपत्ति नहीं है कि जैसा कि माननीय मैनेजरसिंह ने कहा, हम लोग राजनीति के खेल में बहुत कच्चे निकले। हमारी पार्टी सबसे कम उम्र की पार्टी है, सिर्फ नेता को छोड़ कर, जितने विधायक हैं पहले पहल असेम्बली में आये हैं। असेम्बली में ही नहीं। राजनीति में भी पहले पहल आये हैं। हम उन राजनीतिक दाव पेचों को नहीं समझते थे इसको मैं स्वीकार करता हूं। आज हमें मालूम हुआ है कि किस गहराई तक यह सरकार अपने वायदों को देकर तोड़ सकती है। एक बार नहीं, अनेक बार राजस्व मंत्री ने कहा था कि यह विधेयक इसी वर्ष के लिये है। ६ तारीख को जो भाषण दिया था उसके अंश को मैं सुनाता हूं "मैं यह साफ कर देना चाहता हूं कि यह बिल मौजूदा साल जो है उसके लिये ही है" और ८ तारीख को उन्होंने पुनः कहा मैंने अपनी तकरीर में कहा था कि यह बिल करन्ट इयर के लिये महज है। भानुप्रतापसिंह जी ने एश्योरेंस चाहा था मैं उसे फिर दोहराता हूं कि यह विधेयक करेंट इयर के लिये ही है।" आप अपने दिल पर हाथ रख कर सोचें कि क्या वास्तव में यही एश्योरेंस नहीं दिया था कि यह बिल इसी वर्ष के लिये है?

मुझे तो बहुत ही घोर निराशा हुई यह सब कुछ देख कर। जो आदमी विश्वास कर लेता है और उसका यह नतीजा देखने को मिलता है तो स्वाभाविक है उसके मन में क्रोध और क्षोभ पैदा हो। मैं नहीं जानता था कि इस तरह की राजनीति यहां चलती है। अब भी राजस्व मंत्री कहते हैं कि अगले वर्ष जब यह नया बिल आयेगा तो यह खत्म हो जायगा। मैं आज इस बात का आश्वासन देने को तैयार हूं कि अगले वर्ष वह बिल लायेंगे और संकट की स्थिति होगी तो फिर हम समर्थन करेंगे। हम देश के संकट में कंधे से कंधा मिला कर आपके साथ चलने को तैयार हैं और जब तक संकट रहेगा तब तक साथ देंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि मूर्ख बना कर संकट की स्थिति का नाजायज फायदा उठा लें और फिर वही पुराना जोतकर विधेयक जिसे आप लाये

नोट—[****] माननीय उपाध्यक्ष की आज्ञा से कार्यवाही से निकाल दिया गया।

थे इस अवसर से लाभ उठा कर पुनः पारित करा लें तो मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि स्वतंत्र पार्टी इसक लिय तैयार नहीं है ।

श्री कमलासिंह यादव---जब तक यह पारित न हो तक तब के लिये समय बढ़ा दिया जाय ।

श्री हुकुमसिंह विसेन---साढ़े ५ बजे तक के लिये तय हो गया था ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---अभी मैंने ऐसा सुना कि माननीय राजस्व मंत्री कह रहे थे कि यह बिल जो है उसमें समय निश्चित नहीं किया गया है तो मैं बतला दूं कि राजस्व मंत्री उस वक्त मीटिंग में मौजूद थे, अपने को करेक्ट कर लें कि हम लोगों को जो गुप्त सर्कुलर गया था उसमें एक साल के लिये हम लोगों से एश्योरेंस लिया गया है और यह कहा गया था कि एक साल के लिये यह है ।

श्री उपाध्यक्ष---सब चीजों का वह जवाब देंगे ।

श्री भानुप्रतापसिंह---इस सदन में जब यह विधेयक प्रस्तुत हुआ तो माननीय मुख्य मंत्री, वित्त मंत्री और राजस्व मंत्री ने बार बार कहा कि विरोधी दल के नेताओं ने आश्वासन को तोड़ा है । और उसी आश्वासन को रखने के लिये हमने समर्थन किया । लेकिन आज मैं पूछना चाहता हूं कि उनके आश्वासनों का क्या हुआ जो उन्होंने अनेक बार इस सदन में और इस सदन के बाहर दिये हैं । उन्होंने अपने उत्तर में एक भी कारण नहीं बताया कि इसको क्यों नहीं स्वीकार करते, कौन सी कठिनाई है जब हम कहते हैं कि अगले साल आप लाइयेगा । हम फिर समर्थन करेंगे । कारण केवल इतना ही है कि आज इस विधेयक को पास करा लेना चाहते हैं संकट की स्थिति में । इसके बाद ये सोचते हैं कि संभव है कि संकट की स्थिति ऐसी मामूली रह जाय जिसमें इसकी आवश्यकता न रह जाय तो ये फिर इसी को चालू रखेंगे । इनका जो शुरू में इरादा था उसी को पूरा करने के लिये यह सारा जाल रचा गया है ऐसा प्रतीत होता है ।

मैं इस छोटे से संशोधन को केवल इसलिये लाया था जिससे कि यह स्पष्ट हो जाय कि सरकार की वास्तव में क्या नीति है । अगर उसकी यह नीति है कि संकटकालीन स्थिति में धन एकत्र किया जाय तो हम उसके लिये पूरा आश्वासन देते हैं । उन्होंने कहा कि इस साल अर्जेन्सी है । हमने कहा, ठीक है । लेकिन अगले साल कौन सी ऐसी स्थिति है ? इसलिये हम चाहते हैं कि इसको स्वीकार कर लें और जो एक अश्योरेंस को तोड़ने की परम्परा चल पड़ी है कम से कम उनकी तरफ से वह नहीं होनी चाहिये, नहीं तो मैं नहीं समझता कि इस देश की राजनीति कहां चली जायगी ।

श्री हुकुमसिंह विसेन---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं जानता कि माननीय भानुप्रताप जी में इतनी गरमी कहां से आ गयी । मैं तो कभी हीट पैदा करना चाहता नहीं । तमाम लीडरों के दरमियान यह तय हुआ था कि १ विधेयक होगा पार्ट १ और दूसरा विधेयक होगा पार्ट २ । पार्ट १ एक साल के लिये होगा । वह पार्ट १ यह है और दूसरा पार्ट चन्द दिक्कतों की वजह से इस वक्त नहीं आ सका । जिस वक्त वह आयेगा यह फौरन खत्म हो जायगा और वह पार्ट २ आयेगा, आयेगा, आयेगा और हम उसे बहुत जल्द लाना चाहते हैं ।

मैं आशा करता हूं कि जैसा कि माननीय भानुप्रताप जी ने वादा किया है जब वह विधेयक लायेंगे तो वे हमारा समर्थन करेंगे ।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट---कोई वादा नहीं है ।

श्री हुकुमसिंह विसेन---आप करें या न करें, आपके वादे का कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन उनके वादे का ठिकाना है । भानुप्रताप जी अपने वादे पर कायम हैं, उन पर मुझे भरोसा है और मैं जानता हूं कि इस इमर्जेन्सी के जमाने में वह कोई राजनीति खेलने के लिये

[श्री हुकुमसिंह बिसेन]

तैयार नहीं हैं। जो राजनीति खेलते हैं उनको हम भी पहचान गये, बारबार पहचानने की जरूरत नहीं है। मैं फिर कहता हूं कि जो हमने कहा था उस पर हम कायम हैं। अगर वह विधेयक साल भर के भीतर आ गया तो वही कायम रहेगा, यह नहीं रहेगा। लिहाजा ऐसी सूरत में मैं इसको मंजूर करने से कासिर हूं और समझता हूं कि भानुप्रताप जी अपने इस संशोधन को वापस ले लेंगे।

श्री भानुप्रतापसिंह---श्रीमन्, मैंने इस संशोधन को कसौटी बना रखा है। मैं इसे वापस नहीं लूंगा और स्पष्ट कहता हूं कि यदि इस सरकार ने अपने आश्वासन को पूरा नहीं किया तो हमारी पार्टी की तरफ से कोई भी समर्थन या आश्वासन जो सरकार को दिया गया है वह वापस लिया जाता है। मैं ऐसे लोगों से किसी प्रकार का समझौता करने को तैयार नहीं हूं जो बार-बार अपने आश्वासन को तोड़ते हैं।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (१) में शब्द "प्रत्येक ऐसे" के स्थान पर शब्द "इस" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई साहब, जो आपने संशोधन दिया है चूंकि वह ठीक इसी प्रकार का है इसलिये वह पेश नहीं होगा, वह आउट आफ आर्डर हो गया।

मौलाई साहब, "प्रत्येक ऐसे" की जगह "इस" और "केवल इस" में क्या फर्क है?

श्री हलीमुद्दीन (जिला मुरादाबाद)---बहुत फर्क है।

श्री उपाध्यक्ष---जी नहीं, कोई फर्क नहीं है।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)---उपाध्यक्ष महोदय, "ऐसे" शब्द को हटाकर "इस" शब्द रख दिया जाय। इसमें बहुत फर्क है।

श्री उपाध्यक्ष---जी नहीं, इस कांटेक्स्ट में "इस" और "केवल इस" में कोई फर्क नहीं है।

श्री विजयसिंह---श्रीमन्, इसमें वैधानिक आपत्ति है, सुन लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष---जी नहीं। यह तो वही है जो माननीय भानुप्रतापसिंह जी का था।

श्री विजयसिंह---इसमें कुछ अन्तर है।

श्री उपाध्यक्ष---जी नहीं।

श्री हलीमुद्दीन---अन्तर सिर्फ इतना है जैसे "स्पीकर" और "डिप्टी स्पीकर"।

श्री उपाध्यक्ष---जी नहीं। कोई फर्क नहीं है।

श्री हलीमुद्दीन---बहुत फर्क है।

श्री उपाध्यक्ष---जी नहीं। अच्छा तो मैंने फैसला कर दिया। अब किसी और संशोधन पर बोल लीजियेगा। बात यह है कि भानुप्रतापसिंह जी के संशोधन पर सदन का फैसला हो चुका है। इसलिये अब यह नहीं आ सकता। मौलाना साहब माफ कीजिये, आप बैठ जाइये।

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)---उपाध्यक्ष महोदय, मेरी पार्टी ने आश्वासन दिया है । इस पर मुझे कह लेने दीजिये । हम लोग तो आपके साथ हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---जी नहीं । वह तो ठीक है ।

श्री उमाशंकर---उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (१) की प्रथम पंक्ति के "किसी भाग में" के आगे शब्द "वर्तमान" जोड़ दिया जाय ।

श्री हुकुमसिंह विसेन---मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड (३) के उपखंड (१) की प्रथम पंक्ति के "किसी भाग में" के आगे शब्द "वर्तमान" जोड़ दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री कल्पनाथसिंह---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रस्तुत विधेयक के खंड ३ के उपखंड (१) के भाग (क), (ख) तथा (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय---

"(क) भूमिधर, यदि वह जमींदारी टूटने के पूर्व सीर या खुदकाश्त की जमीन के कारण भूमिधर हुआ है तो २५ प्रतिशत;

(ख) जमींदारी टूटने के पश्चात् दसगुना देकर भूमिधर होने वाले किसानों पर १० प्रतिशत ;

(ग) जमींदारी टूटने के पूर्व उन किसानों पर जो दाखिलकार गैरदाखिलकार या साकतुल मिल्कियत आदि के हैसियत से सीरदार हैं ५ प्रतिशत ;

(घ) सी० एल० आर० डी० तथा शिकमी के द्वारा जमींदारी टूटने के पश्चात् जो सीरदार हुये हैं उन किसानों से १ प्रतिशत ;

(ङ) किसी अन्य क्षेत्रपति के विषय में यदि वह आसामी या गांव समाज का आसामी हो तो १ प्रतिशत ;

(च) किसी अन्य क्षेत्रपति के विषय में उसके द्वारा देय या देय समझे जाने वाले लगान या मालगुजारी पर उपरोक्त रीति से ;

उपरोक्त रीति से मालगुजारी या लगान पर अधिभार उद्गृहीत किया जायेगा ।"

श्री भानुप्रतापसिंह---श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो मेरा संशोधन था क्या उस पर मत लिया गया या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष---उस पर वायस वोट हुआ था और वह गिर गया ।

श्री भानुप्रतापसिंह---लेकिन किसी को मालूम नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष---ऐसी बात कभी नहीं हो सकती । आप प्रोसीडिंग्ज में देख लीजिये ।

श्री कल्पनाथसिंह---मेरा भी ऐसा खयाल है । मैं अपने को भानुप्रताप जी से सम्बद्ध करता हूं । वोटिंग नहीं हुई है । उस संशोधन पर कृपया वोटिंग करवा लें ।

श्री उपाध्यक्ष---ऐसी बात नहीं है । वोटिंग हुई है । I am definite. There had been a voting.

भानुप्रतापसिंह जी, आप विश्वास रखिये । उस पर वोटिंग हुई है ।

श्री कल्पनार्थसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़ा आभार प्रकट करता हूं राजस्व मंत्री के प्रति, जिन्होंने हमारे हृदय में यह भावना उत्पन्न की कि मैं इस तरह का संशोधन उपस्थित करूं। श्रीमन्, यह भावना कैसे उत्पन्न हुई, आपातिक आपदाओं से माननीय राजस्व मंत्री जी जो किसान पीड़ित हैं, उनको मुक्त करना चाहते हैं।

यह एक ऐसी भावना थी जिसने हमें यह बाध्य किया सोचने के लिये कि राजस्व मंत्री जी का दृष्टिकोण न केवल भावनात्मक है बल्कि आर्थिक भी है और आर्थिक दृष्टिकोण के नाते ही उन्होंने दैविक आपदाओं से पीड़ित व्यक्तियों को इस अधिकार से मुक्त करने की व्यवस्था इस विधेयक में कर रखी है। श्रीमन्, जब मैं यह सोचने लगा तो वहीं मैंने यह भी सोचा जैसा कि अभी रामसुन्दर पांडेय जी ने कहा, माननीय उमाशंकर जी ने कहा है, दूसरे अन्य सदस्यों ने भी कहा और मैं माननीय राजस्व मंत्री का ध्यान इधर आकर्षित करना चाहूंगा कि मैंने एक एक करके 'कर से लेकर चक' तक इस तरह की अनियमिततायें दिखाने का प्रयत्न किया है जैसी कि उनके राजस्व की उगाही में हैं। आज देखा जाय तो जो पुराने जमींदार थे जमींदारी टूटने के बाद जो भूमिधर हुये आज वह आठ आने से लेकर १ रुपया बीघा तक बहुत मुश्किल से और कहीं-कहीं तो १ रुपया एकड़ तक ज्यादा से ज्यादा मालगुजारी देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ माननीय उमाशंकर जी ने बताया कि ५० रुपया एकड़ तक लगान देने वाले लोग मौजूद हैं। श्रीमन्, मैं माननीय राजस्व मंत्री से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सिपाही के नाते विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि क्या वह आज उन जमींदारों को छोड़ना चाहते हैं, उन बड़े-बड़े लोगों को छोड़ना चाहते हैं जो अंग्रेजी जमाने में अंग्रेजों के कदम चूमा करते थे, जो अमन सभाओं में जा जा कर बैठा करते थे और उस जमाने में भी, अंग्रेजों के जमाने में भी, फायदा उठाते थे? क्या माननीय राजस्व मंत्री के जमाने में भी वही फायदा उठायेंगे? आज वही किसान का बेटा लड़ाई पर भी रहेगा और उसी का लगान भी बढ़ाया जायगा?

मैं माननीय हरगोविन्दसिंह जी का भी घायल हूं। मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूं जो उन्होंने परसों कहा कि उधर जवान मोरचे पर रहेगा और इधर खबर जायगी कि यहां पर लोग उसको पैसा नहीं भेजना चाहते हैं। मैं यह बतलाना चाहता हूं कि जवान मोरचे पर रहेगा और उसके घर से खत जायगा कि तुम्हारा घर और जमीन कुर्क हो रही है। मालगुजारी बढ़ गई है माननीय राजस्व मंत्री के राज में और माननीय चन्द्रभानु गुप्त के राज में। मैं यह याद दिलाना चाहता हूं और यह पुनः कहना चाहता हूं कि इस तरह की भावनाएं अगर जागृत हुईं इस समाज में तो इस देश का कल्याण होने वाला नहीं है चाहे लाख ढोंग रच-रच करके, नाम बदल-बदल के, झूठे वादे कर कर के लाख कोशिश करते रहें ट्रेजरी बेंचेज के लोग, लेकिन उनका परदा फाश होगा ही। सत्य सत्य होकर रहेगा और झूठ झूठ होकर रहेगा....

श्री उपाध्यक्ष—देखिये, अब आप मेरिट्स पर आ जाइये।

श्री कल्पनार्थसिंह—मैं वही कह रहा हूं कि इसका क्या असर पड़ेगा। आप सुनें, मैं अपनी बात कहकर ही आज बैठूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—जरा सुनिये। यह एक फैसला लीडर्स का हो चुका है कि साढ़े पांच बजे तक इसे पास होना है। अब सवा चार बज चुका है। मैं चाहता हूं कि जल्दी-जल्दी काम हो जाय।

श्री कल्पनार्थसिंह—आप सदन की राय ले लीजिये। अगर उसका मत हो कि मैं न बोलूं तो मैं बैठ जाऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष—सदन की राय लेने का प्रश्न नहीं है.....

श्री कल्पनार्थसिंह—श्रीमन्, इतनी देर में तो मैं अपनी काफी बात कह लेता।

श्री उग्रसेन—मेरा प्रस्ताव है कि सदन का समय दो घंटे बढ़ा दिया जाय। यह बड़ा गम्भीर प्रश्न है (व्यवधान) काम तो बहुत है, लेकिन घर जाकर कौन काम रहेगा ?

श्री कमलासिंह यादव—हम लोग भी इस बात की ताईद करते हैं कि दो घंटे समय बढ़ा दिया जाय।

एक सदस्य—श्रीमन्, इस पर सदन का मत ले लिया जाय कि सदन का समय दो घंटे बढ़ा दिया जाय।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा प्रस्ताव ले लिया जाय कि इस गम्भीर प्रश्न पर विचार करने के लिये सदन का समय दो घंटे बढ़ाया जाय।

श्री बनारसीदास—मैं उग्रसेन जी के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। उस दिन यह तय कर दिया गया था। इस समय समय बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री कल्पनार्थसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि जब उन जवानों को चिट्ठी जायगी कि उनकी जमीन पर मालगुजारी बढ़ा दी गई है....

(इस समय, ४ बजकर १९ मिनट पर, श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

श्री रामसुन्दर पांडेय—हम लोगों की आपसे प्रार्थना है कि इस विधेयक पर लोगों की बहुत दिलचस्पी है। मन्त्रणा समिति में यह फैसला हो चुका है कि इसको ५।। बजे तक समाप्त कर दिया जाय, लेकिन हम यह चाहते हैं कि इस विधेयक के लिये २ घंटे का समय और बढ़ा दिया जाय और हम लोग बैठकर इस पर २ घंटे और विचार कर लें। हमारी इच्छा है कि आप सहायता करें। बहुत से इसमें बलवान् संशोधन हैं जिन पर विचार करना है : बहुमत के बल पर जो चाहते हैं वह तो हो ही जायगा, लेकिन हमारी राय सुन ली जाय तो शायद कभी उससे लाभ हो सके। हम चाहते हैं कि इसमें आप हमारी मदद करें।

श्री उग्रसेन—मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि सदन का समय २ घंटे और बढ़ा दिया जाय। इस में हम लोगों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का समय मिल जायगा।

श्री अध्यक्ष—इस समय ४।। बजे हैं और २ दिन तक हम खूब इस पर बहस कर चुके हैं। कोई नई बात हो तो आप कह सकते हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—उपाध्यक्ष जी यह कहते हैं कि जल्दी समाप्त कीजिये, इसलिये हम लोग समय चाहते हैं ताकि सफाई हो जाय।

श्री कल्पनार्थसिंह—मैं यह निवेदन कर रहा था कि माननीय हरगोविन्दसिंह ने यहां पर यह कहा था कि अगर हम यहां पर इस बिल का विरोध करते हैं तो वे मोर्चे पर जवान से यह कहेंगे कि उत्तर प्रदेश की विधान सभा में सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, जनसंघ और अब तो स्वतन्त्र पार्टी भी आपको एक पैसा भी भेजने के लिये तैयार नहीं है। मैं प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का एक सिपाही होने के नाते यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज जब उसके घर से उस जवान के पास चिट्ठी जायगी कि तुम्हारे घर का बैल कुर्क करके मवेशीखाने में बन्द कर दिया गया है, तुम्हारे बाप को बन्द कर दिया गया है हवालात में तो उस जवान के ऊपर क्या बीतेगी। यह एक खतरे का काम होगा। देशद्रोह का काम होगा .....

श्री अध्यक्ष—आप एक बात बतला दीजिये कि आप किस खंड पर बोल रहे हैं ?

श्री कल्पनार्थसिंह—मैं खंड ३ के ऊपर अपने विचार प्रकट कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष---आप हमारी एक बात सुन लें। हमारा फर्ज यह है कि जो विधेयक हमारे सामने आया है उस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि अब समय कम रह गया है इसलिये आप जल्दी करें लेकिन मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जो सामान्य विवाद में बातें आई हैं उनका उत्तर देने का यह समय नहीं है। मैं यह चाहता हूं कि जो कानूनी या जो भी बातें आप इस संबंध में, अपने संशोधन के संबंध में कहना चाहें। वह कहें, यहां इस सारे सदन में किसी भी सदस्य को यह शंका नहीं है कि इस सदन का कोई सदस्य इतना पतित है कि उसके हृदय में अपने राष्ट्र की प्रति भक्ति नहीं है। ऐसा कोई भी नहीं समझता। ऐसा कोई भी नहीं है।

श्री कल्पनाथसिंह---हैं। हरगोविन्दसिंह जी हैं।

श्री अध्यक्ष---कुछ कह दिया होगा।

श्री कल्पनाथसिंह---प्रोसीडिंग्स में है। उन्होंने यह कहा है कि आप अपना सहयोग रखे रहिये। उन्होंने यह कहा कि पीठ में छुरा भोंक दोगे। मैं कहता हूं कि वह और उनकी सरकार आज नौजवान की पीठ में छुरा भोंकने का काम कर रही है। और वह कैसे कर रही है इसे मैं बतला रहा हूं। वह जो लेक्चर दे गये उसका असर पड़ेगा।

श्रीमन्, आप 'क' से ले कर 'च' तक देखें। 'क' में है कि भूमिधर, यदि वह जमींदारी टूटने के पूर्व सीर या खुदकाश्त की जमीन के कारण भूमिधर हुआ है तो २५ प्रतिशत, 'ख' में है...

श्री अध्यक्ष---हां, यह है कि जमींदारी टूटने के पश्चात् दसगुना दे कर भूमिधर होने वाले किसानों पर १० प्रतिशत और उस के बाद आप जो दाखिलकार गैरदाखिलकार या साकितुल मिल्कियत आदि के हैसियत से सीरदार हैं उन पर ५ प्रतिशत लगाना चाहते हैं। तो इस तरह से आप अलग-अलग ग्रेड रखना चाहते हैं। ठीक है, उसी पर बोलिये।

श्री कल्पनाथसिंह---वही मैं कह रहा हूं। आप देखें कि जमींदारी टूटने के पूर्व जो लोग भूमिधर हुये हैं उन के लड़के नहीं जा रहे हैं फौज में, फौज में उन के लड़के जा रहे हैं जो सीरदार हैं, जो पुराने जमाने के दाखिलकार, गैरदाखिलकार हैं, जो आसामी हैं, जो अधिवासी हैं, जो सी० एल० आर० डी० द्वारा आये हैं उन गरीबों के लड़के जा रहे हैं और उन गरीबों पर ही टैक्स लगाया जा रहा है। टाटा, बिड़ला और निरहू धुरहू सब को एक साथ बैठाने का काम यह सरकार कर रही है। इसी सरकार के राज्य में मैंने देखा अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा है। यह गरीबों का मनोबल तोड़ने का एक जरिया है और मेरा चार्ज है कि अगर कम्युनिस्ट पार्टी के लोग इस तरह की सलाह सरकार को न देते तो शायद सरकार यह कदम न उठाती। यह सलाह इसलिये दी गयी है कि यह बिल आये और असंतोष बढ़े। मैं यह इसलिये कह रहा हूं कि आप देखें कि क्या हो रहा है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---यह गलत है। आप बैठ जांय। हम मानते हैं कि यह संकट काल है और इसमें हम स्वस्थ वातावरण पैदा करें। यदि सदन की यह स्थिति रहेगी तो इससे हमारी और आपकी शोभा नहीं बढ़ेगी। शान्तिपूर्वक आप इसके सपोर्ट में अपनी बात कहिये। (व्यवधान) एक बात सुन लीजिये। आर्डर प्लीज, अगर एक बुरी बात किसी आदमी ने कही तो उसके लिये बरगलाने वाला चाहे कोई हो उसे गाली देने से बुरी बात अच्छी बात नहीं हो जाती।

श्री कल्पनार्थसिंह--मैं सतर्क करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--सतर्क तो आपने सामान्य बहस में कर दिया । मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि हमारी शोभा इसी में है कि जो निर्णय हमने पहले किया था कि हम अपना कार्य यथाशक्ति शीघ्रातिशीघ्र समाप्त करेंगे और समय कम लेंगे, उसे आप पूरा करने की कोशिश करें । तो अब तक जो बातें हो चुकी हैं वह हो चुकीं ।

श्री कल्पनार्थसिंह--मैं अब कुछ नहीं कहूंगा । आपका हुक्म मैं हमेशा मानता हूं और आज भी मानूंगा लेकिन एक बात मैं रखना चाहूंगा । राजस्व मंत्री जी हमारे बुजुर्ग हैं । उन्होंने कहा था, मैं उन से जबानदराजी नहीं करता और उस के लिये मेरी हिम्मत भी नहीं हो सकती कि मैं उनको कोई बात कह सकूं, वे मेरे बुजुर्ग हैं । लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा इधर बैठने के नाते, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का सदस्य होने के नाते कि जो मेरा संशोधन है उसमें 'क से 'च' तक जितनी उसमें बातें कही गयी हैं उसमें कहां-कहां पर दिक्कतें हैं उनको वह अपने जवाब में बता दें ।

श्री अध्यक्ष--मैं एक स्पष्टीकरण कर दूं । माननीय बसन्तलाल जब बोल रहे थे तो उन्होंने प्रधानों के बारे में कहा था कि प्रधान दो तरह के होते हैं--एक तो नासमझ और दूसरा शरारती । मैं उसे समझा था कि एक बासमझ-दूसरा शरारत पसन्द । अगर मैं वस्तुतः कही हुयी बात ठीक सुनता तो वैसी बात नहीं कहता कि आप दोनों हैं । मेरे कहने का मतलब यह था कि आप नासमझ भी हैं और शरारत पसन्द भी हैं । तो वह बात साफ हो जाय ।

दूसरी बात यह है कि माननीय केशरीप्रसाद जी ने जो 'बकवास' शब्द पर आपत्ति की थी उसे भी मैंने निकाल दिया है ।

श्री हुकुमसिंह विसेन--अध्यक्ष महोदय, मैं भाई कल्पनार्थसिंह जी की भावनाओं का आदर करता हूं । और उनकी दिक्कतों को भी देखता हूं, लेकिन मैं उनसे नम्र निवेदन करता हूं कि उनको यह मालूम हो जाना चाहिये कि अगर मैं उनका यह संशोधन स्वीकार नहीं करता हूं तो इसलिये नहीं कि वे विरोधी दल के हैं या पी० एस० पी० के हैं । पी० एस० पी० में तो हमारे ही बहुत से दोस्त हैं वह कोई नयी पार्टी नहीं है, नयी पार्टीज तो और अलग-अलग हैं, बल्कि इसको मानने में हमारे सामने कई दिक्कतें हैं । माननीय कल्पनार्थसिंह जी को एक खतरा यह है कि हम बड़े जमींदारों को स्पेयर करना चाहते हैं । मैं उन्हें यकीन दिलाना चाहता हूं कि आप सदन की कार्यवाही को खत्म कीजिये और देखिये कि हम क्या करते हैं, हम किसी को स्पेयर करने वाले नहीं हैं । इमरजेन्सी के जमाने में हम एक-एक पैसा बचाकर सुरक्षा के कामों में खर्च करेंगे इसमें जरा सी भी कोताही हम करने वाले नहीं हैं । यह जो ग्रेड के हिसाब से हमारे मित्र ने रखा है इससे कई दिक्कतें सामने आ जायेंगी । हम तो लैंड पर सर चार्ज लगाने जा रहे हैं किसी इन्डिविजुअल पर नहीं । वह तो जमीन की नवइयत को देख कर जो पुराना तरीका है उस हिसाब से रहेगा । यह नहीं होगा कि जब आग लगे तब कुंआ खोदा जाय । घड़ी भर में घर जले और ढाई घड़ी में भद्रा आये । यह हम नहीं करेंगे । आज चीन ने हमें अल्टीमेटम दे रखा है । उससे आप सब वाकिफ हैं । हमें एक मिनट भी खोना नहीं है । जल्दी से जल्दी इन्तजाम करना है । अगर हम इस संशोधन को मान लेते हैं तो यह सारा विधेयक ही नाजायज हो जायगा । लिहाजा कल्पनार्थसिंह जी से हमें पूरी सहानुभूति होते हुये भी हम यह निवेदन करेंगे कि वे अपने इस संशोधन को वापस ले लें तो अच्छा हो ।

श्री कल्पनार्थसिंह--इसको वापस लेने का सवाल कहां पैदा होता है ?

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि—

खंड ३ के उपखंड (१) के भाग (क), (ख) तथा (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"(क) भूमिधर, यदि वह जमींदारी टूटने के पूर्व सीर या खुदकाश्त की जमीन के कारण भूमिधर हुआ है तो २५ प्रतिशत;

(ख) जमींदारी टूटने के पश्चात् दसगुन देकर भूमिधर होने वाले किसानों पर, १० प्रतिशत;

(ग) जमींदारी टूटने के पूर्व उन किसानों पर जो दाखिलकार, गैरदाखिलकार या साकितुल मिल्कियत आदि के हैसियत से सीरदार हैं, ५ प्रतिशत;

(घ) सी० एल० आर० डी० तथा शिकमी के द्वारा जमींदारी टूटने के पश्चात् जो सीरदार हुये हैं उन किसानों से १ प्रतिशत;

(ङ) किसी अन्य क्षेत्रपति के विषय में यदि वह आसामी या गांव समाज का आसामी हो तो १ प्रतिशत;

(च) किसी अन्य क्षेत्रपति के विषय में उसके द्वारा देय समझे जाने वाले लगान या मालगुजारी पर उपरोक्त रीति से;

उपरोक्त रीति से मालगुजारी या लगान पर अधिभार उद्गृहीत किया जायेगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—उग्रसेन जी, अब कौन-कौन से मूव कीजियेगा ?

श्री उग्रसेन—उमाशंकर जी के तो एक साथ सब हो जायंगे।

श्री अध्यक्ष—चन्द्रबलीसिंह जी, आप सब मूव कर दें और उमाशंकर जी और लखीसिंह जी बोलेंगे।

श्री चन्द्रबलीसिंह—मेरा संशोधन तो यह है कि खंड १ के उपखंड (१) में शब्द "उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार विधेयक, १९६२" के स्थान पर "उत्तर प्रदेश कृषि भूमि पर आपातिक अधिभार विधेयक, १९६२ रख दिये जावें। जब तक यह नहीं किया जायगा मेरे संशोधन माननीय राजस्व मंत्री जी की समझ में नहीं आवेंगे।

श्री अध्यक्ष—आ जावेंगे। आप बोलें तो सही। अगर आप अपने ये संशोधन रखना चाहते हैं तो रखें, वरना हम आगे चलें।

श्री चन्द्रबलीसिंह—मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (१) के भाग (क), (ख) व (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"(क) भूमिधर या सीरदार द्वारा जिसके द्वारा खेत जोता जाता है।

(ख) मध्यवर्ती के विषय में ऐसी भूमि के विषय में जो उसकी किसी जोत में हो या बाग या सीर या खुदकाश्त के रूप में उसके द्वारा धृत हो।

(ग) किसी अन्य क्षेत्रपति के क्षेत्र पर भी प्रत्येक एकड़ पर आठ आना यह आपातिक कर लगेगा।"

८ आना फी एकड़ तीनों के लिये है। जो लोग जितना खेत जोतते हैं उन पर ८ आना फी एकड़ वह आपातिक कर लगे। नरसिंहनारायण जी ने या उमाशंकर जी ने कहा, उत्तर प्रदेश में एक ही एकड़ पर कई रेट से किसान मालगुजारी या लगान देते हैं। एक व्यक्ति १ एकड़ जोत कर १ रुपया, दूसरा एक ही एकड़ जोत कर २ रुपये, इसी प्रकार औसतन ८ रुपये तक माल-

गुजारी एक एकड़ के जोतने वाले देते हैं। इस सरकार ने सब धान बाइस पसेरी कर रखा है। सब को एक ही लाठी से न हांक कर इस कर को एकड़ पर लगाया जाय। इसीलिये इस विधेयक के नामकरण का भी मैंने संशोधन रखा है। नाम तब्दील हो जाय तो मालगुजारी या लगान पर न लग कर यह अधिभार खेत पर लगेगा, तो जो जितना खेत जोतेगा उस पर उतना लग जायगा। इसलिये हम माननीय राजस्व मंत्री से कहेंगे कि हमारे संशोधनों को मानने की कृपा करें।

साथ ही, साढ़े बारह एकड़ से कम की जोतवालों से यह अधिभार न लिया जाय। इस के अलावा मंत्री जी ने स्वयं ही रखा है कि जो फौज में शरीक है या जो फौज में जाकर मर गया है या फौजियों की विधवाओं पर यह कर न लगे। मैं इसका समर्थन करता हूं। अब तक अपने सूबे में हर पेशेवर से टैक्स नहीं लिया जाता है। कौड़ी उससे ली जाती है जिसका पेशा नफेवाला होता है। कारखाने वालों से नौकरीदारों और दूकानदारों से सरकार अपने लिए कौड़ी नहीं लेती है। सब से अभागा एक किसान ही है जो चाहे १ बिस्वा खेती करे या हजार एकड़ की करे, सब से टैक्स लिया जाता है। जिनकी रोटी-रोजी नहीं चल पाती है, वे स्वेच्छा से अपना सब कुछ दे ही रहे हैं, अपने बच्चों को फौज में भेज रहे हैं और हर प्रकार की मुसीबत उठाने के लिये तैयार हैं। उनसे यह टैक्स न लिया जाय तो अच्छा है। वे समझते हैं कि विदेशियों को देश से हटा कर हम स्वदेशी जालिमों को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए वह तबका बहुत जागा हुआ है। सरकार क्यों इस विधेयक द्वारा उसके मन पर चोट मारना चाहती है? वह इस सरकार की जालिमाना हरकतों का भी विरोध करेगा। यह सरकार को डर समा गया है। कम्युनिस्ट पार्टी इसलिये सरकार का समर्थन कर रही है कि वह चाहती है कि देश में असन्तोष बढ़े और विशेषकर गरीब लोगों में। गरीबों में जब असन्तोष बढ़ेगा तो वे कहेंगे कि यह सरकार आपके साथ अन्याय कर रही है, इसलिये इसके खिलाफ हो जाओ। वह पार्टी असन्तोष बढ़ा कर इस सरकार को हटाना चाहती है।

यह विधेयक एक और सवाल पैदा करता है। यह शुबहा पैदा करता है कि यह सरकार रक्षा के लिये टैक्स क्यों लगाने जा रही है? क्या इसे केन्द्रीय सरकार पर अविश्वास पैदा हो गया है? क्या केन्द्रीय सरकार से यह राज्य अलग होना चाहता है? क्यों केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी यह सरकार उठाना चाहती है? अविश्वास अगर नहीं है तो इस प्रकार का विधेयक लाने का इस सरकार को क्या हक है? अविश्वास साफ है। हम जो अविश्वास की बात करते हैं, प्रधान मंत्री पर उसका कारण उनके नेतृत्व में विश्वास नहीं है। पर सरकार नेतृत्व में विश्वास रखते ऐसी हरकत क्यों कर रही है? यह हमारा सवाल है।

श्री अध्यक्ष—नरसिंहनारायण जी ने यह बात उठाई है, उस पर मुझे अपनी रूलिंग देनी है।

श्री चन्द्रबलीसिंह—मंत्री जी ने अभी कल्पनार्थसिंह जी के संशोधन पर कहा था कि उन्हें एक कठिनाई है कि हम कैसे टैक्स लगा पावेंगे। उन्होंने कहा कि मालगुजारी पर ही लगा सकते हैं। तो हम उस कठिनाई को दूर करने के लिये नामकरण का संशोधन दिये हैं। मंत्री जी दोनों को कबूल कर लें। किसी को अखरेगा नहीं जो जितना जोतेगा उतना काटेगा।

*श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपका बड़ा आभारी हूं क्योंकि मुझे आशा नहीं थी कि आज मुझे समय मिलेगा।

चन्द्रबलीसिंह के संशोधनों के एक-एक शब्द का मैं समर्थन करता हूं। मुझे क्षमा करेंगे कि मैं ज्यादा कानून नहीं जानता हूं। जब हम सब सदस्य विधान सभा को समाप्त करके अपने जिलों में गये आपकी आज्ञा अनुसार.....

श्री अध्यक्ष—बैठक समाप्त करके, विधान सभा को नहीं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री लखीसिंह---हम राजीनामा करके यहां से गये। वह जो कुछ हुआ इसी विधेयक पर था, यही बुनियाद थी। सत्याग्रह चले, हमें घसीटा गया। लेकिन कोई बात नहीं है। अपनी सरकार है। लड़ाई-भिड़ाई आपस में होती ही है। लेकिन जब दुश्मन चीन ने धोखे से हम पर हमला कर दिया, हमने अपने जिले में सुरक्षा समिति की बैठक की, जिलाधीश और हम सब उसमें बैठे। हमने किसानों से गुप्ता सरकार की बड़ी तारीफ की कि वह बहुत उदार है, उसने तो विधेयक को स्थगित कर दिया है। गुप्ता जी को परमात्मा सद्बुद्धि देंगे और अब तो वह इस विधेयक को वापिस लेंगे। लेकिन अब माननीय राजस्व मंत्री जी और गुप्ता जी ने अंगद का पांव गाड़ रखा है इस विधेयक को लाने में और कहते हैं कि इस हठधर्मी से हम हटेंगे नहीं। कम्युनिस्ट और कम्युनिस्टों के नेता चीन और रूस की यह चाल है कि हम में फूट पड़े और इसकी चिनगारी दुनियां में फैले। इस सरकार के दिमाग का दिवाला निकल गया है, आप उसको दुरुस्त करें। श्री चन्द्रबलीसिंह का जो संशोधन है उसके एक-एक शब्द का मैं समर्थन करता हूं। आपको इस सरकार को दुरुस्त करने का अधिकार है। इस वजह से कह रहा हूं कि सुरक्षा कोष के लिये हमने गरीबों, मजदूरों और सब भाई बहनों से एक-एक माशा सोना मांगा और उन्होंने दिया, लेकिन यहां आप सब धान २२ पसेरी बेच रहे हैं।

श्री अध्यक्ष---आप कृपा करके देखें कि माननीय चन्द्रबलीसिंह का जो प्रस्ताव है उसमें कहा गया है कि अमुक-अमुक आदमियों पर टैक्स लगाया जाय, यह नहीं है कि टैक्स बिलकुल लगाया ही न जाय, आप इसी दिशा में बोलें।

श्री लखीसिंह---मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। माननीय चन्द्रबलीसिंह जी ने और हमारी पार्टी के घोषणापत्र में यह कहा गया है कि साढ़े बारह एकड़ तक किसी पर लगान न लगाया जाय और न टैक्स लगे। लेकिन "गये थे चौबे छब्बे होने रह गये दूबे ही।" यही तो बीमारी है। उन पर तो टैक्स बिलकुल लगाना ही न चाहिये और बाकी पर एकड़ के हिसाब से लगाया जाय। अगर इस तरह कर दिया जाय तो हम इसका समर्थन करेंगे। आज चीन हत्यारे ने कह दिया है हमारे प्रधान मंत्री से कि जल्दी जवाब दो नहीं तो बस। लेकिन यहां क्या हो रहा है, चीन के बकरों को यहां पर चारा दिया जा रहा है। इसलिये मेरा नम्रता-पूर्वक निवेदन है कि लगान के ऊपर कर न लगाओ, चाहे और किसी तरह से लगाओ, नहीं तो हम सब लोग अपने-अपने क्षेत्रों में चक्कर में फंस जायेंगे।

श्री हुकुमसिंह विसेन---अध्यक्ष महोदय, मैं भाई लखीसिंह का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने हमें बड़े अच्छे सुझाव दिये और बड़ी महत्वपूर्ण बातें कहीं। उनसे मौके पर हम सबक लेंगे। इस मौके पर मेरी मजबूरी है। जो श्री चन्द्रबलीसिंह ने संशोधन दिया है उसको अगर हम स्वीकार करते हैं तो बहुत से चतुर किसान जो खुद खेत को नहीं जोतते हैं, साझेदारी के जरिये जोतने वाले हैं और नाजायज शिकमी देकर बचे हुए हैं वे बच जायेंगे और इस तरह से नाजायज काम करने वाले को नाजायज फायदा पहुंच जायगा, यह हमारे रास्ते में दिक्कत है। श्री चन्द्रबली जी का संशोधन है कि प्रत्येक एकड़ पर आठ आना यह आप तिक कर लगाया जाय, लेकिन हमारी स्कीम इसे एकड़ पर न लगा कर मालगुजारी और रेंट पर लगाने का है। लिहाजा मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। इन शब्दों के साथ मैं आशा क्यों करूं कि वे इसे वापस लेंगे, क्योंकि वे इसे वापस तो लेंगे नहीं, मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय---श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि क्या किसी संशोधन पर वोटिंग लिये बिना ही आप किसी दूसरे संशोधन को ले सकते हैं?

श्री अध्यक्ष---किस पर वोट नहीं लिया गया?

श्री केशरीप्रसाद पांडेय---श्री भानुप्रतापसिंह जी ने जो संशोधन रखा था उस पर वोटिंग नहीं हुई।

श्री हुकुमसिंह विसेन---वोटिंग हो गयी थी।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--मैं चाहता हूं कि आप प्रोसीडिंग देख लें और उस पर वोटिंग नहीं हुई है तो फिर वोटिंग करा कर तब आगे प्रोसीड करें ।

श्री अध्यक्ष--श्री भानुप्रतापसिंह जी, आपके द्वारा प्रस्तुत संशोधन पर वोटिंग हुई थी या नहीं ?

श्री भानुप्रतापसिंह--श्रीमन्, मुझे तो नहीं खयाल है कि वोटिंग हुई, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय ने कहा कि वोटिंग हो गयी ।

श्री अध्यक्ष--मैं कार्यवाही में देख लूंगा ।

प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (१) के भाग (क), (ख) व (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:--

"(क) भूमिधर या सीरदार द्वारा जिसके द्वारा खेत जोता जाता है ।

(ख) मध्यवर्ती के विषय में ऐसी भूमि के विषय में जो उसकी किसी जोत में हो या बाग या सीर या खुदकाश्त के रूप में उसके द्वारा धृत हो ।

(ग) किसी अन्य क्षेत्रपति के क्षेत्र पर भी प्रत्येक एकड़ पर आठ आना यह आपातिक कर लगेगा । "

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--श्रीमन्, आपने कहा कि कार्यवाही देख ली जायगी तो क्या यह खत्म होने के बाद आप उसे देखेंगे ? उसे देख कर आप प्रोसीड करें ।

श्री अध्यक्ष--अभी मंगवा रहा हूं ।

श्री उमाशंकर--अध्यक्ष महोदय, मैं यह संशोधन प्रस्तावित करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (१) के भाग (क) में शब्द "भूमिधर या सीरदार के विषय में" के आगे के सभी शब्द हटा कर उनके स्थान पर शब्द "उसकी जोत पर" रख दिये जायें ।

खंड ३ के उपखंड (१) के भाग (ख) में "द्वारा धृत हो" के आगे के सभी शब्द हटा दिये जायं ।

खंड ३ के उपखंड (१) के भाग (ग) में शब्द "विषय में" के आगे के शब्द हटा कर उसके स्थान पर "उसकी जोत पर" रख दिया जाय ।

खंड ३ के उपखंड (१) के भाग (ग) की तीसरी व चौथी पंक्ति निकाल कर उनके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :--

"प्रति एकड़ जोत पर डेढ़ रुपये के हिसाब से अधिभार उद्गृहीत किया जायगा और दिया जायगा ।"

श्रीमन्, जहां तक झगड़े की बात कही जाती है हमको किसी ऐसी बात में झगड़ा नहीं है कि युद्ध के लिये सुरक्षा कोष में पैसा न लिया जाय । आप जो पैसा मांगते हैं हम कहते हैं कि उससे अधिक पैसा लिया जाय, बस इसी बात का झगड़ा है । झगड़ा तो असल में रिक्रूटिंग आफिस में है जहां एक की जगह ५० नौजवान पहुंचते हैं और फिर आफिसरों को परेशानी होती है कि हम किसको-किसको लें । आप ५ करोड़ मांगते हैं लेकिन हम तो ८ करोड़ देने के लिये तैयार हैं और इसीलिये इसे डेढ़ रुपये एकड़ के हिसाब से लगाने को कहते हैं ।

श्री हुकुमसिंह विसेन--मैं इन सब को अपोज करता हूं ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (१) के भाग (क) में शब्द "भूमिधर या सीरदार के विषय में" के आगे के सभी शब्द हटा कर उनके स्थान पर शब्द "उसकी जोत पर" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (१) के भाग (ख) में "द्वारा धृत हो" के आगे के सभी शब्द हटा दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (१) के भाग (ग) में शब्द "विषय में" के आगे के शब्द हटा कर उसके स्थान पर "उसकी जोत पर" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (१) के भाग (ग) की तीसरी व चौथी पंक्ति निकाल कर उनके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"प्रति एकड़ जोत पर डेढ़ रुपए के हिसाब से अधिभार उद्गृहीत किया जायगा और दिया जायगा । "

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री रघुनाथसिंह---मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (१) के भाग (ग) को निकाल दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष---अब संशोधन पढ़े हुये समझे जायंगे, केवल जो कहना हो वह दें ।

श्री केशरीप्रसाद जी यह कार्यवाही आ गई है इसमें लिखा है कि "प्रश्न यह है कि खंड ३ के उप-खंड (१) में शब्द "प्रत्येक ऐसे" के स्थान पर शब्द "इस" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)"

श्री केशरीप्रसाद पांडेय---श्रीमन्, इस तरह की व्याख्या इसमें कहां है जो इसके पक्ष में हों वह हां कहें और जो इसके विरुद्ध हों वह नहीं ।

श्री अध्यक्ष---आप अगर कार्यवाहियों को देखें तो उनमें यह सब नहीं लिखा जाता है केवल यही लिखा जाता है कि प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ या अस्वीकृत हुआ ।

श्री रघुनाथसिंह---श्रीमन्, मुझे इस संशोधन को रखने की जरूरत इसलिये हुई, जैसा कि दूसरे संशोधनों का उत्तर देते समय माननीय माल मंत्री जी ने बताया कि विभिन्न जोतों की मालगुजारी पर अलग-अलग अधिभार कायम करने मे कठिनाई है, इसी कारण इस संशोधन को लाने की जरूरत पड़ी । आप देखें कि इसमें (क) में लिखा है कि "भूमिधर या सीरदार के विषय में, उसके द्वारा देय मालगुजारी पर" लेकिन आगे (ग) में बताया गया है कि 'किसी अन्य क्षेत्रपति के विषय में उसके द्वारा देय या देय समझे जाने वाले लगान पर, मालगुजारी या लगान के प्रतिशत की दर से अधिभार उद्गृहीत किया जायगा और दिया जायगा ।" इन अन्य क्षेत्रपतियों में अधिकतर शिकमी काश्तकार आते हैं जिनसे देय समझी जाने वाली लगान पर भी २५ प्रतिशत अधिक लगेगा ।

श्री अध्यक्ष---आप बैठ जायं तो मंत्री जी बता देंगे कि उन का क्या मतलब है ।

श्री रघुनाथसिंह---इसमें कौन सी बड़ी गूढ़ बात है जिसको हम नहीं समझ सकेंगे और मंत्री जी ही हमको समझा सकेंगे । आप बोलने दीजिये, कौन सी हमने अभी तक ऊटपटांग बात कही है जो आप हमें इस तरह से बीच में टोक कर बैठाना चाहते हैं . . . .

श्री अध्यक्ष---अच्छा आप कहिये क्या कहना चाहते हैं ।

श्री रघुनाथसिंह---मैं यह कह रहा था कि इस तीसरे खंड में जो (क), (ख) और (ग) रखे गये हैं इनमें (क) में भूमिधर या सीरदार द्वारा देय मालगुजारी पर और (ख) में मध्यवर्ती की ऐसी भूमि के सम्बन्ध में जो उस की जोत में हो या बाग या सीर खुदकाश्त के रूप में उसके द्वारा धृत हो उसके द्वारा देय या देय समझी जाने वाली मालगुजारी पर और (ग) में किसी अन्य क्षेत्रपति द्वारा देय या देय समझे जाने वाले लगान पर मालगुजारी या

लगान के २५ प्रतिशत की दर से अधिभार वसूल किया जायगा। हमारा कहना यह है कि (क) और (ख) में जिन कृषकों का जिक्र है उनके अतिरिक्त (ग) में वही कृषक आयेंगे जो शिकमी हैं और जो दूसरों की जमीन जोतते हैं। वे ज्यादातर गरीब होते हैं शिकमी ही अधिक लगान देता है और उनके द्वारा देय के अतिरिक्त देय समझे जाने वाले लगान पर भी २५ प्रतिशत यह अधिभार लगेगा तो उस पर बहुत ज्यादती होगी और वे बोझ को न उठा सकेंगे।

मैं एक बात की ओर और ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इन विभिन्न प्रकार के किसानों और उनकी विभिन्न प्रकार की जोतों पर विभिन्न प्रकार की मालगुजारी की बात सोच कर पिछली बैठक में जो 'जोत कर' विधेयक आया था, उसमें जोत का पूंजीगत मूल्य ५०, २०, १२ गुना के हिसाब से लगाया गया था, उस विधेयक में तो समझदारी दिखायी थी, सरकार ने प्रस्तुत विधेयक में उसको नहीं रखा संकटकाल के नाम पर। अब चाहे कोई कम मालगुजारी देता हो, या ज्यादा, अमीर हो या गरीब सबसे २५ फीसदी अधिभार वसूल होगा जो अन्याय है। लेकिन जैसा मंत्री जी ने कहा, विभिन्न प्रकार से अधिभार लगाने में दिक्कत होगी, वैधानिक बाधा है, इसलिये हमने प्रस्ताव किया है कि जो उप-खंड यह (ग) शिकमी काश्तकारों से संबंधित है उसे निकाल दिया जाय।

श्री हुकुमसिंह विसेन—अध्यक्ष महोदय, जो (ग) क्लाज रखा गया है अभी सूबे में बहुत जगह पर जमींदारी समाप्त नहीं हुई वहां कुछ लोग ऐसे हैं जिनका लगान तशखीस नहीं है। ऐसी सूरत में (ग) निकाल देते हैं तो वे सब लोग बच जाते हैं जिसमें बड़े-बड़े जमींदार इंटरमीडियरीज हैं। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है खंड ३ के उपखंड (१) के भाग (ग) को निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—(मेघनाथसिंह शिशोदिया से) जो आपका संशोधन है उस पर केवल वोट ले लूं और नहीं तो ७ बज जायंगे इस पर।

श्री रामसुन्दर पांडेय—हमने श्रीमन्, समय बढ़ाने के लिये निवेदन किया था।

श्री अध्यक्ष—जो मुख्य खंड हैं उन पर देख लिया जायगा और जो ज्यादा बहस करने लायक नहीं हैं उन पर बहस क्यों की जाय।

श्री मेघनाथसिंह शिशोदिया (जिला मेरठ)—श्रीमन्, इस आश्वासन पर कि यह विधेयक केवल इसी साल के लिये था और सैनिक जवानों के लिये मंत्री जी ने जो आश्वासन अब दिया है वे उसे पूरा करेंगे, मैं इस संशोधन को प्रस्तुत नहीं करता।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—श्रीमन्, खंड ३ में मेरे तीन संशोधन हैं। मैं चाहता हूं समय बचाने के लिये एक साथ रख दूं।

श्री अध्यक्ष—ठीक है।

श्री रियासत हुसैन—खंड ३ के उपखंड (१) के भाग (ग) के पश्चात् पहली पंक्ति में "पचीस प्रतिशत" के स्थान पर "पांच प्रतिशत" रख दिया जाय।

खंड ३ के उप-खंड (१) के प्रतिबन्ध के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्ध रख दिया जाय:—

"प्रतिबन्ध यह भी है कि अधिभार ऐसे क्षेत्रपति द्वारा दय न होगा जो १०० रुपया या इससे कम मालगुजारी या लगान अदा करते हों।"

[श्री रियासत हुसैन]

खंड ३ के उपखंड (१) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय---

"प्रतिबन्ध यह भी है कि जिस क्षेत्रपति से सुरक्षा कोष में जिस प्रकार धन दिया जाता है यदि वह चाहे तो यह धन बाद कटौती करके मालगुजारी या लगान अधिभार वसूल किया जाये।"

इस क्लाज में दो बातें हैं---एक यह कि २५ परसेंट लगाया जाय सब मालगुजारी पर अगर दूसरे कुछ एग्जम्पशन्स हैं किन पर नहीं लगाया जाय। और इसी सिलसिले में हमारा संशोधन है जिसमें यह है २५ की जगह ५ परसेंट लगाया जाय एक में यह कहा गया है कि १०० रुपये से कम की मालगुजारी वालों को छोड़ दिया जाय। तीसरे में कहा गया है कि जिन लोगों ने किसी शक्ल में सुरक्षा कोष में रुपया दिया है उस रुपये की कटौती इस मालगुजारी के सरचार्ज में दे दी जाय।

अब सवाल यह पैदा होता है कि जिन लोगों ने सुरक्षा कोष में रुपया दिया है किस खयाल से दिया है। मैं सदन का ध्यान उस तरफ ले जाना चाहता हूं। पिछले सेशन में जिस दिन हम लोग यहां से उठे थे और सभी माननीय सदस्य यह सोचते थे कि अपने अपने क्षेत्र में जा कर वार एफर्ट्स में लगें, उस समय सदन में सवाल आया था कि नेशनल डिफेन्स फंड के चलते हुये मुख्य मंत्री कोष उत्तर प्रदेश के अन्दर चलना चाहिये या नहीं। इसके ऊपर थोड़ी बहस हुई थी। माननीय मुख्य मंत्री जी ने तब यह कहा था कि चूंकि हमारा सीमावर्ती प्रदेश है और इसके अन्दर एक सेकिंड लाइन आफ डिफेन्स कायम करनी पड़ेगी चाहे वह एन० सी० सी०, पी० आर० डी० या किसी शक्ल में हो, उसके लिए एक अलग कोष होना चाहिये मुख्य मन्त्री के नाम से। उसका कुछ हिस्सा एन० डी० एफ० में दे देंगे और कुछ बचा लेंगे जिसे सेकिंड लाइन आफ डिफेन्स पर खर्च कर सकते हैं। उसके लिए एक प्लान बना। मुख्य मंत्री ने उस प्लान के मातहत हर जिले के कलेक्टर को यह आदेश दिया कि जिले की आबादी के हिसाब से १ रुपया फी कश इकट्ठा करना है। उसके हिसाब से तमाम प्रदेश में साढ़े सात करोड़ का हिसाब बना। उसके हिसाब से हर जिले के कलेक्टर ने मीटिंग बुलाई बी० डी० ओज०, एस० डी० ओज० और एम० एल० एज० की कि किस तरह से हम अपने जिले का कोटा पूरा कर सकते हैं। जब गंगा के मेले पर बनारसीदास जी गये तो एक प्लान उन्होंने सामने रखा कि मुरादाबाद में २० लाख इकट्ठा कर के देना है। फिर तहसीलों में वह रुपया बांटा गया और ३ लाख मेरी तहसील के हिस्से में आया और टार्गेट डेट यह मुकर्रर की गयी कि ३१ दिसम्बर तक यह रुपया इकट्ठा होना चाहिये और उसके मुताबिक प्लान बनाया जाय। लेकिन २३ तारीख के सुबह रेडियो पर ब्राडकास्ट हो गया कि केबिनेट का फैसला हुआ है कि २५ परसेंट सरचार्ज मालगुजारी पर लगेगा। तो मेरी समझ में नहीं आता कि जब सदन में यह फैसला किया गया कि साढ़े ७ करोड़ रुपया हम एक प्लान के मुताबिक इकट्ठा कर रहे हैं और हम लोग इकट्ठा कर रहे थे तो फिर किसान को सुनाने की क्या जरूरत थी ३१ दिसम्बर से पहले कि २५ फीसदी का खर्च और आ रहा है। ३१ दिसम्बर तक पहले देख लेते कि आया सारा कलेक्शन वालेंटरी बेसिस पर हुआ है या नहीं फिर ३१ दिसम्बर के बाद २५ परसेंट सरचार्ज का बिल आप ला सकते थे। इसका नतीजा यह हुआ कि किसान के अन्दर यह बात पैदा हो गयी कि जब कानूनन वसूल किया जायगा तो वालेंटरी बेसिस पर देने से हाथ खींच लें। किसान का क्या हाल होगा २५ परसेंट लगाने से उसका जिक्र करना तो ठीक नहीं होगा, लेकिन उससे ५ फीसदी लेने को इसलिये मैं कह रहा हूं कि एक अद्भुत बड़ा हिस्सा उस आश्वासन के बाद वह दे चुका है चाहे उसने गन्ने की सोसाइटीज के जरिये से दिया हो, कोआपरेटिव बैंक्स के सुपरवाइजर्स के जरिये से दिया हो या लेखपाल, बी० डी० ओ० और तहसीलदार के जरिये से दिया हो। अगर इस २५ परसेंट को काट कर ५ परसेंट कर दिया जाय तब भी साढ़े ७ करोड़ का कोटा जो आप ने तय किया था वह हम पूरा कर सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं होगी।

दूसरे जो भाई कल्पनाथसिंह ने कहा था कि प्रन्ट के ऊपर जब यह खत जायगा कि आप के लड़ने के लिये उत्तर प्रदेश की जनता पैसा नहीं देना चाहती, तो मैं यह बता दूं कि मैं तीन, चार

साल सर्विस में रहा हूं। मैंने आपरेशन का एरिया देखा है, मैंने बरमा और आसाम का एरिया देखा है। फ्रंट पर जो भी खत जाते हैं वह सेन्सर हो कर जाते हैं। वहां वही चीज़ जाती है जिससे लड़ने वाले सिपाहियों का हौसला बढ़े न कि घटे। तो यह कहना कि सिपाही के पास यह लिख कर जायगा यह कोई दलील नहीं है।

श्री हुकुमसिंह विसेन—अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने दोस्त की तकरीर बड़े गौर से सुनी। उन्होंने बड़ी जांफ़िशानी के साथ सब बातें बयान कीं। उनके साथ हम को हमदर्दी है। उन्होंने बड़ी मेहनत की और कुछ रुपया इकट्ठा भी किया। वे कहते हैं कि दोबारा कैसे देंगे। हज एक ही बार नहीं जाया जाता, कई बार जाने से ज्यादा सबाब होता है। तो जिन लोगों ने हजखुद दिया है वे जरूर देंगे। वे हमारे या आप के कहने से नहीं देते हैं, वे देश की सुरक्षा की भावना से प्रेरित हो कर देते हैं। लिहाजा अगर दोबारा भी पड़ जायगा तो वे खुशी से देंगे। आपकी परेशानी बिलकुल नामुनासिब मालूम होती है।

तीसरा अमेंडमेंट डिस्क्रिमिनेट करता है। जैसा कि भाई कल्पनाथ जी के संशोधन के सम्बन्ध में मैंने अर्ज़ किया था। उसको हम स्वीकार नहीं कर सकते। जो नम्बर २ पर २५ के बजाय ५ फीसदी लगाने की बात कही गयी है इससे भी टार्गेट पूरा नहीं होता है इसलिये हम उसे भी मंजूर करने से मजबूर हैं।

इन शब्दों के साथ मैं इन तीनों का विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३.....

श्री श्यामलाल—प्वाइंट आफ़ आर्डर है।

श्री काशीनाथ मिश्र—आपके बोलते समय कोई प्वाइंट आफ़ आर्डर रेज नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष—आप उनको नहीं समझाते।

श्री श्यामलाल—अपने व्याख्यान के दौरान में राजस्व मंत्री जी ने बार बार कहा कि यह आर्टिकिल १४ को कंट्रावीन करता है इसलिये मैं नहीं मान सकता। जिस समय जोत कर विधेयक आया था उस समय सरकार ने ८ एकड़ तक की छूट दी थी.....

श्री अध्यक्ष—यह प्वाइंट आफ़ आर्डर नहीं है, आप कृपा कर के बैठ जाइये।

प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (१) के भाग (ग) के पश्चात् पहली पंक्ति में "पन्द्रीस प्रतिशत" के स्थान पर "पांच प्रतिशत" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (१) के प्रतिबन्ध के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्ध रख दिया जाय:—

"प्रतिबध यह भी है कि अधिभार ऐसे क्षेत्रपति द्वारा देय न होगा जो १०० रुपया या इससे कम मालगुजारी या लगान अदा करते हों।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (१) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबंध जोड़ दिया जाय—

"प्रतिबन्ध यह भी है कि जिस क्षेत्रपति से सुरक्षा कोष में जिस प्रकार धन दिया जाता है यदि वह चाहे तो वह धन बाद कटौती कर के मालगुजारी या लगान अधिभार वसूल किया जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---मेरा आदरणीय सदन से निवेदन था कि जितने नेता थे उन्होंने मिलकर यह तय किया था कि इसको आज पास कर देंगे। तो मेरा निवेदन यह है कि मैं आपके सामने संशोधन रखता जाऊं और उसके ऊपर वोट लेता जाऊं।

श्री उग्रसेन---मेरा प्रस्ताव यह है कि सदन का समय कम से कम एक घंटा और बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---थोड़ी देर तो बढ़ेगा ही।

श्री मैनेजरसिंह---आध घंटा बढ़ा दीजिये।

श्री अध्यक्ष---जी हां, आध घंटा तो बढ़ ही जायगा।

[माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार खंड ३ में निम्नलिखित संशोधन उपस्थित किए हुये माने गए---

प्रस्तावक का नाम	संशोधन
२-क श्री मैनेजरसिंह	खंड ३ के उपखंड (१) के भाग (ग) के पश्चात् पहली पंक्ति में "पचीस प्रतिशत" के स्थान पर "१ प्रतिशत" रख दिया जाय।
२-क२ डाक्टर रघुनाथसिंह	खंड ३ के उपखंड (१) के भाग (ग) के नीचे की पंक्तियों "उस मालगुजारी या लगान----------दिया जायेगा" में शब्द "पचीस" के स्थान पर "साढ़े बारह" रखा जाय।
२-क३ श्री कल्पनाथसिंह	खंड ३ के उपखंड (१) का अन्तिम वाक्य (प्रतिबन्धात्मक वाक्य को छोड़ कर) निकाल दिया जाय।
२-क४ श्री उमाशंकर	खंड ३ के उपखंड १ (ग) के अन्त में निम्न शब्द जोड़ दिये जायं--- "किन्तु इस अधिभार को लगाने का अधिकार उत्तर प्रदेश सरकार के उसी मंत्रिमंडल को होगा जिसमें केवल १० मंत्रीगण मय सभा सचिव तथा उपमंत्रियों को मिला कर होंगे, और वे मंत्रीगण यह निश्चय करेंगे कि आपत्तिकाल पर्यन्त वे पूर्व निश्चित मासिक वेतन के अलावा कोई भी भत्ता राज्य सरकार से नहीं लेंगे।"
२-ख२ श्री रघुबीरसिंह	खंड ३ के उपखंड (१) के प्रतिबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय : "(अ) प्रतिबन्ध यह है कि जिस क्षेत्रपति की जोत ३ १/८ एकड़ से कम है उसको यह कर देय न होगा। (ब) प्रतिबन्ध यह है कि जिस क्षेत्रपति का भाई, पुत्र या पिता तथा पिता के भाई का पुत्र और पिता के भाई के पुत्र का पुत्र भारतीय फौज में है उसको यह कर न देय होगा। (स) प्रतिबन्ध यह भी है कि इस विधेयक के प्रभावी होने से पहले यदि कोई क्षेत्रपति मुख्य मन्त्री राष्ट्रीय सुरक्षा कोष अथवा प्रधान मन्त्री राष्ट्रीय कोष में कुछ धन दे चुका हो, यदि वह चाहे तो इस कर के देय धन में वह धन मुजरा कर शेष धन यदि उसके जिम्मे बाकी बचता हो ले लिया जायेगा।"

क्रम-संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन
२-ख३	श्री केशरीप्रसाद पांडेय	खंड ३ के उपखंड (१) के प्रतिबन्धात्मक वाक्य में "देय न होगा" और "जो" के बीच निम्नलिखित रख दिया जाय:— "जिसके पास १२।। एकड़ या उससे कम भूमि होगी अथवा"।
२-ख४	श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री भानुप्रतापसिंह तथा श्री काशीनाथ बहादुर पाल।	खंड ३ के प्रतिबन्ध के दूसरी पंक्ति में शब्द "में" और शब्द "लगे" के बीच में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय— "लगा हुआ हो या"।
२-ग	श्री कमलासिंह यादव, श्री होरीलाल यादव, श्री केशरीप्रसाद पांडेय तथा श्री मैनेजरसिंह।	खंड ३ के प्रतिबन्ध की चौथी पंक्ति में शब्द "दायादों" के स्थान पर शब्द "उत्तराधिकारी" रख दिया जाय।
२-ग२	डाक्टर रघुनाथसिंह	खंड ३ के प्रतिबन्ध की चौथी पंक्ति में शब्द "दायादों" के स्थान पर शब्द "उचित उत्तराधिकारी" रख दिये जायं।
३	श्री कमलासिंह यादव, श्री रामसुन्दर पांडेय, तथा श्री रियासत हुसैन।	खंड ३ के उपखंड (१) के प्रतिबन्ध के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्ध रख दिया जाय : "प्रतिबन्ध यह भी है कि अधिभार ऐसे क्षेत्रपति द्वारा देय न होगा जो १०० रुपया या इससे कम मालगुजारी या लगान अदा करते हों।"
३-क	श्री कमलासिंह यादव श्री होरीलाल यादव, श्री केशरीप्रसाद पांडेय तथा श्री मैनेजरसिंह।	खंड ३ के प्रतिबन्ध के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय : "किन्तु यह भी प्रतिबन्ध है कि अधिभार ऐसे क्षेत्रपति द्वारा देय न होगा जिस परिवार का कोई व्यक्ति भारतीय सेना में देश की प्रतिरक्षा हेतु लगा हो।"
३-ख	श्री मैनेजरसिंह	खंड ३ के उपखंड (१) के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य जोड़ दिया जाय— "प्रतिबन्ध यह भी है कि अधिभार ऐसे क्षेत्रपति द्वारा देय न होगा जो १०० रुपया तक मालगुजारी या लगान देता हो अथवा उस क्षेत्रपति के परिवार का कोई सदस्य सक्रिय सैनिक सेवा में हो।"
३-ग	श्री कल्पनाथ सिंह	खंड ३ के प्रतिबन्धात्मक वाक्य के अन्त में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय : "अन्तिम प्रतिबन्ध यह होगा कि इस अधिभार से प्रदेश को ८ एकड़ तक का अलाभकर किसान वंचित समझा जायेगा।"
३-घ	श्री चन्द्रबलीसिंह	खंड ३ के उपखण्ड (१) के प्रतिबन्धात्मक वाक्य के आगे निम्नलिखित जोड़ दिया जाय : "जिस किसान के नाम से १२।। एकड़ से कम उपरोक्त प्रकार के खेत ह, वह अधिभार नहीं लगाया जावेगा।"

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
श्री हिम्मतसिंह	खंड ३ के उपखंड (१) के अन्तिम पैराग्राफ के अन्त में निम्नलिखित और बढ़ा दिया जाय-- "यह अधिभार ऐसे क्षेत्रपति द्वारा देय न होगा जो कुल मिला कर साढ़े बारह एकड़ अथवा उससे कम भूमि का मालिक हो।"
श्री मुन्नूसिंह, श्री नवरंगसिंह तथा श्री मंगलप्रसाद आर्य।	खंड ३ के उपखंड (१) के अन्त में निम्नलिखित वाक्य जोड़ दिया जाय-- "जो व्यक्ति भारतीय सेना में सेवा कर रहा हो तथा पी० ए० सी० में सेवा कर रहा हो।"
श्री भानुप्रतापसिंह तथा श्री विजयसिंह।	खंड ३ के उपखंड (१) के अन्त में जो प्रतिबन्ध है उसके बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाय। "प्रतिबन्ध यह भी है कि जो क्षेत्रपति आपत्तिकालीन समय में देश के सुरक्षार्थ भी धनराशि 'राष्ट्रीय सुरक्षा कोष या मुख्य मंत्री सुरक्षा कोष में' दे चुका है वह धनराशि उस धनराशि में से मुजरा की जायगी, जो इस विधेयक द्वारा किसी भी क्षेत्रपति या शामिल खातेदार द्वारा देय होगी या देय समझी जायेगी।"
श्री उमाशंकर	खंड ३ के उपखंड (२) में "प्रयोजनों के लिए" के आगे के शब्द "देय ....से लेकर.....लगान" तक के शब्द हटा दिये जायं और उनके स्थान पर शब्द "जोत" रख दिया जाय।
श्री चन्द्रबली सिंह	खंड ३ का उपखंड (२) हटा दिया जाय।]

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (१) के भाग (ग) के पश्चात् पहली पंक्ति में "पचीस प्रतिशत" के स्थान पर "१ प्रतिशत" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (१) के भाग (ग) के नीचे की पंक्तियों "उस मालगुजारी या लगान.....दिया जायगा" में शब्द "पचीस के स्थान पर "साढ़े बारह" रखा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (१) का अन्तिम वाक्य (प्रतिबन्धात्मक वाक्य को छोड़कर) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड १ (ग) के अन्त में निम्न शब्द जोड़ दिये जायें--

"किन्तु इस अधिभार को लगाने का अधिकार उत्तर प्रदेश सरकार के उसी मंत्रिमंडल को होगा जिसमें केवल १० मंत्रीगण मय सभा सचिव तथा उपमंत्रियों को

मिला कर होंगे और वे मंत्रिगण यह निश्चय करेंगे कि आपत्तिकाल पर्यन्त वे पूर्व निश्चित मासिक वेतन के अलावा कोई भी भत्ता राज्य सरकार से नहीं लेंगे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (१) के प्रतिबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय---

"(अ) प्रतिबन्ध यह है कि जिस क्षेत्रपति की जोत ३ १/८ एकड़ से कम है उसको यह कर देय न होगा।

(ब) प्रतिबन्ध यह है कि जिस क्षेत्रपति का भाई, पुत्र या पिता तथा पिता के भाई का पुत्र और पिता के भाई के पुत्र का पुत्र भारतीय फौज में है उसको यह कर देय न होगा।

(स) प्रतिबन्ध यह भी है कि इस विधेयक के प्रभावी होने से पहले यदि कोई क्षेत्रपति मुख्य मन्त्री राष्ट्रीय सुरक्षा कोष अथवा प्रधान मंत्री राष्ट्रीय कोष में कुछ धन दे चुका हो, यदि वह चाहे तो इस कर के देय धन में वह धन मुजरा कर शेष धन यदि उसके जिम्मे बाकी बचता हो ले लिया जायेगा।"

श्री रघुवीरसिंह---अध्यक्ष महोदय, इसमें एक नयी बात है। इसलिये मुझे पांच मिनट का मौका दे दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---हमारी एक प्रार्थना मान लीजिये। जब खंड ३ पुटअप करेंगे तो दो मिनट बोल लीजियेगा।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (१) के प्रतिबन्धात्मक वाक्य में "देय न होगा" और "जो" के बीच निम्नलिखित रख दिया जाय---

"जिसके पास १२।। एकड़ या उससे कम भूमि होगी अथवा"।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३ के प्रतिबन्ध की दूसरी पंक्ति में शब्द "में" और शब्द "लगे" के बीच में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय---

"लगा हुआ हो या।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३ के प्रतिबन्ध की चौथी पंक्ति में शब्द "दायादों" के स्थान पर शब्द "उत्तराधिकारी" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३ के प्रतिबन्ध की चौथी पंक्ति में शब्द 'दायादों' के स्थान पर "उचित उत्तराधिकारी" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---छः बजे तक समय सदन की अनुमति से बढ़ाया जाता है।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३ के प्रतिबन्ध के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय---"किन्तु यह भी प्रतिबन्ध है कि अधिभार ऐसे क्षेत्रपति द्वारा देय न होगा जिस परिवार का कोई व्यक्ति भारतीय सेना में देश की प्रतिरक्षा हेतु लगा हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ---

पक्ष में---७३,
विपक्ष में---१४९।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (१) के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य जोड़ दिया जाय---

"प्रतिबन्ध यह भी है कि अधिभार ऐसे क्षेत्रपति द्वारा देय न होगा जो १०० पया तक मालगुजारी या लगान देता हो अथवा उस क्षेत्रपति के परिवार का कोई सदस्य सक्रिय सैनिक सेवा में हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---अब अगर आप लोग मुझे इजाजत दें तो एक बात हो सकती है। आधा घंटा समय बढ़ा है तो पारित होने के समय में दो एक भाषण यहां हो जायं, इसलिये अच्छा यह होगा कि मैं संशोधन का सिर्फ नम्बर पढ़ दूं।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि---

खंड ३ के प्रतिबन्धात्मक वाक्य के अन्त में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय---

"अन्तिम प्रतिबन्ध यह होगा कि इस अधिभार से प्रदेश को ८ एकड़ तक का अलाभ-कर किसान वंचित समझा जायगा।"

खंड ३ के उपखंड (१) के प्रतिबन्धात्मक वाक्य के आगे निम्नलिखित जोड़ दिया जाय---

"जिस किसान के नाम से १२॥ एकड़ से कम उपरोक्त प्रकार के खेत हैं, वह अधिभार नहीं लगाया जावेगा।"

खंड ३ के उपखंड (१) के अन्तिम पैराग्राफ के अन्त में निम्नलिखित और बढ़ा दिया जाय---

"यह अधिभार ऐसे क्षेत्रपति द्वारा देय न होगा जो कुल मिलाकर साढ़े बारह एकड़ अथवा उससे कम भूमि का मालिक हो।"

खंड ३ के उपखंड (१) के अन्त में निम्नलिखित वाक्य जोड़ दिया जाय---

"जो व्यक्ति भारतीय सेना में सेवा कर रहा हो तथा पी० ए० सी० में सेवा कर रहा हो।"

खंड ३ के उपखंड (१) के अन्त में जो प्रतिबन्ध है उसके बाद निम्नलिखित रख दिया जाय---

"प्रतिबन्ध यह भी है कि जो क्षेत्रपति आपत्तिकालीन समय में देश की सुरक्षार्थ भी धनराशि "राष्ट्रीय सुरक्षा कोष या मुख्यमंत्री सुरक्षा कोष" में दे चुका है वह धनराशि उस धनराशि में से मुजरा की जायगी, जो इस विधेयक द्वारा किसी भी क्षेत्रपति या शामिल खातेदार द्वारा देय होगी या देय समझी जायेगी।"

खंड ३ के उपखंड (२) में "प्रयोजनों के लिये" के आगे के शब्द "देय...से ले कर...लगान" तक के शब्द हटा दिये जायें और उनके स्थान पर शब्द "जोत" रख दिया जाय।

खंड ३ का उपखंड (२) हटा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और उपर्युक्त समस्त संशोधन अस्वीकृत हुये।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४

४—क्षेत्रपति द्वारा देय मालगुजारी पर अधिभार की धनराशि का भुगतान मालगुजारी के रूप में किया जायेगा और उसे मालगुजारी की प्रत्येक किस्त में उसी अनुपात में जोड़ दिया जायेगा जो अनुपात उस किस्त का कृषि वर्ष की कुल मलगुजारी से हो ।

क्षेत्रपति द्वारा देय मालगुजारी पर अधिभार की वसूली की रीति

प्रतिबन्ध यह है कि अधिभार की पहली किस्त, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो सप्ताह की समाप्ति के पश्चात् देय हो जायेगी ।

[माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार खंड ४ में निम्नलिखित संशोधन उपस्थित किए हुए माने गये—

श्री कमलासिंह, श्री श्यामसुन्दर पांडेय तथा श्री रियासत हुसेन

खंड ४ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"४—क्षेत्रपति द्वारा मालगुजारी पर अधिभार की धनराशि का भुगतान मालगुजारी के रूप में १२ किस्त में किया जायगा और उसे मालगुजारी की प्रत्येक किस्त प्रत्येक महीने की १५वीं तारीख को अदा किया जायगा ।"

श्री चन्द्रबली सिंह

खंड ४ के स्थान पर निम्न रख दिया जाय—

"क्षेत्रपति द्वारा अधिभार की धनराशि मालगुजारी या लगान के साथ वसूल होगी और उसे मालगुजारी या लगान की प्रत्यक किस्म में उसी अनुपात में जोड़ दिया जाय जो अनुपात उस किस्त का कृषि वर्ष की कुल मालगुजारी या लगान से हो ।"

श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई तथा श्री भगवानदास यादुवेन्दु

खंड ४ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"४—क्षेत्रपति द्वारा देय या देय समझे जाने वाले मालगुजारी या लगान पर अधिभार धनराशि का अभिधारण तहसीलदार द्वारा इस कृषि वर्ष में ऐसी जांच यदि कोई हो करने के पश्चात बाबत क्षेत्रीय लगानी दर किया जायेगा, और उसका भुगतान दो किस्तों में होगा ।

प्रतिबन्ध यह है कि अधिभार की पहली किस्त इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो सप्ताह की समाप्ति के पश्चात देय हो जायेगी । और दूसरी किस्त इस कृषि वर्ष के अन्तिम तक अदा कर दी जायेगी ।"

श्री उमाशंकर

खंड ४ के प्रारम्भ में "क्षेत्रपति" के बाद शब्द "देय मालगुजारी" के स्थान पर शब्द "जोत" रख दिया जाय ।]

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"४—क्षेत्रपति द्वारा देय मालगुजारी पर अधिभार की धनराशि का भुगतान मालगुजारी के रूप में १२ किस्त में किया जायगा और उसे मालगुजारी की प्रत्येक किस्त प्रत्येक महीने की १५वीं तारीख को अदा किया जायगा ।"

खंड ४ के स्थान पर निम्न रख दिया जाय :

"क्षेत्रपति द्वारा अधिभार की धनराशि मालगुजारी या लगान के साथ वसूल होगी और उसे मलगुजारी या लगान की प्रत्येक किस्त में उसी अनुपात में जोड़ दिया जाय जो अनुपात उस किस्त का कृषि वर्ष की कुल मालगुजारी या लगान से हो ।"

खंड ४ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"४---क्षेत्रपति द्वारा देय या देय समझे जाने वाले मालगुजारी या लगान पर अधिभार धनराशि का अधिभारण तहसीलदार द्वारा इस कृषि वर्ष में ऐसी जांच यदि कोई हो करने के पश्चात बाबत क्षेत्रीय लगानी दर किया जायेगा। और उसका भुगतान दो किस्तों में होगा।

प्रतिबन्ध यह है कि अधिभार की पहली किस्त इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो सप्ताह की समाप्ति के पश्चात् देय हो जायगी और दूसरी किस्त इस कृषि वर्ष के अन्तिम तक अदा कर दी जायेगी।"

खंड ४ के प्रारम्भ में "क्षेत्रपति" के बाद के शब्द "देय मालगुजारी" के स्थान पर शब्द "जोत" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और उपर्युक्त समस्त संशोधन अस्वीकृत हुए।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड---५

क्षेत्रपति द्वारा देय समझी जाने वाली मालगुजारी या लगान पर अधिभार की वसूली की रीति

५---(१) देय या देय समझे जाने वाली लगान पर अथवा देय समझी जाने वाली मालगुजारी पर अधिभार की धनराशि का अवधारण तहसीलदार द्वारा प्रत्येक कृषि वर्ष में ऐसी जांच (यदि कोई हो) करने के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे, किया जायेगा और उसका भुगतान दो किस्तों में किया जायेगा।

(२) प्रत्येक किस्त की मांग के नोटिस की तामील क्षेत्रपति पर तहसील द्वारा या उसके प्राधिकार से प्रत्येक कृषि वर्ष में, यथासंभव, नवम्बर और मई के अन्त तक की जायेगी।

क्षेत्रपति, उपधारा (२) के अधीन नोटिस की प्राप्ति के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर, तहसीलदार के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है और तहसीलदार की आज्ञा, अपील के परिणाम के अधीन रहते हुये, अन्तिम होगी और उस पर किसी दीवानी न्यायालय में आपत्ति न की जा सकेगी;

(४) अपील, उस आज्ञा के दिनांक से जिसके विरुद्ध अपील की जाये एक माह के भीतर परगना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है जो ऐसी आज्ञा दे सकता है जो वह उचित समझे।

(५) नोटिस के अधीन देय धनराशि का भुगतान उसकी प्राप्ति के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर, और उपधारा (३) के अधीन आपत्ति प्रस्तुत किये जाने की दशा में यथा-स्थिति उस पर तहसीलदार की आज्ञा के या अपील पर दी गयी आज्ञा के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर किया जायेगा।

(६) देय या देय समझे जाने वाले लगान पर अथवा देय समझी जाने वाली मालगुजारी पर अधिभार, यदि उसका भुगतान निश्चित दिनांक तक न कर दिया जाये, मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूल किया जायेगा।

[माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार खंड ५ में निम्नलिखित संशोधन उपस्थित किए हुए माने गये---

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
श्री चन्द्रबली सिंह	खंड ५ के उपखंड (१) के स्थान पर निम्न रख दिया जाय--- "(१) खेतों पर अधिभार की धनराशि का अवधारण तहसीलदार द्वारा प्रत्येक कृषि वर्ष में ऐसी जांच (यदि कोई हो)

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
	करने के पश्चात् जो आवश्यक समझे, किया जावेगा और उसका भुगतान दो किस्तों में होगा।"
श्री केशरीप्रसाद पांडेय	खंड ५ से उपखंड (१) और (२) को निकाल कर उनके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय : "देय या देय समझे जाने वाले लगान पर अथवा देय समझी जाने वाली मालगुजारी पर अधिभार की धनराशि का अवधारण तहसीलदार द्वारा आवश्यकतानुसार प्रत्येक कृषि वर्ष में यथासंभव नवम्बर और मई के अन्त तक ऐसी जांच करने के पश्चात् जो आवश्यक समझे किया जायेगा और उसका भुगतान दो किस्तों में किया जायेगा।"
श्री उमाशंकर	खंड ५ के उपखंड (१) की पहली पंक्ति के शब्द "देय" से लेकर दूसरी लाइन के शब्द "वाली मालगुजारी" तक के सभी शब्दों को हटा कर उस स्थान पर केवल शब्द "जोत" रख दिया जाये।
श्री हलीमुद्दीन तथा श्री भगवान दास यादवेन्दु।	खंड ५ के उपखंड (१) में शब्द "प्रत्येक" की जगह शब्द "इस" रख दिया जाय और उपखंड (२) में शब्द "नवम्बर" की जगह अंक व शब्द "१५ जनवरी" रख दिये जायं।
श्री हलीमुद्दीन तथा श्री भगवान दास यादवेन्दु।	खंड ५ के उपखंड (३) में '(२)' की जगह '(१)' रख दिया जाय।
श्री चन्द्रबलीसिंह	खंड ५ के उपखंड (३) में "पन्द्रह दिन" के स्थान पर "पैंतालीस दिन" और "दीवानी अदालत में आपत्ति न की जा सकेगी" के मध्य के शब्द "न" को हटा दिया जाय।
श्री चन्द्रबलीसिंह	खंड ५ के (४) उपखंड में "एक माह" के स्थान पर "दो माह" रख दिया जाय।
श्री उमाशंकर	खंड ५ के उपखंड (४) की दूसरी पंक्ति में "परगना अधिकारी" के स्थान पर "जिले के उच्च न्यायाधिकारी" रख दिया जाय।
श्री चन्द्रबलीसिंह	खंड ५ के उपखंड (५) में जहां-जहां "पन्द्रह दिन" आया है "एक माह" कर दिया जाये।
श्री हलीमुद्दीन तथा श्री भगवान दास यादवेन्दु।	खंड ५ के उपखंड (५) में "(३)" की जगह "(२)" रख दिया जाय।
श्री केशरीप्रसाद पांडेय	खंड ५ के उपखंड (५) में जहां कहीं शब्द "भीतर" आया हो उसके स्थान पर शब्द "बाद" रख दिया जाय।
श्री चन्द्रबलीसिंह	खंड ५ के उपखंड (६) के स्थान पर निम्न रख दिया जाव— "अधिभार की बकाया मालगुजारी या लगान के रूप में वसूल किया जावेगा।
श्री उमाशंकर	खंड ५ के उपखंड (६) की प्रथम पंक्ति के "देय" से लेकर दूसरी पंक्ति के "मालगुजारी" तक के सभी शब्द हटा कर उसके स्थान पर केवल शब्द "जोत" रख दिया जाय।
श्री चन्द्रबलीसिंह	"खंड ५ के उपखंड (७) को हटा दिया जाय।"]

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि--

खंड ५ के उपखंड (१) के स्थान पर निम्न रख दिया जाय :--

"(१) खेतों पर अधिभार की धनराशि का अवधारण तहसीलदार द्वारा प्रत्येक कृषि वर्ष में ऐसी जांच (यदि कोई हो) करने के पश्चात् जो आवश्यक समझे, किया जावेगा और उसका भुगतान दो किस्तों में होगा।"

खंड ५ के उपखंड (१) और (२) को निकाल कर उनके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय।

"देय या देय समझे जाने वाले लगान पर अथवा देय समझी जाने वाली मालगुजारी पर अधिभार की धनराशि का अवधारण तहसीलदार द्वारा आवश्यकतानुसार प्रत्येक कृषि वर्ष में यथासंभव नवम्बर और मई के अन्त तक ऐसी जांच करने के पश्चात जो आवश्यक समझे किया जायेगा और उसक भुगतान दो किस्तों में किया जावेगा।"

खंड ५ के उपखंड (१) की पहली पंक्ति के शब्द "देय" से लेकर दूसरी लाइन के शब्द "वाली मालगुजारी" तक के सभी शब्दों को हटा कर उस स्थान पर केवल शब्द "जोत" रख दिया जाय।

खंड ५ के उपखंड (१) में शब्द "प्रत्येक" की जगह शब्द "इस" रख दिया जाय और उपखंड (२) में शब्द "नवम्बर" की जगह अंक व शब्द "१५ जनवरी" रख दिये जायं।

खंड ५ के उपखंड (३) में '(२)' की जगह '(१)' रख दिया जाय।

खंड ५ की उपखंड (३) में "पन्द्रह दिन" के स्थान पर "पैतालिस दिन" और "दीवानी अदालत में आपत्ति न की जा सकेगी" के मध्य के शब्द "न" को हटा दिया जाय।

खंड ५ के उपखंड (४) में "एक माह" के के स्थान पर "दो माह" रख दिया जाय।

खंड ५ के उपखंड (४) की दूसरी पंक्ति में "परगना अधिकारी" के स्थान पर "जिले के उच्च न्यायाधिकारी" रख दिया जाय।

खंड ५ के उपखंड (५) में जहां-जहां "पन्द्रह दिन" आया है "एक माह" कर दिया जाये।

खंड ५ के उपखंड (५) में "(३)" की जगह "(२)" रख दिया जाय।

खंड ५ के उपखंड (५) में जहां कहीं शब्द "भीतर" आया हो उस के स्थान पर शब्द "बाद" रख दिया जाय।

खंड ५ के उपखंड (६) के स्थान पर निम्न रख दिया जावे---

"अधिभार की बकाया मालगुजारी या लगान के रूप में वसूल किया जावेगा।"

खंड ५ के उपखंड (६) की प्रथम पंक्ति के "देय" से लेकर दूसरी पंक्ति के "मालगुजारी" तक के सभी शब्द हटाकर उस स्थान पर केवल शब्द "जोत" रख दिया जाय।

"खंड ५ के उपखंड (७) को हटा दिया जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और उपर्युक्त समस्त संशोधन अस्वीकृत हुये।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड--६

६--राज्य सरकार, कोई ऐसी कृषि आपदा आ पड़ने पर जिसका फसलों पर प्रभाव पड़ा हो, उस भूमि के संबंध में जिसकी फसल उस आपदा से प्रभावित हुई हो, देय सम्पूर्ण अधिभार की या उसके किसी भाग की ऐसी रीति से छूट दे सकती है या उसकी वसूली स्थगित कर सकती है, जो नियत की जाये ।

कृषि-आपदा के कारण अधिभार की छूट और उसका स्थगन

[माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार खंड ६ में निम्नलिखित संशोधन उपस्थित किये हुये माने गये--

संशोधन का स्वरूप

प्रस्तावक का नाम

खंड ६ के अन्त में निम्नलिखित बढ़ाया जाय--

"किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि प्रदेश का वह भूभाग जो बाढ़ से प्रभावित होता है या रहा है वह इस अधिभार से मुक्त समझा जायेगा ।"

श्री कल्पनाथसिंह, श्रीकमला सिंह यादव, श्री बलवानसिंह

खंड ६ के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय--

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि लगातार आपदा जिस भूमि पर पड़ी हो जैसा कि लगान छूट के लिये नियम है ऐसी भूमि इस अधिनियम के भार से वंचित रहेगी ।"]

श्री कल्पनाथसिंह, श्री रियासत हुसैन, श्री होरीलाल यादव, श्री रामसुन्दर पांडेय

श्री कल्पनार्थसिंह--इस खंड में मेरा एक छोटा सा संशोधन है । वह आप कृपया पेश करने की अनुमति दें दें ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ६ के अन्त में निम्नलिखित बढ़ाया जाय--

"किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि प्रदेश का वह भू-भाग जो बाढ़ से प्रभावित होता रहा है या है वह इस अधिभार से मुक्त समझा जायगा ।"

श्री हुकुमसिंह विसेन--हमने इसके अन्दर रखा है कि जहां पर बाढ़ या नेचुरल केलेमिटीज एग्रीकल्चर के ऊपर आवें तो उनको हेल्प देने के लिये प्राविजन रखा है ।

श्री उग्रसेन--जब चीन से लड़नेवाले सिपाही पर इन लोगों ने लगा दिया है तो बाढ़ पीड़ितों को छोड़ेंगे ?

श्री अध्यक्ष--ऐसी बात नहीं है ।

श्री कल्पनार्थसिंह--राजस्व मंत्री जी की मंशा से संबंधित यह संशोधन है जैसा कि उन्होंने व्वयस्था की है अगर उस व्यवस्था को वह पूर्णतः मानते हैं तो यह देखेंगे कि बाढ़पीड़ित इलाके में केवल एक फसल मुश्किल से मिल पाती है और वह भी पूरी नहीं जब कि उनकी सारी खेती अलाभकर है । तो मैं समझता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री जी इसकी मंशा से सहमत हैं और इसको मानने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता । अगर राजस्व मंत्री जी एक फसल की छूट देने के लिये तैयार हैं तो दूसरी फसल में छूट न देने का कोई कारण नहीं मालूम होता । मैं इसलिये पुनः निवेदन करूंगा कि वे इस पर विचार करें ।

श्री हुकुमसिंह विसेन---भाई कल्पनाथ जी से मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मैंने अच्छी भावना से ही यह पावर अपने हाथ में रखी है। अगर उनकी मदद न करनी होती तो यह पावर हम कभी न लेते। लेकिन कहीं अगर एक पैसा भी नुकसान हो गया तो उनको कैसे छूट दी जायगी? सैलाब वाले इलाके में भी ऐसी जमीन रहती है कि जिसको नुकसान नहीं होता।

श्री राम सुन्दर पांडेय---जो धारा ६ है वह बहुत स्पष्ट है और इसलिये मैं निवेदन करूंगा माननीय कल्पनाथ सिंह जी से कि वे अपने संशोधन को वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष---यह ठीक है। इसमें है कि राज्य सरकार, कोई ऐसी कृषि आपदा आ पड़ने पर जिसका फसलों पर प्रभाव पड़ा हो, उस भूमि के संबंध में, जिसकी फसल उस आपदा से प्रभावित हुई हो, देय संपूर्ण अधिभार की या उसके किसी भाग की ऐसी रीति से छूट दे सकती है या उसकी वसूली स्थगित कर सकती है, जो नियत की जाये।

श्री कमलासिंह यादव---यह दूसरा संशोधन भी देख लें श्रीमन्। अगर लगातार आपदा आ जाय तो उस समय भी क्या यह छूट मिलेगी? यह उसे कवर नहीं करता।

श्री अध्यक्ष---उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें साफ लिखा है और उसके लिये रूल्स बन जायेंगे।

श्री कमलासिंह यादव---यदि नियम में उसे कर दें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ६ के अन्त में निम्नलिखित बढ़ाया जाय---

"किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि प्रदेश का वह भू-भाग जो बाढ़ से प्रभावित होता रहा है या है वह इस अधिभार से मुक्त समझा जायेगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ६ के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय---

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि लगातार आपदा जिस भूमि पर पड़ी हो जैसा कि लगान छूट के लिये नियम है, ऐसी भूमि इस अधिनियम के भार से वंचित रहेगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ७

अधिभार भूमि पर प्रभार होगा

७---मालगुजारी या लगान पर अधिभार उस भूमि पर प्रभार होगा जिससे उक्त मालगुजारी या लगान सम्बद्ध हो।

[माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार खंड ७ में निम्नलिखित संशोधन उपस्थित किया हुआ माना गया---

श्री उमाशंकर खंड ७ को हटा कर उसके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय---

"जोत अधिभार मालगुजारी या लगान पर प्रभार होगा।"]

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ७ को हटा कर उसके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय।

"जोत अधिभार मालगुजारी या लगान पर प्रभार होगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ८–९

८—इस अधिनियम के उपबन्ध प्रभावी होंगे, भले ही किसी अन्य विधि या संविदा या अनुदान (grant) में कोई बात उनसे असंगत हो। अधिनियम अन्य विधियों आदि पर अभिभावी होगा

९—(१) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये गजट में पूर्व प्रकाशन के पश्चात् नियम बना सकती है। नियम बनाने का अधिकार

(२) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में, कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त, रखे जायेंगे, और जब तक कि राज्य सरकार द्वारा कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाये, गजट में प्रकाशन के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों तथा अभिशून्यनों (annulments) के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो विधान-मंडल के दोनों सदन करने के लिये सहमत हों किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बद्ध नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ८ और ९ इसविधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार विधेयक १९६२

उत्तर प्रदेश में क्षेत्रपतियों द्वारा देय या देय समझी जाने वाली मालगुजारी या लगान पर अधिभार के उद्ग्रहण की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

यह आवश्यक तथा इष्टकर है कि वर्तमान राष्ट्रीय आपात के समय बढ़े हुये व्यय को पूरा करने के लिये अपेक्षित वित्तीय साधन बढ़ाने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में क्षेत्रपतियों द्वारा देय या देय समझी जाने वाली मालगुजारी या लगान पर अधिभार के उद्ग्रहण की व्यवस्था की जाये;

अतएव भारतीय गणतंत्र के तेरहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार अधिनियम, १९६२ कहलायेगा। संक्षिप्त शीर्षनाम

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा। और प्रसार

[माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार खंड १ तथा प्रस्तावना में निम्न लिखित संशोधन उपस्थित किये हुये माने गये—

प्रस्तावक का नाम	संशोधन
श्री चन्द्रबलीसिंह	खंड १ के उपखंड (१) में शब्द "उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार विधेयक, १९६२" के स्थान पर शब्द "उत्तर प्रदेश कृषि भूमि पर आपातिक अधिभार विधेयक, १९६२ कहलायेगा" रख दिये जायं।
श्री उमाशंकर	खंड १ के उपखंड (१) में शब्द "मालगुजारी तथा लगान" हटाकर उसके स्थान पर "जोत" रख दिया जाय।
श्री काशीनाथ मिश्र तथा श्री राधेश्याम शर्मा।	खंड १ में उपखंड (१-क) के रूप में निम्नलिखित को जोड़ दिया जावे "(१-क) जिस दिन से भारत सरकार चीन या किसी अन्य आक्रमणकारियों के विरुद्ध युद्ध का एलान करेगी उसी दिन से यह लागू समझा जायेगा।"
श्री केशरीप्रसाद पांडेय	खंड १ के उपखंड (२) में शब्द "प्रसार" और "समस्त" के बीच निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय: "हिमालय से सम्बद्ध पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़ कर"
श्री मैनेजरसिंह	खंड १ के उपखंड (२) में "समस्त उत्तर प्रदेश" के स्थान पर "विधेयक के समर्थक विधान सभा सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्र" कर दिया जाय।
श्री कल्पनाथसिंह	खंड १ के उपखंड में (२) में शब्द "समस्त" और शब्द "उत्तर प्रदेश" के बीच शब्द "पूर्वी उत्तर प्रदेश, बुन्देलखंड और उत्तराखंड के जिले छोड़ कर" रख दिये जायें।
श्री चन्द्रबलीसिंह	खंड १ के उपखंड (२) के शब्द "इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा" के पश्चात् निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायं: "किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह बाढ़ पीड़ित क्षेत्र न हो और इस क्षेत्र से कोई गैर कांग्रेसी न चुना गया हो"
श्री हिम्मतसिंह	खंड १ के उपखंड (२) में शब्द "होगा" के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाय--- "यह विधेयक ३१ मार्च, १९६२ से रद्द समझा जायगा।"
श्री हिम्मतसिंह	प्रस्तावना में शब्द "बढ़े हुये" और "व्यय" के बीच में शब्द "सुरक्षा" बढ़ा दिया जाय।
श्री उमाशंकर	प्रस्तावना की पंक्ति ३ में "द्वारा देय" से लेकर "लगान" तक के शब्द हटा कर उस स्थान पर शब्द "जोत" रख दिया जाय।]

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि....

श्री काशीनाथ मिश्र---श्रीमन्, कोई भी बिल जब आता है तो उसमें उल्लेख होता है कि वह कब से लागू होगा। लेकिन इसमें इसका जिक्र कहीं भी नहीं है।

श्री अध्यक्ष---यह संकटकालीन स्थिति है या नहीं?

श्री काशीनाथ मिश्र---है।

श्री हुकुमसिंह विसेन---मैं उनके संशोधन को नहीं मानता।

श्री रामसुन्दर पांडेय---यह किस दिनांक से समाप्त हो जायेगा।

श्री काशीनाथ मिश्र---मैंने श्रीमन् बहुत ही सफाई के साथ इसको रख दिया है सरकार कहीं यह न करे कि बराबर चीनी आक्रमणकारियों को अपने देश में बसाये रहे और यह पैसा भारतवासियों से वसूल करती रहे।

श्री मैनेजरसिंह---मेरा ६ नंबर पर सीधा सादा संशोधन है।

श्री अध्यक्ष—अब कुछ नहीं कहा जायेगा, मैंने संशोधन पुट कर दिये हैं। प्रश्न यह है कि—

खंड १ के उपखंड (१) में शब्द "उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार विधेयक, १९६२" के स्थान पर शब्द "उत्तर प्रदेश कृषि भूमि पर आपातिक अधिभार विधेयक, १९६२ कहलायेगा।" रख दिये जायं।

खंड १ के उपखंड (१) में शब्द "मालगुजारी तथा लगान" हटाकर उसके स्थान पर "जोत" रख दिया जाय

खंड १ में उपखंड (१-क) के रूप में निम्नलिखित को जोड़ दिया जावे—

"(१-क) जिस दिन से भारत सरकार चीन या किसी अन्य आक्रमणकारियों के विरुद्ध युद्ध का ऐलान करेगी उसी दिन से यह लागू समझा जायगा।"

खंड १ के उपखंड (२) में शब्द "प्रसार" और "समस्त" के बीच निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय;

"हिमालय से सम्बद्ध पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़ कर"

खंड १ के उपखंड (२) में "समस्त उत्तर प्रदेश" के स्थान पर विधेयक के समर्थक विधान सभा सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्र" कर दिया जाय।

खंड १ के उपखंड में (२) में शब्द "समस्त" और शब्द "उत्तर प्रदेश के बीच शब्द "पूर्वी उत्तर प्रदेश बुन्देलखंड और उत्तराखंड के जिले छोड़ कर रख दिये जायं

खंड १ के उपखंड (२) के शब्द "इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा" के पश्चात् निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायं—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह बाढ़ पीड़ित क्षेत्र न हो और इस क्षेत्र में से कोई गैर कांग्रेसी न चुना गया हो"

खंड १ के उपखंड (२) में शब्द "होगा के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाय—

"यह विधेयक ३१ मार्च, १९६२ से रद्द समझा जायगा"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और उपर्युक्त समस्त संशोधन अस्वीकृत हुये।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि—

श्री हिम्मत सिंह प्रस्तावना में शब्द "बढ़े हुये" और "व्यय" के बीच में शब्द "सुरक्षा" बढ़ा दिया जाय।

प्रस्तावना की पंक्ति ३ में "द्वारा देय" से लेकर "लगान" तक के शब्द हटा कर उस स्थान पर शब्द "जोत" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और उपर्युक्त संशोधन अस्वीकृत हुये।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हुकुमसिंह विसेन—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार विधेयक, १९६२ जैसा कि वह इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष---जो आपत्ति हुई थी उसके संबंध में मैंने अपने विचार प्रकट कर दिये थे लेकिन माननीय नरसिंहनारायण जी का खयाल है कि उनकी आपत्ति बहुमूल्य है इसलिये वे चाहते हैं कि इस सदन के समक्ष अपनी रूलिंग को मैं स्पष्ट रूप से बता दूं। वह मैं दे रहा हूं। उसके बाद श्री रघुवीरसिंह बोलेंगे।

यह मालगुजारी व लगान पर अधिभार विधेयक है। उसमें अधिभार का जहां तक मैं समझा हूं, मतलब यह है कि जो वर्तमान मालगुजारी या लगान है, उस पर अतिरिक्त भार डाला जाय। यही अतिरिक्त भार को अधिभार कहते हैं। अब अधिभार दो प्रकार का हो सकता है। एक तो स्थायी और दूसरा आपातिक। स्थायी अधिभार का मतलब होगा मालगुजारी स्थायी रूप से बढ़ाना। और आपातिक का मतलब होगा थोड़े दिनों के लिये बढ़ा दिया जाना, यानी कुछ दिनों के लिये। इसका मतलब यह है कि जो अधिकार विधान सभा को संविधान के अन्तर्गत प्राप्त है लगान लगाने का या मालगुजारी लगाने का उन अधिकारों के अन्तर्गत विधान सभा इस विधेयक को लायी है।

अब दूसरा प्रश्न माननीय नरसिंहनारायण जी का यह है कि क्योंकि इमरजेंसी अनुच्छेद ३५२ में घोषित हुई है अतः यह कानून भी केंद्रीय सरकार को ही बनाना चाहिये था, न कि इस सरकार को। मेरे खयाल से अनुच्छेद ३५२ और ३५३ का मन्तव्य यह है कि जब आपत्ति-कालीन स्थिति घोषित होती है तो केंद्रीय सरकार को उन विषयों के ऊपर भी विधि बनाने का अधिकार हो जाता है जो साधारण स्थिति में विधान सभा के लिये सुरक्षित हैं, अर्थात् अनुसूची ७ की सूची १ के अतिरिक्त सूची २ के संबंध में भी पार्लियामेंट को कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। उस हालत में अनुच्छेद ३५२ और ३५३ का कोई प्रभाव हमारे उन अधिकारों पर नहीं पड़ता है। जिन अधिकारों के अन्तर्गत हम इस सदन में कानून बनाते हैं। जो कानून आया है वह एन्ट्री ४५ के शेड्यूल ७ की लिस्ट २ के अन्तर्गत आया है और मैं समझता हूं यह हमारी विधायनी शक्ति के अन्तर्गत है, अतः जो आपत्ति माननीय नरसिंहनारायण ने प्रस्तुत की है उसको मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूं।

श्री राधेश्याम शर्मा---श्रीमन्, मैं आपका ध्यान प्रक्रिया नियमावली के नियम १३१ की ओर दिलाना चाहता हूं जो इस प्रकार है---

"विधेयक के पुरःस्थापन के उपरान्त कोई भी सदस्य यह मांग कर सकेगा कि ऐसे पत्रों की प्रतिलिपियां, यदि कोई हों, जिन पर विधेयक आधारित हो और जो गोपनीय न हों, सदन की मेज पर रख दी जायं।"

परसों मैंने माननीय बनारसीदास जी से पूछा था कि इस विधेयक के बारे में एडवोकेट जनरल की राय ली गयी है या नहीं तो उन्होंने कहा था कि राय ले ली गयी है। अब मैं आपके द्वारा उनसे यह प्रार्थना करूंगा कि जो राय ली गयी है उसको वे सदन की मेज पर रखने की कृपा करें जिससे यह स्पष्ट हो जाय कि यह जो विधेयक आ रहा है वह लीगल है या नहीं। वह पत्र हमें सुना दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---मैं सरकार को जरूर, आदेश देता कि वह पत्र सदन के सामने रखे, लेकिन जो आपने व्याख्या की उससे पता चलता है कि इस विधेयक की वैधानिकता के संबंध में उन्होंने राय ली या नहीं। तो उन्होंने कहा कि हमने राय ली है। तो यह नहीं कहा जा सकता कि यह विधेयक उन तथ्यों पर आधारित है जो कि एडवोकेट जनरल के पत्र में है। उसका आधार दूसरा है। यह विधेयक जो बना है वह वैधानिक रूप से बनाया गया है या नहीं, यह प्रश्न नियम १३१ के अन्दर का प्रश्न नहीं है तो एडवोकेट जनरल के पत्र देखने का प्रश्न पैदा नहीं होता है इसलिये नियम, १३१ के अन्तर्गत सरकार से वह कागज नहीं मांगा जा सकता।

श्री रघुवीरसिंह (जिला एटा)---अध्यक्ष महोदय, आज की संकटकालीन अवस्था में यह शोभनीय नहीं प्रतीत होता कि इस विधेयक का विरोध किया जाता या इसकी धाराओं में संशोधन लाये जाते। चूंकि इस विधेयक से किसान वर्ग प्रभावित होगा इसलिये आज किसान

की दयनीय अवस्था को देखते हुए कुछ धाराओं पर संशोधन रखने पड़े हैं। आज मैं निस्संदेह यह कहने के लिये तैयार हूं कि हमारे प्रदेश का बड़े से बड़ा किसान भी केवल खेती करके धनवान नहीं हो सकता, अगर उसके पास खेती के सिवा कोई दूसरा बिजनेस न हो। मैं स्वयं एक किसान हूं, न बहुत छोटा हूं और न बहुत बड़ा हूं। मैं आपको और इस सदन को विश्वास दिलाता हूं कि किसान केवल खेती के उद्योग से कभी भी धनी नहीं हो सकता। साथ ही साथ जो मैं संशोधन लाया हूं उसे संकोच के साथ कहिये या डरते-डरते कहिये ३ १/८ एकड़ तक के भूमि जोतने वालो के लिये लाया हूं। कौन नहीं जानता कि किसान की आज प्रति एकड़ पैदावार घटती जा रही है। यह भी सब जानते है कि किसान का उत्पादन खाद्यान्न गन्ना या और जो दूसरे कैश क्राप्स हैं उनके दाम उत्तरोत्तर घटते जा रहे हैं। इन कारणों से किसानों की प्रति व्यक्ति आय उत्तरोत्तर घटती जा रही है। यही नहीं, किसान के बरतने की चीजें जैसे कपड़ा, लोहा, मसाले, मिट्टी के तेल आदि के दाम बढ़ते जा रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि किसान निरन्तर गरीबी की तरफ बढ़ता जा रहा है। इसका स्पष्ट प्रमाण मैं सरकार को देना चाहता हूं कि १०,१५ साल से पहले किसानों पर जितना कर्ज था इस बीच में अगर देखा जाय तो कोआपरेटिव बैंक के जरिये या दूसरे स्थानीय जो साहूकार हैं उनका कर्ज उन पर बढ़ गया है और वे और ज्यादा कर्ज से दब गये हैं। इस के साथ ही टैक्सेशन मैनुअल में दिया हुआ है कि टैक्स ऐसे लोगों पर लगाया जा सकता है जो देने लायक हों। सरकार स्वयं इस बात को जानती है कि ३ १/८ एकड़ अलाभकर जोत है इसलिये अलाभकर जोत वाले किसानों से टैक्स नहीं लेना चाहिये।

दूसरी बात मैं भारतीय फौजों के सिपाहियों के बारे में कहना चाहता हूं कि जिनके भाई, पुत्र, पिता, चचेरे भाई या उसके लड़के भी भारतीय फौज में हों उनको इस कर से मुक्त किया जाय। क्योंकि यह बात भी समझ लेने की है कि जो देश की इतनी सेवा करते है उनको भी अगर इससे एक्जेंप्ट न किया गया तो उनका दिल क्या कहेगा। अगर उन से भी निर्दयता पूर्वक और बर्बरता से यह टैक्स वसूल किया जायगा तो जब उन सिपाहियों को पता लगेगा तो वह कहेंगे कि हम अपनी अमूल्य जान ले कर देश की रक्षा में लगे हुये हैं फिर भी हम कर से मुक्त नहीं हैं तो क्या उनका मनोबल नहीं टूट जायेगा? इसलिये मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि यह कर भारतीय फौज में काम करने वालों के घर वालों पर न लगाया जाय।

तीसरी बात यह है कि पहले जब जोत-कर विधेयक सरकार ने किन्ही कारणों से मुल्तवी कर दिया था उसके पश्चात्, जब सदन उठा था तो हम लोग यह धारणा लेकर गये थे कि हम देश की रक्षा के लिये चन्दा जुटानेमें अपना सारा समय लगावेंगे और उसी के अनुसार हमने अकेले भी और सरकारी अधिकारियों के साथ भी देहातों में जा जा कर चन्दा वसूल किया और उस वक्त हमने किसानों को यह आश्वासन दिया था कि सरकार जो ड्योढ़ा व दुगुना लगान बढ़ाने जा रही थी उसको सरकार ने सस्पेंड कर दिया है इसलिये तुमको इस राष्ट्र के संकट के समय अवश्य ही चन्दा देना चाहिये। अतएव उन्होंने यथा शक्ति चन्दा दिया।

श्री अध्यक्ष—यह तो रियासत हुसेन साहब कह चुके हैं।

श्री रघुवीरसिंह—मेरा भी संशोधन था इस प्रकार का इसलिये कह रहा हूं। मैं यह कह रहा था कि आज जब यह बिल किसानों पर लागू होगा तो हम उन को क्या जवाब देंगे? वह कहेंगे हम से कि तुम ने तो कहा था कि लगान नहीं बढ़ रहा है इसलिये चन्दा दिल खोल कर देना चाहिये। लेकिन अब वह कहेंगे कि चन्दा भी ले लिया और अब यह लगान भी बढ़ाया जा रहा है। इसलिये जो किसान उदारतापूर्वक चन्दा दे चुके हैं उनकी वह रकम लगान कर में मुजरा कर दी जाय।

श्री मैनेजरसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के विरोध के पहले मैं सफाई के साथ कहना चाहता हूं कि आज जब देश पर संकट है तो इस समय देश की रक्षा के बड़े काम में हम सरकार का सहयोग करना चाहते हैं और कर रहे हैं। आज सरकार के कोई मंत्री जिनका मस्तिष्क ठीक से काम न करता हो हम उन की बात न मानकर एक नागरिक की तरह

[श्री मैनेजरसिंह]

एक जिम्मेदार पार्टी के कार्यकर्ता के नाते यह अपना कर्तव्य समझते हैं और हर तरह का सहयोग देना चाहते हैं और करेंगे हम किसी मंत्री विशेष के रोकने से भी रुकने वाले नहीं हैं। जहांतक सोशलिस्ट दल और प्रजा सोशलिस्ट दल का संबंध है उन के एक-एक सदस्य तपे तपाये हैं वह आज के नये नहीं हैं, उस पक्ष में भी हमारे पुराने दोस्त मौजूद हैं जिन के साथ हमें काम करने का अवसर मिला है बल्कि उधर तो नये सदस्य ही अधिक हैं लेकिन हमारे दलों के तपे तपाये लोगों पर किसी प्रकार का भी सन्देह नहीं किया जा सकता।

जहांतक जनसंघ का संबंध है चाहे उन से हमारा मौलिक मतभेद हो उसमें हमारी राय उन से चाहे न मिले, लेकिन यह मैं सफाई के साथ यहां पर कहना चाहता हूं कि जहांतक राष्ट्रीयता का प्रश्न है जनसंघ, प्रजासोशलिस्ट दल, सोशलिस्ट दल या कांग्रेस दल किसी से पीछे नहीं है, बल्कि हमारी भावनाओं से उनकी राष्ट्रीय भावनायें तेज ही हैं। सरकार को इसलिये जनसंघ का भी सक्रिय सहयोग लेना चाहिये।

मैं एक शब्द और कहूंगा इस बिल के संबंध में कि प्रजासोशलिस्ट पार्टी का यह फैसला है कि इस प्रदेश में लगान की बढ़ोत्तरी को बरदाश्त न किया जायगा और हमारे नेताओं ने और दूसरे दलों के नेताओं ने जो मौन स्वीकृति दे दी थी उसको भी हमारे दल ने स्वीकार नहीं किया और उनसे कहा गया कि वह अच्छा काम नहीं किया। हमारे तपे तपाये कार्यकर्त्ता कभी भी इसको स्वीकार नहीं कर सकते और इस सरचार्ज को किसानों पर नहीं लगना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---अब सवा ६ तक बैठना होगा।

***श्री ब्रह्मदत्त मायर** (जिला सहारनपुर)---अध्यक्ष महोदय, आज जिन हालात में यह विधेयक पारित किया जा रहा है और हम जानते हैं कि यह पारित हो जायगा, बस २ मिनट ही बाकी हैं यह पारित हो जायगा, लेकिन जो बात वरण सदन में रहा है वह ऐसा नहीं है कि जिस को बाहर की दुनिया इज्जत की निगाह से देखे। जिस तरह से आज देश के ऊपर संकट है और चीन की चुनौती आई है उसका मुकाबला करने के लिये हमारी आखिरी खून की बूंद की जरूरत है। लेकिन जिस तरह से यह विधेयक पास होने जा रहा है और संशोधनों को न मानने के लिये जो-जो विचार उस तरफ से रखे गये उसे देखकर अफसोस होता है कि हालात क्या होने चाहिये थे और क्या होते चले जा रहे हैं। सारी पार्टीज जिन्होंने सहमति दी थी वह अपना सहयोग-वापस ले गई। आखिर कुछ तो वजह है। हमें यह चाहिये था "खून हो कि रंग हो, साथियों का संग हो एक नई उमंग हो।" इतना कह कर मैं चाहता हूं सरकार पुनः विचार करे और पास तो होना ही है इसको लागू करते समय ध्यान रखे।

***श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी** (जिला बस्ती)---श्रीमन्, मेरे दल ने इस विधेयक का विरोध किया है उसका मतलब यह नहीं था कि हम सुरक्षा के लिये सरकार को जो धन चाहिये था वह नहीं देना चाहते। हम तो औचित्य देख कर जितना धन चाहिये उतना अवश्य देना चाहते थे, परन्तु ऐसी परिस्थिति में जब सरकार के पिछले कार्यों को देखा, सतर्कता न बरतने के कारण हमारे ऊपर कष्ट आया, तो हमने अपना कर्त्तव्य अदा किया। ऐसी परिस्थिति में जब विधेयक हमारे सामने आया था तो हमने सोचा इसको सबसे अन्त में लाना चाहिये था जब कहीं कोई साधन न रहते। हमारी सरकार अपना कर्त्तव्य कहां तक पालन करेगी मैं नहीं कह सकता। पर इतना जरूर कहता हूं कि हमारे दल ने जो विरोध किया वह केवल विधान मंडल के अन्दर ही तक सीमित है। हमारा मन सरकार से बहुत डर गया उसके व्यवहार को देख कर जो उसने स्वतंत्र पार्टी के साथ बरता। उससे स्पष्ट हो गया जो हमने अपने हृदय को खोल कर किसानों की बात रखी, जो खून देता, धन देता, जवान देता, सब कुछ देता

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आप उसको एग्जेम्प्ट करने के लिये तैयार नहीं हैं और उससे पैसा लेने के लिये तैयार हैं। पहले जो बड़े-बड़े लोग हैं, रिसोर्सेज हैं उनको टैप नहीं किया गया तो वार टाइम में जो विपत्ति आती है वह इस देश पर भी न आवे इसीलिये हमने विरोध किया था।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)--सदन में हुये वादविवाद से प्रतीत होता है हम लोगों को पूरी तरह से इस बात का परिचय नहीं है कि हमारे ऊपर कितना भारी संकट है इसलिये मैं सोचता हूं इतने तर्क वितर्क की जरूरत नहीं थी। मैंने १८९९ में जब ४ साल का था गढ़वाली सेना को बड़ा होती को चमोली से जाते हुये देखा है जब कि १९१४ की लड़ाई में अंग्रेज सरकार ने भारतीयों को कमीशन नहीं दिया। उस वक्त मैंने निश्चय किया था कि अंग्रेज हमको किंग्स कमीशन नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं। जो मेरा पहला लड़का हुआ १९१८ में उसको मैंने भारतसेवक सिंह का नाम दे कर फौजी शिक्षा देकर १९४० में लड़ाई में भेजा। आज वह आर्मी में एक बड़े उच्च पद पर किंग्स कमीशन्ड अफसर है। मेरे दो लड़के और १ दामाद आर्मी में हैं, एक दर्जन मेरे परिवार के लोग मिलिटरी में हैं, आज हम यहां खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे समय सरकार जो मांगे वह देना चाहिये। आपको मालूम नहीं तिब्बत हमारे ऊपर १८ वीं और १९ वीं सदी से समय-समय पर हमला करता रहा। कई बार हमने उसका सामना किया है। १७८९ में दो वीर राजा फतेशाह के समय में गढ़वाली सिपाहियों ने तिब्बतियों को मार भगाया और इसीलिये उन गढ़वाली वीरों की पट्टी को आज भी 'खदेड़ पट्टी' कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने तिब्बतियों को गढ़वाल की सीमा से खदेड़ा और दाया तक तिब्बत में कब्जा कर लिया था। दाया के मंदिर में दो गढ़वाली सेना नायक की तलवारें रखी हैं। आज हम इस बात को रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि कितना संकट इस देश पर आया हुआ है और स्थिति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।

***श्री बांकेलाल** (जिला देवरिया)--आखिर में यह टैक्सेशन बिल पास ही हो गया। देवरिया जिला बहुत ही गरीब जिला है, लेकिन उसमें २५ केन यूनियन्स हैं और बिना टैक्स लगाये हुये लोगों ने कितना दिया है इसका जरा अन्दाजा कर लें और जितना टैक्स से मिलेगा उसका भी अन्दाजा लगा लें। २५ केन यूनियन्स ने ३० लाख रुपया सुरक्षा कोष में अपने मन से दिया। चार तहसीलें हैं और प्रत्येक तहसील से ३ लाख रुपया मिलेगा। इस तरह से १२ लाख रुपया मिलेगा। कुल मिला कर ४२ लाख रुपया मिला। देवरिया जिले में ४० लाख रुपया लगान है और आपको २५ प्रतिशत टैक्स लगाने से मिलेगा केवल १० लाख। तो आप सोचें कि टैक्स लगाने से लोग ज्यादा देंगे या बिना टैक्स लगाये हुये। गन्ने की कटौती भी होगी सुरक्षा के नाम पर। तो एक करोड़ रुपया देवरिया जिला देगा सुरक्षा के नाम पर तो फिर १० लाख रुपया टैक्स लगाने की क्या जरूरत थी?

श्री अध्यक्ष--अब आपका समय समाप्त हो गया।

श्री उग्रसेन--इन तीन दिनों से जो वादविवाद इस विधेयक पर चल रहा है मुझे बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार अब तक अपनी हठधर्मी पर डटी है। मैं तृतीय वाचन के समय अन्तिम क्षत्रों में सरकार से तथा उसके प्रतिनिधियों से नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि वह अब भी हठधर्मी को छोड़ें और इस विधेयक को वापस लें। अब अधिक क्या कहूं हमारे २० एकड़ और साढ़े १२ एकड़ तक जमीन को इस टैक्स से बरी करने के प्रस्ताव की भी सरकार मानने को भी तैयार नहीं हुई। सेना में जो हमारे जवान चीनी आक्रमण का मुकाबला कर रहे हैं १४ हजार फुट की ऊंचाई पर उन पर भी टैक्स लगाने की बात यह सरकार करती है और हमारे संशोधन को नहीं मानती तो इससे ज्यादा शर्म की बात किसी जनतंत्र सरकार के लिये और क्या हो सकती है?

मैं अन्त में मुख्य मंत्री महोदय से कहूंगा कि वह अपने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दें और फिर उसे पुनर्गठित करें मंत्रियों की संख्या कम करके और यह प्रस्ताव हमें पास करना चाहिये कि

[श्री उग्रसेन]

चीनियों को तिब्बत पार खदेड़ना है, लेकिन सरकार इस संकल्प के साथ नहीं चल रही है। मैं अन्त में शमसी मिनाई का एक शेर कह कर अपना भाषण समाप्त करता हूं:

"जीना है चार दिन तो सब अख्तियारात हों,
मरना है एक दिन तो जरा शानदार हो।

मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि कुर्सियों का मोह छोड़ो और एक-एक पैसे को बचाओ और किसानों को टैक्स से बरी करो।

श्री श्यामलाल--मैं अपनी ओर से और अपनी रिपबलिकन पार्टी की ओर से जो बिल सदन में प्रस्तुत है उसका हृदय से समर्थन करता हूं, लेकिन उसके साथ ही साथ एक बात कहता हूं कि यह देश हमारा है। यह देश कांग्रेस का है, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी सभी पार्टीज का है। यदि कोई आदमी यह कहता है कि यह देश केवल हमारा है, केवल हमारी ही जिम्मेदारी है और हम तुम्हारा सहयोग नहीं लेना चाहते तो यह बुद्धिमानी की बात नहीं है।

फ्रान्स में लुई १४ की सरकार हुई थी। बाद में क्या नतीजा हुआ.....

श्री अध्यक्ष--आपका समय समाप्त।

श्री भानुप्रतापसिंह--अध्यक्ष महोदय, माननीय मुकन्दीलालजी ने कहा कि यहां सदन में जो वाद विवाद हुआ उससे ऐसा प्रतीत होता है कि संकट की गम्भीरता को हम लोग नहीं समझ सके हैं। हमारी पार्टी ने संकट की गम्भीरता को पूरी तरह से समझा था और इसीलिये समर्थन किया था। लेकिन आज इन संशोधनों के विषय में सरकार ने जो रवैया अख्तियार किया उसको देखते हुये यह स्पष्ट हो गया कि अगर किसी दल ने संकट की गम्भीरता को नहीं समझा तो सत्ताधारी पार्टी ने नहीं समझा। यदि इन्होंने संकट की गम्भीरता को समझा होता तो उन्होंने जो वायदे किये थे वह न तोड़ते। अगर इन्होंने गम्भीरता को समझा होता जो सिपाहियों के बारे में जो छूट देने का संशोधन हमारे तरफ से था कि जो अपना खून दे रहे हैं उनको कम से कम इस टैक्स से बरी किया जाय तो उसको मान लेने में सरकार को कोई आपत्ति नहीं होती। अगर इन्होंने संकट की गम्भीरता को समझा होता तो जो किसान अदा कर चुके हैं उनको छूट देने की बात मान ली होती। आन्ध्र प्रदेश में टैक्स बिल पेश हो चुका था वहां छूट दी जा रही है। पंजाब में जो सीमावर्ती प्रदेश हैं और जो डिफेन्स वर्क कहीं ज्यादा कर रहा है उसने एंटरटेनमेंट टैक्स में छूट दी है। इस सरकार ने जो व्यवहार किया है उससे स्पष्ट हो गया है कि वास्तव में यह संकट की गम्भीरता को नहीं समझी है और उसने अपने पुराने जोत कर विधेयक को पास कराने की साजिश की है।

श्री हुकुमसिंह विसेन--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने तमाम मित्रों की बातों को सुना। बहुत सी पुरानी बातें दोहराई गयी हैं जिनके मुताल्लिक बहुत बार जवाबात भी दिये जा चुके हैं, उनको फिर दोहराना वक्त को खराब करना है। मेरे दोस्त भानुप्रतापजी ने बार-बार कहा कि जवानों के बारे में जो संशोधन पेश किया था उसको सरकार ने नहीं माना यह उनका एक पोलिटिकल स्टेट था। अगर हम उसे मन्जूर कर लेते तो सारा बिल नाजायज हो जाता। मैं कानून की पेचीदगियों को समझता हूं इसलिये किसी के पंजे में फंस नहीं सकता अगर वह फंस जांय तो फंस जांय क्योंकि वह खुद तसलीम कर चुके हैं कि उनके नेता को छोड़ कर और सब नये हैं। तो उन्हीं के पंजे में हम पुराने खूसट कैसे फंस सकते हैं। हां, अगर प्रोपेगेंडा के खयाल से वह कहना चाहते हैं तो दोहराते रहें, लेकिन यह सरकार अपने वायदों पर कायम है और हमेशा कायम रहेगी इसमें जरा भी शक व शुबहा नहीं है।

एक बात कह कर मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। अगर हमारे किसी भाई ने कह दिया कि किसी की मदद की हमें जरूरत नहीं है तो मुझे उसके लिये अफसोस है। मुझे सब की सहायता की जरूरत है। अकेले, तनहा हम इतने बड़े कार्य भार को सम्हाल नहीं सकते जबतक हिन्दुस्तान के एक-एक बच्चे का सहयोग हमें प्राप्त नहीं होगा।

मैं माधवप्रसाद जी का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने कहा कि यहां तो हमने विरोध किया, लेकिन बाहर पूरा सहयोग देने का वायदा किया है। उनसे यही आशा की जाती थी और उन्होंने हमारी आशा को पूरा किया इसके लिये वह बधाई के पात्र हैं। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से इधर के और उधर के बैठने वाले तमाम साथियों ने जोश और खरोश के साथ हमारा साथ दिया है उससे दूने जोश और खरोश के साथ वे हमारा साथ देते रहेंगे ताकि हम चीन जैसे मूजी आक्रमणकारी को अपने देश से भगाने में सफल हों।

इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि यह सदन इस विधेयक को पारित करेगा।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार विधेयक, १९६२ जैसाकि वह इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर निम्न मतानुसार स्वीकृत हुआ--

पक्ष में--१९१,

विपक्ष में--५४।)

श्री अध्यक्ष--अब हम कल सुबह साढ़े दस बजे तक के लिये उठते हैं।

(इसके बाद सदन ६ बजकर १५ मिनट पर अगले दिन के १० १/२ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
१० दिसम्बर, १९६२।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५४७ पर)

जिलों की सूची

१—देहरादून
२—सहारनपुर
३—मुजफ्फरनगर
४—मेरठ
५—अलीगढ़
६—मथुरा
७—आगरा
८—बरेली
९—बदायूं
१०—मुरादाबाद
११—रामपुर
१२—शाहजहांपुर
१३—पीलीभीत
१४—फर्रुखाबाद
१५—इटावा
१६—कानपुर
१७—इलाहाबाद
१८—झांसी
१९—वाराणसी
२०—मिर्जापुर
२१—नैनीताल
२२—जौनपुर
२३—गोरखपुर
२४—लखनऊ
२५—सीतापुर
२६—फैजाबाद
२७—बहराइच

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५४९ पर)

तालिका

क्रम-संख्या	चीनी मिल का नाम	गन्ने का न्यूनतम मूल्य (रुपयों में)	
		प्रति क्वींटल	(प्रतिमन)
१	२	३	४
१	मोदीगनर	४.२६	१.५९०
२	मोहद्दीनपुर	४.२२	१.५७५
३	जसवन्त	४.१८	१.५६०
४	मवाना	४.१०	१,५३०
५	बागपत	४.१४	१,५४५
६	दरौला	४.०६	१,५१५
७	सखोतीटांडा	४.०२	१,५००
८	खतौली	४.१४	१,५४५
९	शामली	४.०२	१,५००
१०	मंसूरपुर	४.१४	१,५४५
११	रोहानाकलां	४.०२	१,५००
१२	देवबन्द	४.१८	१,५६०
१३	सहारनपुर	४.०२	१,५००
१४	इकबालपुर	४.१०	१,५३०
१५	लक्सर	४.१४	१,५४५
१६	दोइवाला	४.१८	१,५६०
१७	बुलन्दशहर	४.२६	१,५९०
१८	सिम्भौली	४.१४	१,५४५
१९	अमरोहा	४.३४	१,६२०
२०	बिजनौरा	४.१८	१,५६०
२१	धामपुर	४.३४	१,६२०
२२	सिवराहा	४.३४	१,६२०
२३	बिलारी	४.२२	१,५७५
२४	रजा	४.१८	१,५६०
२५	बुलन्द	४.१८	१,५६०
२६	बरेली	४.२६	१,५९०
२७	रोसा	४.२२	१,५७५
२८	हरदोई	४.४२	१,६५०
२९	महोली	४.३८	१,६३५
३०	सरसावा	अज्ञात	अज्ञात
३१	काशीपुर	४.३०	१,६०५
३२	बाजपुर	४.१८	१,५६०
३३	बहेड़ी	४.४२	१,६५०

विधान सभा उत्तर प्रदेश

क्रम संख्या	चीनी मिल का नाम	गन्ने का न्यूनतम मूल्य (रुपयों में) प्रति क्वींटल	(प्रतिमन)
१	२	३	४
३४	पीलीभीत	४.१४	१,५४५
३५	गोला	४.३८	१,६३५
३६	ऐरा	४.३८	१,६३५
३७	हरगांव	४.३४	१,६२०
३८	न्योली	४.३०	१,६०५
३९	बिसवां	४.३८	१,६३५
४०	बुढ़वल	४.३०	१,६०५
४१	जरवल रोड	४.३८	१,६३५
४२	नवाबगंज	४.३०	१,६०५
४३	बभनान	४.६२	१,७२५
४४	वाल्टरगंज	४,३८	१,६३५
४५	बस्ती	४.७०	१,७५५
४६	मुन्डेरवा	४.२६	१,५९०
४७	खलीलाबाद	४.३०	१,६०५
४८	सरदारनगर	४.४२	१,६५०
४९	बैतालपुरन	४.२२	१,५७५
५०	गौरीबाजार	४.५८	१,७१०
५१	देवरिया	४.२२	१,५७५
५२	भटनी	४.०६	१,५१५
५३	परताबपुर	४.३०	१,६०५
५४	बलरामपुर	४.३८	१,६३५
५५	तुलसीपुर	४.४२	१,६५०
५६	आनन्दनगर	४.३८	१,६३५
५७	पिपराइच	४.२६	१,५९०
५८	कैप्टेनगंज	४.१८	१,५६०
५९	घुघली	४.२६	१,५९०
६०	सिसवाबाजार	४.३०	१,६०५
६१	खड्डा	४.२६	१,५९०
६२	छितौनी	४.३४	१,६२०
६३	लक्ष्मीगंज	४.१४	१,५४५
६४	रामकोला (के) (माहेश्वरी खेतान) ..	४.३४	१,६२०
६५	रामकोला (पी)	४.४२	१,६५०
६६	पडरौना	४.२६	१,५९०
६७	कठकुइयां	४.१८	१,५६०
६८	सिवराही	४.२२	१,५७५
६९	बाराबंकी	४.३४	१,६२०
७०	मसोधा	४.४२	१,६५०
७१	शाहगंज	४.५४	१,६९५

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५५६ पर)

इस वन खंड में माफी ग्रामों तथा उनके प्रधानों के नाम जिनको गत वर्ष भिनगा रेंज में माफी की लकड़ी दी गयी

क्रम-सं०	नाम माफी ग्राम	क्रम-सं०	नाम ग्राम प्रधान
१	२	३	४
१	ककरदारी	१	श्री बच्चूराम
२	लछमनपुर भगवानपुर	२	श्री बदलू राम
३	परसा देहरिया	३	श्री राम बहादुर सिंह
४	कुन्दरी देहरिया		
५	मोहम्मदपुर		
६	बहादुरपुर	४	श्री फत्तू खान
७	रामपुर जाब्दी	५	श्री हिदायत अली
८	रामपुर काकरा	६	श्री कैलाशनाथ
९	जानकीनगर	७	श्री हसन मोहम्मद
१०	नबीनगर		
११	तुरसमा	८	श्री कामता प्रसाद
१२	पुरेबलय	९	श्री यासीन खां
१३	असनाहरिया	१०	श्री श्यामता प्रसाद
१४	कादिम भरथा	११	श्री अब्दुलवहीद खां
१५	मछरिहवा	१२	श्री रामपाल सिंह
१६	भरथा बेल भारिया	१३	श्री नारायणदत्त तिवारी
१७	लालपुरे महरी	१४	श्री मथुरा प्रसाद
१८	पतजोहा	१५	श्री जगरनाथ ओझा
१९	शंकरपुर	१६	श्री बच्चू लाल
२०	हेमपुर	१७	श्री गनी खां
२१	बरहरिवा		
२२	शाहपुर	१८	श्री विश्वेश्वर राम
२३	परसोहना	१९	श्री आजिमउद्दीन (उप-प्रधान)
२४	भरथाकलां	२०	श्री फतेहबहादुर सिंह
२५	रामपुर	२१	श्री हरद्वार
२६	बरमा	२२	श्री श्रीदत्त अहीर
२७	खीरीकलां	२३	श्री सईद खां
२८	पुरे खेरी		
२९	टंडवा	२४	श्री रामसुधर अहीर
३०	बंकटवा	२५	श्री छोटे लाल
३१	भिन्गा दिहाती		
३२	चेहवला	२६	श्री लक्ष्मी नारायण सिंह
३३	गलकटवा	२७	श्री सूरजप्रसाद

संसद सदस्य प्रदर्शन प्रणाली

१	२	३	४
३४	राजापुर	२८	श्री गुरबारी
३५	हलाजोत	२९	श्री चिन्तुप्रधान
३६	लक्ष्मणपुर	३०	श्री बशीर बेग
३७	लखई बेनी नगर	३१	श्री प्यारे लाल
३८	चकवा	३२	श्री शेरबहादुर सिंह
३९	पुरे गोकुल सिंह पुर		
४०	रेहली बिशनपुर	३३	श्री नवाबअली
४१	बैरागी जोत	३४	श्री गौरी अहीर
४२	गजबारी	३५	श्री सेवक राम
४३	बन्सकुन्डी	३६	श्री जैपत्तर लाल
४४	गुरपुरवा	३७	श्री भल्लू अहीर
४५	विशनपुर रामनगर	३८	श्री छेदी राम
४६	गांधी		
४७	शाहपुर बरगदवा	३९	श्री जमुना प्रसाद
४८	शिवगढ़		
४९	बटहर	४०	श्री चिंताराम
५०	परसादेवताही	४१	श्री रामसुध
५१	छपुरवा	४२	श्री रामदीन
५२	मुरलिया		
५३	गुलरा	४३	श्री होरीलाल मिश्र
५४	सम्परपुरवा	४४	श्री चन्द्रिकाप्रसाद
५५	बीरपुर	४५	श्री बुसैली
५६	दुर्गापुर	४६	श्री भगवान दीन
५७	सितकहवा	४७	श्री अब्दुल गनी
५८	पुरे प्रसाद	४८	श्री रघुराज सिंह
५९	दोमही	४९	श्री रामसुन्दर
६०	रामपुर देवमन	५०	श्री भगवती प्रसाद
६१	बनकटवा कलां	५१	श्री अब्दुल हक
६२	चेलही	५२	श्री रामनिध
६३	सनचौली		
६४	जोरपनिया	५३	श्री शिवपूजन
६५	बैरिहवा		
६६	बदलपुर	५४	श्री कुन्तू राम
६७	टन्डवा रतनपुर	५५	श्री शिवप्रसाद मिश्र
६८	तीलीहरिया	५६	श्री पहलवान सिंह
६९	मैंसाही		
७०	चौबेपुर	५७	श्री बनवारी लाल
७१	नन्दनगर केला		
७२	रानीपुर	५८	श्री हरद्वार
७३	रिपनिहवा	५९	श्री जोखनराम

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५५८ पर)

कर्नलगंज के स्थानीय निकाय के द्वितीय पंचवर्षीय योजना कार्यकाल में दिये गये धनराशियों के उपयोग का विवरण

वर्ष	कार्य जिसके लिये अनुदान दिया गया	अनुदान की धनराशि	उपयोग की गई धनराशि और उसका विवरण	अप्रयुक्त धनराशि तथा उसका विवरण
१	२	३	४	५
		रु०		
१९५७-५८	सड़कों के निर्माण तथा रख-रखाव के लिये	१०,०००		स्थानीय निकाय ने सड़कों पर १०,५०० रु० का व्यय किया किन्तु जिलाधीश गोंडा ने कुल ४७४८ रुपय का भुगतान स्वीकृत किया। शेष धन का भुगतान उपयोग की अवधि समाप्त हो जाने के कारण स्वीकृत न किया जा सका। इस अनुदान के उपयोग की अवधि ३१ मार्च, १९६१ तक बढ़ाई गई किन्तु फिर भी अवशेष धन का भुगतान कार्य अधिक होने के कारण न किया जा सका। अनुदान के उपयोग की तिथि ३१ मार्च, १९६३ तक बढ़ाने की प्रार्थना की गई है जो कि शासन के विचाराधीन है।
१९५८-५९	सड़कों के निर्माण तथा रख-रखाव के लिये	५,०००		इस धनराशि का उपयोग तारकोल ग्रिट, तथा पत्थर खरीदने में हो चुका है।
१९६०-६१	सड़कों के निर्माण तथा-रख रखाव के लिये	८,१००		इस धनराशि का उपयोग स्थानीय निकाय ने, जो उस समय नोटीफाइड एरिया कमेटी से नगरपालिका में परिवर्तित हुआ था, आर्थिक स्थिति संतोषजनक न होने

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वर्ष	कार्य जिसके लिये अनुदान दिया गया	अनुदान की धनराशि	उपयोग की गई धनराशि और उसका विवरण	अप्रयुक्त धनराशि तथा उसका विवरण
१	२	३	४	५
		रु०		
				के कारण, अनुदान के अधिक भाग को अपने कर्मचारियों के वेतन देने पर व्यय कर दिया है। स्थानीय निकाय अनुचित प्रकार से व्यय किये गये धन की प्रतिपूर्ति अपने कोष से कर रहा है।
१९५७-५८	मेहतरों की कार्य दशा में सुधार करने वाली योजना के अन्तर्गत हाथ गाड़ी तथा व्हील बैरो खरीदने के लिये	१५०	इस धनराशि का उपयोग हाथ गाड़ी खरीदने में किया जा चुका है।	
१९५८-५९	बाल क्रीड़ा केंद्र का सामान खरीदने के लिये	१,१००	यह धनराशि राज्य स्वास्थ्य परिषद् द्वारा दी गयी थी। यद्यपि स्थानीय निकाय ने इस धनराशि का उपयोग कर लिया है किन्तु उपयोगिता के प्रमाण-पत्र पर जिला नियोजन अधिकारी के हस्ताक्षर न होने के कारण परिषद् ने उसे उपर्युक्त अधिकारी के पास हस्ताक्षरों के लिये भेज दिया है।	

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५६४ पर।)

स्थान	मिलों की संख्या	चावल का वास्तविक उत्पादन
तहसील चन्दौली		कुन्टल
१—पड़ौ	एक हलर	७,०००
२—चन्दौली	एक हलर	१,३०००
	एक हलर	१,२०००
३—सैयदराजा	दो हलर	कुछ नहीं
४—मुगलसराय	एक हलर	५००
तहसील चकिया		
१—चकिया	एक हलर	१००

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—२६० एल० ए०—१९६३—८३० ।

बिहार मदरसा सभा